वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

Forum of Regulators

FOR

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम

वार्षिक रिपोर्ट

2013–14

प्रकाशक :

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

डिजाइन और मुद्रण

creativEdge

art of eloquence

अरावली हाउस

431/डी-22, छत्तरपुर पहाड़ी

नई दिल्ली - 110074

ईमेल : ce@aravalifoundation.in

वेबसाइट : www.creativedge.in

प्रस्तावना

वर्ष 2013–14 के दौरान विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्ष करने और विवेचनीय विषयों पर सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने भारत में वितरण की मौजूदा वास्तविकताओं का पता लगाने तथा भारत में खुदरा प्रतिस्पर्धा के कार्यान्वयन में विवेचनीय बाध ाओं के संबंध में भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुदरा आपूर्ति मॉडल की उपयुक्तता की जांच की आवश्यकता का पता लगाया। तदनुसार फोरम ने ''भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत'' पर अध्ययन आरंभ किया। इस अध्ययन में प्रतिस्पर्धा के लिए खुदरा बाजार को खोलने के लिए आर्थिक वित्तीय तकनीकी और संस्थानिक पूर्व शर्तों का पता लगाया गया। रिपोर्ट में संभाव्य बाजार संरचना की सिफारिश की गई जिसमें नेटवर्क और आपूर्ति कारोबार को पृथककरण (तीन वर्षों के बाद स्वामित्व पृथक्करण, दूसरी आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी के ऑनसेट को शामिल किया गया। और हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया गया जिसमें उपभोक्ताओं का केवल एक खंड (एक मेगावाट और अधिक भार) प्रतिस्पर्धा के लिए आरंभिक रूप से खुला रहेगा। इस अध्ययन में स्पष्ट पता लगाने सहित छः वर्षों से अधिक की स्पष्ट अवधि सहित चरणबद्ध पहुंच की सिफारिश की गई जिससे इस संक्रमण को सुकर बनाया जा सकेगा।

फोरम ने यह भी अनुभव किया कि वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से एटीएण्डसी हानि स्तरो की सही संगणना से विनियामकों तथा कंपनियों को सुकर बनाया जा सके ताकि ट्रेजेक्टरी के माध्यम से हानि में कमी प्राप्ति के लिए भावी कार्य योजना का पता लगा जाए। तदनुसार फोरम ने एटीएण्डसी हानियों के विनिर्दिष्ट संघटक, कुल एटीएण्डसी हानियों की संगणना, संघटकवार एटीएण्डसी हानियों की संगणना का पता लगाने के उद्देश्य से तमिलनाडु, राजस्थान, उ0प्र0, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए ''संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण'' पर अध्ययन पर आरंभ किया गया। इस अध्ययन में कम उर्जा हानि क्षेत्रों में एटीएण्डसी हानि में कमी के लिए वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए अल्प पैनल मध्यम रूप से उच्च उर्जा हानि क्षेत्रों के लिए अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक काल के लिए अलग सिफारिशें की गई। इनके अलावा रिपोर्ट में एटीएण्डसी हानियों के संघटकवार विश्लेशण किया गया और भावी एटीएण्डसी हानि में कमी अध्ययन के लिए सुझावा दिया गया।

फोरम ने 11वीं योजना के दौरान विनियामक फोरम द्वारा किए गए अध्ययन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के निर्धारण पर संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ''11वीं योजना अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विनियामक फोरम को योजना सहायता का प्रभाव निर्धारण'' पर अध्ययन आरंभ किया। रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट पहलुओं पर फोकस करते हुए तथा कार्यक्रमों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए फोरम द्वारा किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अध्ययन क प्रभाव को बढ़ाने के सुझाव दिए गए। इस प्रभाव तथा स्टेकहोल्डरों के साथ गुणात्मक विचारविमर्श के आधार पर अध्ययनों तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कुल प्रभाव मूल्यांकित किया गया जिसे संतोशजनक पाया गया और विनियामक फोरम के उद्देश्यों के अनुरूप पाया गया।

फोरम द्वारा की गई पृष्ठभूमि में प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एसईआरई/जेईआरसी का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा रहा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

विषय वस्तु

1. विनियामक फोरम **8**

2. फोरम की गतिविधियां **9**

2.1 विनियामक फोरम की बैठके 9

2.1.1 श्री नगर में 20 अप्रैल, 2013 को आयोजित 36वीं विनियामक फोरम की बैठक 9

2.1.2 नई दिल्ली में 21 अगस्त, 2013 को आयोजित 37वीं विनियामक फोरम की बैठक 9

2.1.3 नई दिल्ली में 18 नवंबर, 2013 को आयोजित 38वीं विनियामक फोरम की बैठक 9

2.1.4 चंडीगढ़ में 18 जनवरी, 2014 को आयोजित 39वीं विनियामक फोरम की बैठक 9

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 10

2.2.1 भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा आरंभ करना 10

2.2.2 तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण 10

2.2.3 11वीं योजनावधि के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विनियामक फोरम को योजना सहायता का प्रभाव निर्धारण 10

2.2.4 मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण 11

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11

3. 2013–14 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां **12**

4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एफओआर की वार्षिकी विवरणी **19**

अनुबंध I : 31.03.2014 को एफओरआर के सदस्य 32

अनुबंध II : राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति 33

अनुबंध III : टैरिफ नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति 73

विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया। 1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की शुरुआत से विनियामक आयोग के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांशं राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधि ासूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था। इस फोरम में सीईआरसी का अध्यक्ष और एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्ष शामिल है। सीईआरसी का अध्यक्ष फोरम का अध्यक्ष है। केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैः–

फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों स उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;
- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना(तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है।
- केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

फोरम की गतिविधियां

2.1 विनियामक फोरम की बैठक

फोरम ने वर्ष के दौरान सात बैठके आयोजित की और कई विवेचनीय विषयों पर मतैक्य विकसित किया। फोरम की अत्यधिक महत्वपूर्ण पहल नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में थी जहां फोरम ने नवीकरणीय क्षमता के लिए पारेषण योजना पर अध्ययन किया और नवीकरणीय क्रय बाध्यता लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्यों के लिए प्रोत्साहन संरचना विकसित की। फोरम ने '11वीं योजना अवधि के दौरान विनियामक फोरम को योजना सहायता का प्रभाव निर्धारण' पर अध्ययन किया ताकि 11वीं योजना अवधि के दौरान किए गए अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

2.1.1 श्री नगर में 20 अप्रैल, 2013 को आयोजित 36वीं विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम ने 'मुद्रा बिक्री प्रतिस्पर्धा' पर अध्ययन रिपोर्ट ड्राफ्ट पर विचार किया। फोरम ने खुदरा बिक्री प्रतिस्पर्धा के कार्यान्वयन के लिए वितरण स्तर पर विषयवस्तु और वाहन के पृथक्करण के लिए आवश्यकता को नोट किया और रिपोर्ट को अनुमोदित किया।

फोरम ने वितरण कंपनियों की विद्युत प्राप्ति योजना पर विचार विमर्श किया और वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत प्राप्ति योजना तथा मांग पूर्वानुमान की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता की प्रशंसा की। यह महसूस किया गया कि कारोबार योजना के अनुमोदन के समय एसईआरसी को विद्युत प्राप्ति योजना की समीक्षा करनी चाहिए जो विशेष रूप से वितरण कंपनियों की मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्राप्ति योजनाओं के लिए होनी चाहिए।

फोरम ने 'भारतीय विद्युत बाजार में सहायक सेवाओं की शुरूआत' पर केविविआ के स्टाफ पेपर पर विचार विमर्श किया। फोरम ने सहायक सेवाओं के फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन में विषयों की आवश्यकता को नोट किया। यह अनुभव किया गया कि सहायक सेवाएं नवीकरणीय उत्पादन की भिन्नता के संतुलन के लिए वांछनीय हो सकती है।

फोरम ने राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायित्व बिल पर ड्राफ्ट मॉडल विधार पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि एफओआर सचिवालय एफओआर अध्यक्ष के अनुमोदन से विधान के प्रारूप में विद्युत मंत्रालय को सहायता दे सकता ह

2.1.2 नई दिल्ली में 21 अगस्त, 2013 को आयोजित 37वीं विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम ने 2012 में ग्रिड असफलता के प्रभावों के बाद ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन पर पहल पर विचार किया। फोरम ने ग्रिड असफलता के प्रभावों के बाद यूआई मात्रा में कमी, ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर फ्रिक्वेंसी बैण्ड के क्रमिक प्रभाव पर विचार किया। फोरम ने फ्रिक्वेंसी में बड़े उतार–चढ़ाव से बचने के लिए प्राथमिक अनुक्रिया के लिए आवश्कता को नोट किया जिसमें विशेष रूप से मार्च 2014 तक दक्षिण ग्रिड के सिंक्रोनाइज करने, नवीकरणीय उत्पादन के समेकन, पड़ोसी देशों अंतःसंयोजन और लाइन फ्लो और वॉल्टेज पर फ्रिक्वेंसी भिन्नता के प्रभाव तथा नियमित आधार में संरक्षण ऑडिट की आवश्यकता, प्रणाली प्रचालन के क्षमता निर्माण आदि को ध्यान में रखा गया।

श्री ज्योतिर्दित्य माधवराज सिंधिया माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बैठक में हिस्सा लिया। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने विद्युत क्षेत्र के विकास के बड़े हित में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विद्युत क्षेत्र में राजस्व पैदा करने और विद्युत के ऑफटेक गारंटी पर बल दिया। उन्होंने विनियामकों को निवेश को तथा उपभोक्ताओं दोनों को हित में संतुलित रहने पर बल दिया। उन्होंने विनियामकों से अनुरोध किया कि वे सतर्क और सक्रिय रहें और क्षेत्र के विकास के लिए सहायक हों। माननीय मंत्री ने विचार के लिए तीन विशेष विषय लिए और इस संबंध में विनियामकों के सहयोग तथा विचारों पर ध्यान किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नवीकरणीय क्रय बाध्यता, बेहतर प्रवर्तन के सुझाव और अनुपालन की स्थिति, विद्युत आपूर्ति की पर्याप्ता 'क्षमता और विश्वसनीयता के विषय' और 'भारत में विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा'

2.1.3 नई दिल्ली में 18 नवंबर, 2013 को आयोजित 38वीं विनियामक फोरम की बैठक:

श्री गिरीश बी. प्रधान, अध्यक्ष केविविआ ने अध्यक्ष विनियामक फोरम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

फोरम ने विद्युत विनियम 2003 के कुछ उपबंधों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया। फोरम ने विचार विमर्श के बाद वितरण नेटवर्क कारोबार और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से संबंधित विषयों पर सुझाव दिए और विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों में दिए गए ग्रिड सुरक्षा, निर्बाध पहुंच टैरिफ इत्यादि पर सुझाव दिए।

2.1.4 चंडीगढ़ में 18 जनवरी, 2014 को आयोजित 39वीं विनियामक फोरम की बैठक:

फोरम ने विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा यथाप्रस्तुत विद्युत अधिनियम 2003 के प्रस्तावित संशोधनों को नोट किया और विचार किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वाहन और विषयवस्तु से

भिन्न उपबंधों से संबंधित वितरण में वाहन और विषयवस्तु को अलग करने से संबंधित संशोधनों को शामिल किया गया।

फोरम ने 1.4.2014 से 31.3.2019 की टैरिफ अवधि के लिए केविविआ ड्राफ्ट (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 पर विचार–विमर्श किया। फोरम ने विचार विमर्श के बाद ओएण्डएम व्यय के तर्कसंगतता पर विश्लेषण, एसएचआर इत्यादि के कारण लाभ की शेयरिंग के संबंध में सुझाव दिए।

फोरम ने वितरण में स्मार्ट ग्रिड विनियामक अपेक्षा/स्मार्ट ग्रिड पायलट के संबंध में विषयों पर विचार विमर्श किया। फोरम ने विचार विमर्श के बाद पाया कि स्मार्ट ग्रिड विनियम सामान्य तथा कार्यान्वयन को समझने के लिए आसान होने चाहिए। फोरम ने मीटरिंग इत्यादि सहित फेज में स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रमों के अलावा विनियामक स्टाफ तथा विनियामकों के लिए परामर्श/जागरूकता कार्यक्रमों की महत्ता को भी नोट किया।

फोरम ने नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के उन्नयन, नवीनतम उपलब्धियां, भारत सरकार की पहल और विनियामक सहायत पर विचार किया। विचारविमर्श के बाद फोरम ने सिद्धांततः सौर के लिए आरईसी मल्टीपलायर की अवधारणा को पृष्ठांकित किया। फोरम को निर्बाध पहुंच रूट के माध्यम से नवीकरणीय उर्जा उत्पादक विद्युत संघटक की पात्रता से संबंधित नवीकरणीय पर कार्य समूह में विकसित मतैक्य के बार में सूचित किया गया। फोरम ने कार्य समूह की इस सिफारिश को नोट किया और पृष्ठांकित किया।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

2.2.1 भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा आरंभ करना

फोरम ने ''भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत'' पर अध्ययन की शुरूआत की और अध्ययन के लिए फोरम की सहायता हेतु परामर्शदाता के रूप में मैसर्स प्राइस वाटा हाउस कूपन की नियुक्ति की। अन्य बातों के साथ–साथ अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की समीक्षा (यूके पर प्राथमिक फोकस सहित) तथा विषयों में उत्तम पद्धतियों के अध्ययन, नेटवर्क के पृथक्करण के लिए वैकल्पिक सुझाव तथा भारत में विद्युत क्षेत्र परिदृष्य में वितरण में कारोबार आपूर्ति का अध्ययन किया जा सके ताकि भारत में वितरण की मौजूदा वास्तविकताओं के संबंध में भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुदरा आपूर्ति की सिफारिश की जा सके और भारत में खुदरा प्रतिस्पर्धा के कार्यान्वयन में विवेचनीय बाधा का पता लगाया जा सके।

रिपोर्ट में यूके, विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, फिलिपिन और केलिफोर्निया के खुदरा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अनुभव का अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ में रिपोर्ट में गुजरात और केरल के विशेष आर्थिक अंचल तथा मुम्बई में खुदरा उपभोक्ता चयन में अनुभव का अध्ययन किया। अध्ययन में प्रतिस्पर्धा में खुदरा बाजार को खोलने के लिए सांस्थानिक पूर्व शर्तों एवं आर्थिक वित्तीय तकनीकी शर्तों का पता लगाया। रिपोर्ट में संभव बाजार संरचना की सिफारिश की गई जिसमें नेटवर्क और आपूर्ति कारोबार को अलग करने, तीन वर्षों के बाद स्वामित्व के अलगाव, दूसरी आपूर्ति अनुज्ञप्ति को शामिल किया गया और हाइग्रिड मॉडल का सुझाव दिया गया जिसमें केवल एक उपभोक्ता का क्षेत्र (एक मेगावाट और अधिक भार) प्रतिस्पर्धा के लिए आरंभिक रूप से खोला जाएगा। अध्ययन में स्पष्ट चयन सहित 6 वर्षों की अधिक अवधि में स्पष्ट मील के पत्थर सहित चरणबद्ध दृष्टि की सिफारिश की गई जिससे इस संव्यवहार को सरल बनाया जाएगा।

2.2.2 तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण

फोरम ने 'तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों के निर्धारण' पर अध्ययन आरंभ किया और अध्ययन को पूरा करने में फोरम को सहायता के लिए परामर्श दाता के रूप में मैसर्स मेधाज टेक्नो कंसेप्ट प्रा. लि. को नियुक्त किया। अध्ययन के उद्देश्य में संघटकवार एटीएण्डसी हानियों की संगणना सहित कुल एटीएण्डसी हानियों की संगणना, एटीएण डसी हानियों की विशिष्ट संघटक का पता लगाना शामिल है।

अध्ययन में कम उर्जा हानियों क्षेत्रों में एटीएण्डसी हानियों की कमी के लिए वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए अल्पकालिक एवं मध्यकालिक में उच्च उर्जा हानि क्षेत्रों के लिए अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक में अलग सिफारिशें की। इनके अलावा रिपोर्ट में एटीएण डसी हानियों के संघटकवार विश्लेषण किया गया और भावी एटीएण डसी हानियों की कमी के अध्ययन किए गए।

2.2.3 11वीं योजनावधि के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विनियामक फोरम को योजना सहायता का प्रभाव निर्धारण

फोरम ने '11वीं योजनावधि के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विनियामक फोरम को योजना सहायता का प्रभाव निर्धारण' पर अध्ययन किया और अध्ययन को पूरा करने में फोरम को सहायता के लिए परामर्श दाता के रूप में मैसर्स आईसीआरए मैनेमेंट कंसटेन्स सर्विसिज लि. को नियुक्त किया। अध्ययन के उद्देश्य में संघटकवार एटीएण्डसी हानियों की संगणना सहित कुल एटीएण्डसी हानियों की संगणना, एटीएण्डसी हानियों की विशिष्ट संघटक का पता लगाना शामिल है। अध्ययन के उद्देश्य में 11वीं योजन के दौरान एफओआर द्वारा किए गए अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रभाव निर्धारण पर व्यापक रिपोर्ट के तैयार करने को शामिल किया गया।

रिपोर्ट में कार्यक्रमों की व्यापक रेंज तथा विशेष पहलुओं पर ध्यान देते हुए फोरम द्वारा किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अध्ययन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए। प्रभाव तथा स्टेकहोल्डरों

के साथ गुणात्मक विचारविमर्श के आधार पर अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समग्र प्रभाव को संतोशजनक पाया गया और इसे एफओआर के उद्देश्यों के अनुरूप पाया गया।

2.2.4 मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण

फोरम ने 'मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए संघटकवार एटीएण्डसी हानियों का निर्धारण' पर अध्ययन किया और अध्ययन को पूरा करने में फोरम को सहायता के लिए परामर्श दाता के रूप में मैसर्स मैकॉन को नियुक्त किया। अध्ययन के उद्देश्य में संघटकवार एटीएण्डसी हानियों की संगणना सहित कुल एटीएण डसी हानियों की संगणना, एटीएण्डसी हानियों की विशिष्ट संघटक का पता लगाना शामिल है। अध्ययन के उद्देश्य में 11वीं योजन के दौरान एफओआर द्वारा किए गए अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रभाव निर्धारण पर व्यापक रिपोर्ट के तैयार करने को शामिल किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य में संघटकवार एटीएण्डसी हानियों की संगणना सहित कुल एटीएण्डसी हानियों की संगणना, एटीएण्डसी हानियों की विशिष्ट संघटक का पता लगाना शामिल है। अध्ययन में एटीएण डसी हानियों के संघटकवार विश्लेषण किया गया और भावी एटीएण डसी हानि कमी अध्ययन के लिए सुझाव दिए गए। अध्ययन में वितरण प्रणाली के एटीएण्डसी हानियों की कमी के लिए उपायों की सिफारिश की गई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और एचवीडीएस के प्रयोग, इंसुलेटिंग कंडक्टर को आरंभ करते हुए अर्थात एरियल बंच कंडक्टर और नियमित सतर्कता गतिविधियों को बढ़ाना, उर्जा लेखांकन करना और वितरण प्रणाली की संघटकवार एटीएण्डसी हानियों के उचित परिमापन के लिए नियमित आधार पर ऑडिट और उच्च हानि मण्डल में वितरण फ्रेंचाइज मॉडल के अपनाने से वितरण प्रणाली की उर्जा और चोरी में कमी के लिए उपाय शामिल हैं।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

फोरम का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विद्युत विनियामक आयोगों के कार्मिक का क्षमता निर्माण। फोरम में वर्ष के दौरान विद्युत विनियामक आयोगों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। आईआईएम अहमदाबाद (यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय दौरे सहित) में 8–12 जुलाई, 2013 के दौरान पांच दिवसीय उन्मुक्ता कार्यक्रम, आईआईटी कानपुर 9–14 फरवरी 2014 के दौरान छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए तथा आईआईटी कानपुर (बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय दौरे सहित) में 9–14 फरवरी 2014 के दौरान छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं एनपीटीआई में 26–27 फरवरी, 2014 के दौरान सीजीआरएफ एण्ड ओमबडसमेन के अधिकरियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

2013–14 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां

3.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की।

आयोग ने 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 जारी किया जो 01.04. 2014 से लागू हुआ। इक्विटी पर रिटर्न की बेसदर क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए 15.5 प्रतिशत रखी गई। परियोजना के समय से पूरा होने के उद्देश्य से 0.50 प्रतिशत की इक्विटी की अतिरिक्त रिटर्न परियोजनाओं को उपलब्ध करवाई गई जो विनिर्दिष्ट समय के अंदर आरंभ की गई। इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ की गई। स्टेशन हीट दर, द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग और सहायक उर्जा उपभोग के कारण वित्तीय लाभ उत्पादन केन्द्र और हिताधिकारियों के बीच 60:40 के अनुपात में शेयर करने की अनुमति दी गई।

आयोग ने 30.7.2012 और 31.7.2012 को ग्रिड व्यवधान को देखते हुए गठित जांच समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पसोको द्व ारा प्रस्तुत सुझावों की विधिवत जांच की और यह निर्णय किया कि सीईए योजना मानदण्ड के अनुसार कुल अंतरण क्षमता की संगण ना वस्तुगत होनी चाहिए और अन्तरराज्यिक पारेषण लाइनों की अंतरण क्षमता के अधिकतम प्रयोग में होनी चाहिए। तदनुसार आयोग ने संकुलता प्रभार विनियम 2009 के विनियम 4(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तृत क्रियाविधियों के पुनरीक्षण एक अनुमोदित किया।

आयोग ने नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्रों के लिए फ्रेमवर्क के लिए बाजार का सृजन किया और केविविआ (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 अधिसूचित किया। नवीकरण ीय उर्जा प्रमाणपत्रों की अवधारणा इन विनियमों में स्पष्ट की गई है ताकि उनकी नवीकरणी क्रय बाध्यताओं की पूर्ति के लिए बाध्य कंपनियों की अपेक्षा और नवीकरणीय उर्जा स्रोतों की उपलब्ध ाता के बीच असंतुलन का पता लगाया जा सके। आयोग ने आरईसी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के प्रयास में और कुछ मुद्दों के पता लगाने और संदिग्धताओं को दूर करने का प्रयास किया जो आरईसी विनियमों के दूसरे संशोधन को जारी किया और जो इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे हैं।

व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें और क्रियाविधि के भाग के रूप में और विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों में विद्युत बाजार को मॉनिटर और विकसित करने के उद्देश्य से आयोग ने जारी किए गए अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के आधार पर 'अंतःराज्यिक व्यापार' की अर्हकता से मूल सिद्धांतों को संशोधित किया। इसके अलावा उनकी वेबसाइट पर अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचना दर्ज करने के ढंग को व्यापार अनुज्ञप्तिध जारी करने के लिए आवेदन के नए फॉर्मेट को विनिर्दिष्ट किया गया और व्यापार अनुज्ञधिारियों द्वारा वार्षिक रूप से द्विपक्षीय और पावर एक्सचेंज संव्यवहारों के संबंध में सूचना दाखिल करने को आरंभ किया गया।

आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण विनियम 2008 में निर्बाध पहुंच को संशोधित किया जिसके द्वारा एसएलडीसी से कंपनी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा आरंभ की गई।

फोरम को सचिवीय सेवा प्रदान करने के अलावा आयोग एफओआईआर और साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

3.2 आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

टैरिफ आदेश समय–समय से जारी किए गए।

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2013–14 में अधिसूचित किए गए:

- एपीईआरसी (निर्बाध पहुंच संव्यवहार के लिए अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन्न कोड) प्रथम संशोधन विनियम, 2013
- एपीईआरसी (कारोबार का संचालन) तीसरा संशोधन विनियम, 2013.
- एपीईआरसी (बिजली की आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य पर अनुरोध
- एपीईआरसी (अधिकारियों एवं स्टाफ की सेवा शर्तों और भर्ती की विधि
- एपीईआरसी (अनुपालन परीक्षण) विनियम, 2013)
- एपीईआरसी (कार्यनिष्पादन के मानक अनुज्ञप्तिधारी) दूसरा संशोधन विनियम, 2013

- एपीईआरसी (स्थायी काउंसेल की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के भुगतान की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2013
- एपीईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारी) विनियम, 2013
- एपीईआरसी (फीस) पहला संशोधन विनियम, 2013
- एपीईआरसी (प्रतिभूति जमा) पहला संशोधन विनियम, 2013
- एपीईआरसी (विद्युत की खुदरा बिक्री और विलिंग के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) पहला संशोधन विनियम, 2014

3.3 बिहार विद्युत विनियामक आयोग

आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2013–14 में अधिसूचित किए गए:

- बीईआरसी (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें
- बीईआरसी (सौर एनर्जी स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014
- बीईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014
- परामर्शदाता की नियुक्ति विनियम, 2013
- परामर्शदाता की नियुक्ति प्रथम संशोधन विनियम, 2015
- अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित आपूर्ति लाइन को हटाने के उद्देश्य के लिए सहायक इलैक्ट्रिकल इंजीनियर और अधिकृत जूनियर इलैक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में अधिसूचना
- पारेशण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, 2013 के अन्य कारोबार के आय का विवेचन

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग ने निम्नलिख्ति आदेश जारी किए:

- मैसर्स बिहार ग्रिड कंपनी लि. के लिए पारेशण लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंस। लाइसेंस अंतःराज्यिक पारेशण लाइन के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए बिहार ग्रिड कंपनी को प्रदान किए गए।
- बिहार राज्य ने बगासे आधारित ग्रिड संबद्ध सह–उत्पादन परियेजनाओं के लिए टैरिफ संरचना और टैरिफ दर की समीक्षा के लिए याचिका भारत के सहउत्पादन एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई।
- बीईआरसी (सौर उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 35 में केप्टिव पावर के लिए नेटमीटरिंग सुविधाएं या सौर पावर बैंकिंग के प्रावधान के लिए याचिका।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए बिहार ग्रिड कंपनी के कारोबार योजना का अनुमोदन।

3.4 छत्तीसगढ़ विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के CSPGCL, CSPTCL, CSPDCL के लिए ट्रूअप और टैरिफ याचिकाओं पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 10-11 एवं 12-13 JSPL – D के लिए ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एआरआर का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 10-11 एवं 12-13 JSPL – T के लिए ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एआरआर का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के JSPL – D के लिए रिटेल टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के JSPL – T के लिए रिटेल टैरिफ वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अवधारण
- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए।
- सीएसईआरसी (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रूफटॉप पीवी सौर पावर परियेाजना से विद्युत के क्रय के लिए टैरिफ का अवधारण) विनियम, 2013
- सीएसईआरसी (आरपीओ और आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन) विनियम, 2013
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम संशोधन) 2013
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन. प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

3.5 दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान डीईआरसी की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- पारेषण और विलिंग प्रभारों, क्रॉस सब्सिडी प्रभारों, अतिरिक्त प्रभारें और निर्बाध पहुंच के अधीन अन्य लागू प्रभारों के अवध ारण के मामले पर आदेश जारी किया।
- डीईआरसी अधिसूचित (नवीकरणीय उर्जा के लिए नेट मीटरिंग) विनियमए 2014
- डिस्कॉम वाइज अनुसूचीकरण डीईआरसी द्वारा कार्यान्वित किया गया।

3.6 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित कार्य किए:

- ग्रिड कोड विनियम: जीईआरसी ने केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप 25.8.2004 की अधिसूचना संख्या 5/2004 के माध्यम से ग्रिड कोड अधिसूचित किया।
- बायोमास एवं बगासे टैरिफ आदेश: आयोग ने 2013 के आदेश संख्या 4 के माध्यम से नियंत्रण अवधि 1 अगसत, 2013 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए बगासे आधारित सहउत्पादन परियोजा और बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं से गुजरात में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और अन्यों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ को अवधारित किया।
- जीईआरसी (अंतःराजियक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 प्रथम संशोधन 2014 की अधिसूचना संख्या 1 को 4.3.2014 को जारी किया गया और 1.4.2014 को प्रभावी हुआ। उक्त संशोधन में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार दीर्घकालिक/मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के साथ बराबर हुए और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच पर 6 माह की केपिंग हटा ली गई।
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से उर्जा की प्राप्ति) विनमय 2010 (प्रथम संशोधन) विनियम 2014: आयोग ने गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से उर्जा की प्राप्ति) विनमय 2010 दिनांक 17.4.2010 को अधिसूचित किया। उक्त विनियमों में FY 2010.11, 2011.12 और 2012.13 के लिए नवीकरणीय क्रय बाध्यता की व्यवस्था है। आरपीओ वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में विनिमय अवधि में विनिर्दिष्ट किया गया। इसलिए आयोग ने भावी अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17 तक के लिए आरपीओ प्रतिशत को निर्धारित करने का निर्णय किया।

3.7 जम्मू एण्ड कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:–

- जेकेएसईआरसी (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियमय
- जेकेएसईआरसी (लाइसेंसिंग) विनियम;
- स्टेकहोल्डरों से सुझाव/टिप्पणियों की मांग के लिए अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तों पर ड्राफ्ट विनियम जारी किया

आयोग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:–

- विद्युत विकास विभाग के वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक 3–वर्षीय एमवाईटी अवधि के लिए कारोबार योजना पर आदेश
- वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए रिटेल टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक 3–वर्षीय एमवाईटी अवधि के लिए एआरआर पर आदेश
- विद्युत विकास विभाग के वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ एवं एआरआर पर आदेश
- जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (उत्पादन कंपनी) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए टैरिफ एवं एएफसी के अवधारण पर आदेश
- जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (उत्पादन कंपनी) के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टैरिफ एवं एएफसी के अवधारण पर आदेश)

इसके अतिरिक्त, आयोग ने श्रीमा वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के माध्यम से 'जम्मू कश्मीर राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के माइण्डसेट और मनोविज्ञान का अध्ययन और जम्मू कश्मीर में विद्युत हानियों का समाजिक प्रभार: कार्यनिष्पादन चुनौतियां और अवसर' शीर्षक से अध्ययन आरंभ किया।

3.8 झारखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोग द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

- नवीरकणीय स्रोत से विद्युत के क्रय के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट द्वारा दायित्व पूरा करने के मामले में 20.03.2014
- 11.3.2014 के मामला संख्या 08/2009 में पारित 20.2.2011 के आदेश के अनुपालन के लिए आवेदन 11.3.2014 के मामला संख्या 07/2009 में पारित 26.2.2011 के आदेश के अनुपालन के लिए आवेदन 17.2.2014 को आवेदक के परिसर में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध न करवाना
- जेएसईआरसी (वितरण टैरिफ के अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम 2012 दिनांक 13.02.2014 के खण्ड 6.4,6.59,6.6,6.61,6.62,6.63,6.64 और 6.65 के अधीन पुनरीक्षण की मांग करते हुए आवेदन पर आदेश

निम्नलिखित विनियम वित्तीय वर्ष 2013–14 में अधिसूचित किए गए:

- जेएसईआरसी (कारोबार संशोधन का संचालन) विनियम 2014 24.02.2014 को अधिसूचित

3.9 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघशासित प्रदेश)

आयोग ने निम्नलिखित में आदेश जारी किए:

- टैरिफ विनियम 2009 के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें गोवा एवं संघशासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी के विनियम 2015 के अनुसार हानि कमी कार्यक्रम

- उपभोक्ता मीटरिंग रीडिंग और बिलिंग श्रेणीवार
- नवीकरणीय क्रय बाध्यता के संबंध में गोवा राज्य और संघशासित प्रदेशों (नवीकरणीय उर्जा की प्राप्ति) विनियम 2010 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का अनुपालन
- चंडीगढ़ के संघशासित के विद्युत विभाग में इस प्रकार की उर्जा की बिक्री के लिए और चंडीगढ़ नवीकरणीय उर्जा विज्ञान और तकनीकी उन्नयन सोसायटी के रूफटॉप सौर फोटोवॉलटेनिक पावर प्रोजेक्ट के लिए नेट मीटरिंग के अधीन वरीयता टैरिफ के अवधारण की मांग के लिए गोवा एवं संघशासित प्रदेश (नवीकरणीय उर्जा की प्राप्ति) विनियम 2010 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62, 86 और 181 के अधीन याचिका।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए।

- विद्युत अधिनियम 2003 विनियम 2013 की धारा 126 के अध ीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश से अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए क्रियाविधि .
- विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम संशोधन विनियम), 2013.
- विद्युत आपूर्ति कोड (दूसरा संशोधन विनियम), 2013.
- कारोबार का संचालन ठनेपदमे (प्रथम संशोधन विनियम), 2013.
- कारोबार का संचालन (दूसरा संशोधन विनियम), 2013
- ओमडसमैन की कार्यप्रणाली और नियुक्ति (प्रथम संशोधन विनियम), 2013

3.10 संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

- टैरिफ आदेश मणीपुर और मिजोरम दोनों के विद्युत विभागों के लिए जारी किए।
- मणीपुर में विद्युत में अंतःराज्यिक व्यापार के लिए मैसर्स ईटरनिटी पार्टनर को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई।
- मिजोरम और मणीपुर में विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ता जागरूकता आयोजित की गई।
- स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय फोरम बैठकें तथा राज्य सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई।

3.11 कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

- एमवाईटी फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–2016 के लिए पारेषण टैरिफ और ीन वित्तीय वर्ष 2014–2016 के लिए एआरआर और 2012 के लिए केपीटीसीएल की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2014 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2014–16 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2012 के लिए सीईएससी वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश
- वित्तीय वर्ष 2014 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2014–16 के लिए एआरआर वितीय वर्ष 2012 के लिए डिस्कॉम (एस्कॉम एवं बेस्कॉम) वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा पर आदेश
- हुकेरी रेक्स के वित्तीय वर्ष 2014 के लिए टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2014–16 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2012 के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा
- एमवाईटी फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2013 के लिए पारेषण टैरिफ और संशोधित ईआरसी के अनुमोदन व वित्तीय वर्ष 2011 के लिए केपीटीसीएल का एपीआर पर आदेश 24.10. 2013–6.13 का डिस्काम के लिए आयोग के टीओ में शुद्धि

3.12 केरल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- केरल विद्युत आपूर्ति कोड 2014: एफओआर के मॉडल आपूर्ति कोड, विद्युत मंत्रालय के आदेश, केविविआ एपटेल और माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर उक्त आपूर्ति कोड को संशोधि ात करते हुए विचार किया गया। सामान्य आपूर्ति कोड के अलावा प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए 'आपूर्ति की निबंधन व शर्तें' अलग करने की पूर्ववर्ती पद्धति की गई। अब आपूर्ति कोड सभी अनुज्ञप्तिधारियों और उपभोक्ताओं तथा राज्य में अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए लागू हैं।
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इन्टरैक्टिव वितरण सौर उर्जा प्रणाली) विनियम, 2014.
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच और संयोजकता) विनियम, 2013

3.13 मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 6 टैरिफ आदेश जारी किए:

- एमपीईआरसी का प्रथम संशोधन (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए विद्युत ओमबडसमैन और फोरम की स्थापना) (पुनरीक्षण.I) विनियम, 2009
- मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2013
- एमपीईआरसी का दूसरा संशोधन (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004
- मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का प्रथम संशोधन (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें
- एमपीईआरसी का पांचवा संशोधन (आपूर्ति के प्रयोजन के लिए

प्रयुक्त संयंत्र या इलेक्ट्रिक लाइन प्रदान करने के लिए व्यय तथा अन्य प्रभारों की वसूली (पुनरीक्षण I), 2009

3.14 महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, आयोग ने दो विनियम अधिसूचित किए, वे हैं:

- एमईआरसी (मिहान के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी लि. के लिए लागू वितरण लाइसेंस की विशेष शर्तें) विनियम, 03 दिसंबर 2013
- एमईआरसी (थाने, एरोली IT/ ITES SEZ के लिए मैसर्स सीरीन प्रोपर्टीज प्रा. लि. (एसपीपीएल) के लिए लागू वितरण लाइसेंस की विशेष शर्तें) विनियम, 21 अगस्त 2013

आयोग ने निम्नलिखित के लिए टैरिफ के निबंधन और एआरआर पर आदेश भी जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. के यूनिट नं. 5 खपरखेड़ा के टैरिफ और पूंजी लागत का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आर इन्फ्रा (उत्पादन कारोबार) के लिए दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण और एआरआर का अनुमोदन
- जयगढ़ पावर ट्रांसमीशन कम्पनी लि. (जेपीटीएल) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर का ट्रूइंगअप)
- आर इन्फ्रा ट्रांसमीशन बिजनेस के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अनुमोदन
- आर इन्फ्रा ट्रांसमीशन बिजनेस के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए ट्रूइंगअप
- टीपीसी के उत्पादन कारोबार के संबंध में में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ और और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर
- वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए डैम्क्स्र्ष डल्ज कारोबार योजना का अनुमोदन
- आर इन्फ्रा डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस के संबंध में वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अंतिम ट्रूअप
- वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी और वित्तीय वर्ष 2010–11 और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए BEST (बेस्ट) का एआरआर का ट्रूइंगअप
- टीपीसी के उत्पादन कारोबार के संबंध में में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी और और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर
- आर इन्फ्रा डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस के संबंध में (वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2015–16) दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी का अवधारण और एआरआर
- वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए MEGPTCL के कारोबार योजना का अनुमोदन
- डैम्ब्ज़् के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12, वित्तीय वर्ष 2012–13 का एपीआर और वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अंतिम ट्रूइंगअप।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए MSLDC का प्रचालन लागत के लिए बजट।
- MSPGCL के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एमवाईटी का अंतिम ट्रूअप
- MSEDCL के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए अंतिम ट्रूअप

3.15 नागालैंण्ड विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया। आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- एनईआरसी (प्रतिभूति जमा) त्महनसंजपवदेए 2013

3.16 उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग

- राज्य उत्पादकों, एसटीयू बल्क सप्लायर और सभी डिस्कॉम के एआरआर और टैरिफ प्रतयेक वर्ष निध्ररित किए जा रहे हैं। कंपनियों ने प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक अपने एआरआर आवेदन दाखिल किए हैं और सार्वजनिक सुनवाइयों की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं इसलिए आयोग ने आवेदन 120 दिनों के अंदर टैरिफ आदेश और एआरआर जारी करता है जो आगामी वर्ष के लिए लागू होगा।
- नवीकरणीय क्रय बाध्यता, उर्जा संरक्षण और मांग पक्ष प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करना।
- रूफटॉप सौर पीवी प्रोजेक्ट और उनकी संयोजकता के लिए निवल मीटरिंग/द्विदिशा मीटरिंग पर आदेश जारी करना।
- वाणिज्यिक प्रभाव सहित वास्तविक समय में ग्रिडको और डिस्कॉम को कवर करते हुए अंतःराज्यिक एबीटी (फेज–1) का कार्यान्वयन।

- गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति और हानि कमी के लिए केपेक्स कार्यक्रम के माध्यम से वितरण क्षेत्र में निधि।
- ट्रूइंगअप का प्रभाव और प्रत्येक वर्ष में सभी डिस्कॉम के एआरआर के ट्रूइंगअप के अगले वर्ष के एआरआर में पता लगाई जा रही है।
- बूट मॉडल के अधीन डिस्कॉम में स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन (AMR&AMI) का कार्यान्वयन।
- हाई एटीएण्डसी हानि क्षेत्र में इनपुट आधारित फ्रेंचाइज का प्रचालन।
- डिस्कॉम के संपूर्ण कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट और वार्षिक उत्पादित रिपोर्ट।
- पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (ओपीटीसीएल) का वार्षिक प्रणाली कार्यनिष्पादन का प्रकाशन।
- वितरण प्रणाली की मौजूदा स्थिति के निर्धारण और सुधार के लिए सिफारिशों के लिए एसएसी के तीन सदस्यों सहित कार्यनिष्पादन के मानक और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन।
- केपेक्स में प्रगति की मॉनिअरिंग के लिए एसएसी सदस्य का शामिल होना और बड़े उपभोक्ता संबद्ध मुददों का समाधान।

3.17 पंजाब विद्युत विनियामक आयोग

आयोग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन वर्णित की गई हैं:

1. टैरिफ आदेश को जारी कारना वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पीएसपीसीएल और पीएसपीसीएल टैरिफ आदेश 10.04.2013 को जारी किया गया।
2. नवीकरणी उर्जा से उत्पादन का उन्न्यनः उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सहउत्पादन और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) में दिया गया है आयोग ने अपने विनियमों के अनुसार याचिका संख्या 2013 का 37 (स्वप्रेरणा) में 25.6.2013 के आदेश में वित्तीय वर्ष 2013–14 में आरंभ की गई नवीकरणीय उर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए जेनरिक स्तरीकृत उत्पादन अवधारित किया। आयोग ने नवीरकरणीय उर्जा उत्पादक दाखिल की गई याचिकाओं के माध्यम से उत्पादन अवधारित किया।
3. उपभोक्ता क्षमता निर्माण पहलरू तीन टायर उपभोक्ता निवारण विद्युत उपभोक्ताओं के शिकायतों का पता लगाने के लिए है। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए विवाद व्यवस्थापन्न समितियां अंचल मण्डल प्रभागीय स्तर पर 2006 से कार्य कर रही हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम 2006 से कार्य कर रहा है जिसका मुख्यालय पटियाला में है। ओमडससमैन विद्युत पंजाब मोहाली 2006 से अस्तित्व में है। आयोग इन निवारण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है।
4. आयोग के लिए विद्युत के उत्पादन और पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर याचिकाएं: विद्युत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग के समक्ष दाखिल की गई हैं। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान आयोग ने 67 याचिकाओं का निर्णय किया गया है जो टैरिफ के अवधारण, ईंधन अधिभार के उदग्रहण, निर्बाध पहुंच की अनुमति, विद्युत क्रय करारों का अनुमोदन, पारोण/विलिंग प्रभारों का निर्धारण इत्यादि जैसे विषय उनके समक्ष आए।
5. वित्तीय वर्ष 2013–14 में विनियमों की अधिसूचनाः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में 8 विनियमों को अधिसूचित किया।

3.18 सिक्किम विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमडससमैन की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें) आदेश, 2014

आयोग ने निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित कियाः

- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति और इसके कार्यों का संविधान) विनियम, 2013
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम, 2012
- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन, पारेषण, विलिंग और वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम,

3.19 तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- उत्पादन और वितरण के लिए टैरिफ का अवधारण
- TNERC (नवीकरणीय उर्जा क्रय बाध्यता) विनियम, 2010 के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए TANGEDCO द्वारा उर्जा खरीद की पूल्ड कॉस्ट पर आदेश

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- कारोबार का संचालन विनियम का संशोधन
- TNERC (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता) विनियम, 2010 का संशोधन
- विद्युत ओमबडससमैन और उपभोक्ता निवारण फोरम के विनियम के संशोधन

- एसएसी विनियमों का संशोधन
- तमिलनाडु विद्युत ग्रिड कोड का संशोधन
- कार्यनिष्पादन कोड के वितरण मानक का संशोधन

3.20 त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वर्ष 2013–14 के लिए टैरिफ पुनरीक्षण और वर्ष 2013–14 एआरआर के लिए टैरिफ पुनरीक्षण और एआरआर के लिए याचिका

3.21 उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

- सड़कों की तरफ विक्रेताओं/झोपड़ियों और MAJAREs के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा के लिए आपूर्ति कोड में संशोधन
- प्री–पेड मीटरिंग के कार्यान्वयन की सुविधा
- वितरण और पारेषण कंपनियों के लिए
- वितरण कंपनी की कुशलता से संबद्ध टैरिफ/विनियामक अधिभार

3.22 उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग

वर्ष 2013–14 के दौरान इस आयोग की उपलब्धियों को नीचे दिया गया है:

- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए यूपीसीएल (राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी) के लिए टैरिफ आदेश जारी किए, जिसमें 50% मांग की अपेक्षा खुदरा दरों में 5% की वृद्धि हुई थी।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए यूजेवीएन लि. (उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादक कंपनी) के लिए टैरिफ आदेश जारी किए, जिसमें आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुमोदित RS.485.46 करोड़ की अपेक्षा RS.445.12 करोड़ एएफसी की उत्पादक कंपनियों को अनुमोदित किए।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पीटीसीयूएल (उत्तराखण्ड राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) के लिए टैरिफ आदेश जारी किए, जिसमें आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुमोदित RS. 159.54 करोड़ की अपेक्षा RS. 195.63 करोड़ एएफसी की उत्पादक कंपनियों को अनुमोदित किए।
- आयोग ने यूईआरसी (नवीकरणीय क्रय बाध्यता अनुपालन) विनियम, 2010 के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए (APPC) अनुमोदित किया।
- आयोग ने 12.03.2014 तक अनुपालन के लिए अन्य बाध्यकारी समूहों द्वारा अनमेट आरपीओ आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया।

3.23 पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए WBSEDCL APR का आदेश
- वर्ष 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014 के लिए, WBSEDCL के टैरिफ आवेदन के बारे में आदेश
- वर्ष 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014 के लिए, WBSETCL के टैरिफ आवेदन के बारे में आदेश
- वर्ष 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014 के लिए, CESC के टैरिफ आवेदन के बारे में आदेश
- वर्ष 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014 के लिए, DPSCL के टैरिफ आवेदन के बारे में आदेश
- वर्ष 2011.2012, 2012.2013 और 2013.2014 के लिए, दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. के टैरिफ आवेदन के बारे में आदेश

आयोग ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए:

- डब्ल्यूबीईआरसी (आरईसी मैकेनिज्म के लिए नवीकरणीय उत्पादन परियोजना की प्रक्रिया) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (विविध प्रावधान) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (ओमबडसमैन द्वारा ऐसी शिकायतों के निपटान और समय और उपभोक्तओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (लाइसेंसिंग और लाइसेंस की शर्तें) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (फीस) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (उपभोक्ताओं सेवाओं से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013
- डब्ल्यूबीईआरसी (उपभोक्ताओं सेवाओं से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एफओआर की वार्षिकी विवरणी

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालय मार्फत केविविआ
तीसरी व चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

हमने 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की सलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वितीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना हैं

हमनें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आष्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते है और कार्यनिश्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच की जाती है जिसे वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रगटन ने सहायता ली जाती है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए षामिल किया जाता है।

इसके अलावा क्षमता निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त रू.45.00 लाख की वित्तीय सहायता राषि वित्तीय वर्ष 2014–15 में आगे ले जाई गई।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पश्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धान्तों के अनुसार इसे उचित एवं सही रूप में दिया गया है।

क) 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
(ए.के. अवस्थी)
साझेदार

सदस्यता सं. 072519
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17/06/2014

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि (₹में)

विवरण	अनुसूची	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार
निधि का स्रोत			
कोरपस निधि		**37010643**	37010643
योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श)	**1**	**9312743**	14349870
एमएनआरई निधि (आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)	**2**	**9805454**	9672934
अधिशेष निधि (आय एवं व्यय खाते से अंतरित)	**3**	**24427383**	23054683
चालू देयताएं			
प्रतिदेय व्यय	**4**	**4418913**	754750
प्रतिदेय व्यय (योजना निधि)		**-**	233750
अग्रिम में प्राप्त सदस्यता शुल्क		**-**	300000
नकदी खाता (बैंक शेष)	**5**	**103613**	396068
कुल		**85078749**	**85772698**
निधि का प्रयोग			
अचल आस्तियाँ	6		
सकल अचल आस्तियाँ		609919	609919
घटा : मूल्यह्रास		557780	529930
निवल अचल आस्तियां		52139	79989
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
ऋण एवं अग्रिम	7	2381643	4194435
जमा प्रतिभूति (एमटीएनएल)		3000	3000
नकद एवं बैंक शेष	8	82641967	81495273
कुल		**85078749**	**85772698**
लेखा नीतियां और लेखा पर नोट	**9**		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि (₹में)

विवरण	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार		31.3.2013 की स्थिति के अनुसार	
आय	-			
	-			
सदस्यता अंशदान		**8700000**		9300000
बचत खाते पर ब्याज		**756**		1449
कोरपस निधि एफडीआरआर पर ब्याज (टीडीएस = ₹ 3,52,029/–)		**3520321**		3692445
आटो स्वीप एफडीआर पर ब्याज (टीडीएस = ₹ 2,05,672/–)		**2056674**		814437
एफडीआर ब्याज (टीडीएस = ₹ 5,786/–)		**57866**		1328482
रिटन–ऑफ अधिक प्रावधान		**4378**		-
कुल–क		**14339995**		**15136813**
व्यय	-			
	-			
बैठक एवं सेमिनार व्यय		**1140215**		2427433
वेतन व्यय		**2124688**		2178988
क्षमता निर्माण व परामर्श		**4877788**		7688071
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान (पूर्व वर्षों के लिए प्राप्य टीडीएस)		**1884216**		-
सचिवालय व्यय				
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**80398**		305639	
ऑडिट फीस	**19800**		19800	
बैंक प्रभार	**676**		1743	
कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	**-**		64969	
मूल्यह्रास	**27850**		60738	
श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**231035**		-	
विधिक एवं व्यवसायिक प्रभार	**554476**		1416030	
अन्य व्यय	**342448**		538849	
टेलीफोन व्यय	**34966**		54714	
मुद्रण एवं लेखन साम्रगी व्यय	**6069**		14654	
यात्रा व्यय	**42670**		312825	
प्रशासनिक व्यय	**1600000**	**2940388**	540000	3329961
कुल – ख		**12967295**		15624453
वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष (घाटा) (क–ख)		**1372700**		**(487640)**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–1

योजना निधि

(परामर्श एवं क्षमता निर्माण)

राशि (₹में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–2014	वित्तीय वर्ष 2012–2013
आरंभिक शेष	**14349870**	-
जोड़ेः		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 53,380/–)	**534903**	225045
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	**4500000**	15000000
अन्य आय	**4015**	**-**
कुल	**19388788**	15225045
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	**3003083**	407675
क्षमता निर्माण	**7036515**	467500
बैंक प्रभार	**272**	-
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापसी	**36175**	-
कुल	**10076045**	875175
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**9312743**	**14349870**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–2

एमएनआरई निधि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)

राशि (₹में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–2014	वित्तीय वर्ष 2012–2013
आरंभिक शेष	**9672934**	9639056
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज **(टीडीएस = ₹ 65,070/–)**	**651758**	688499
कुल	**10324692**	10327555
घटा : वर्ष के दौरान प्रयोग :		
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क	**519182**	654551
बैंक प्रभार	**56**	70
कुल	**519238**	**654621**
अगले वर्ष में आगे ले जाया गया शेष	**9805454**	**9672934**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–3

अधिशेष निधि

राशि (₹में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–2014	वित्तीय वर्ष 2012–2013
आरंभिक शेष	**23054683**	23542323
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष/(घाटा) (आय एवं व्यय लेखा के अनुसार)	**1372700**	(487640)
कुल	**24427383**	**23054683**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–4

प्रतिदेय व्यय

राशि (₹में)

विवरण	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
प्रतिदेय प्रशासकीय लागत (केविविआ को सचिवालय लागत)	**1600000**	-
विज्ञापन एव प्रचार व्यय	**70054**	185694
प्रतिदेय लेखापरीक्षा की फीस	**19800**	19800
प्रतिदेय कैंटिन व्यय	**7023**	2439
प्रतिदेय कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	**-**	33872
प्रतिदेय मकान किराया भत्ता	**18462**	-
प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग)	**23654**	-
प्रतिदेय मीटिंग व्यय	**-**	1697
प्रतिदेय कार्यालय व्यय (केविविआ गेस्ट हाउस)	**311990**	388364
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	**1225**	-
प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (फोरम फंड)	**551667**	-
प्रतिदेय वेतन	**302040**	-
प्रतिदेय टेलीफोन व्यय	**2194**	6096
प्रतिदेय ट्रेनिंग व्यय (फोरम फंड)	**1510804**	-
प्रतिदेय यात्रा व्यय	**-**	116788
कुल	**4418913**	**754750**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–5

31.03.2014 को बैंक शेष

राशि (₹में)

विवरण	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
बैंक ऑफ इंडिया – 2258	**51408**	**12566**
कार्पोरेशन बैंक – CLSB/01/120018	**52205**	383502
कुल	**103613**	**396068**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–6

अचल आस्ति अनुसूची

31 मार्च, 2014 को आय कर के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	01.04.2013 को लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	01.04.2013 को	आरंभ में	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां पर	31.03.2014 तक कुल	31.03.2014 को	31.03. 2013 को
कंप्यूटर	**509045**	0	0	**509045**	**478272**	18464	0	0	**496736**	**12309**	30773
प्रिंटर	**32198**	0	0	**32198**	**14735**	2619	0	0	**17354**	**14844**	17463
हीट ब्लोवर	**16200**	0	0	**16200**	**5374**	1624	0	0	**6998**	**9202**	10826
माईक्रोवेव	**7200**	0	0	**7200**	**2388**	722	0	0	**3110**	**4090**	4812
यूपीएस	**17451**	0	0	**17451**	**5788**	1750	0	0	**7538**	**9913**	11663
लैपटॉप	**27825**	0	0	**27825**	**23373**	2671	0	0	**26044**	**1781**	4452
कुल	**609919**	**0**	**0**	**609919**	**529930**	27850	0	0	**557780**	**52139**	79989
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	609919	0	0	609919	469192	60738	0	0	529930	79989	

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

ऋण एवं अग्रिम

राशि (₹में)

विवरण	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
स्रोत पर काटा गया कर		
वित्तीय वर्ष 2005–06 के स्रोत पर काटा गया कर	**22073**	22073
वित्तीय वर्ष 2006–07 के स्रोत पर काटा गया कर	**261060**	261060
वित्तीय वर्ष 2007–08 के स्रोत पर काटा गया कर	**453260**	453260
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–बैंक ऑफ इंडिया	**98840**	98840
वित्तीय वर्ष 2008–09 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**402430**	402430
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर– बैंक ऑफ इंडिया	**315090**	315090
वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्रोत पर काटा गया कर–सीबी	**17509**	17509
वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्रोत पर काटा गया कर	**313954**	313954
	1884216	1884216
वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्रोत पर काटा गया कर	**483006**	483006
वित्तीय वर्ष 2012–13 के स्रोत पर काटा गया कर	**670063**	670063
वित्तीय वर्ष 2013–14 के स्रोत पर काटा गया कर	**681937**	-
	3719222	3037285
घटाएं: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	**1884216**	-
(अर्थात पूर्व वर्षों के लिए प्राप्य टीडीएस)		
कुल (क)	**1835006**	**3037285**
पूर्वप्रदत्त व्यय (मरम्मत एवं रखरखाव)		
वित्त वर्ष 2013–14 के लिए	-	441
वित्त वर्ष 2014–15 के लिए	**368**	368
कुल (ख)	**368**	**809**
बकाया अंशदान		
आरंभिक शेष	**125000**	300000
जोड़े : वर्ष के लिए प्राप्य	**-**	125000
घटा : वर्ष के दौरान प्राप्त	**125000**	300000
कुल(ग)	**-**	**125000**
उपचित ब्याज		
कॉर्पोरेशन बैंक के पास एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**-**	254180
कॉर्पोरेशन बैंक के पास कॉरपस निधि एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**151263**	147385
कॉर्पोरेशन बैंक के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**269235**	384832
बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	**-**	238144
कुल (घ)	**420498**	**1024541**
अन्य		
सहायक संपदा निदेशक (नकद), विज्ञान भवन, नई दिल्ली	**49000**	6800
आईटीडीसी लि. यूनिट विज्ञान भवन, नई दिल्ली	**26771**	-
ट्रेनिंग व्यय (आईआईएम, अहमदाबाद)	**30000**	-
भारतीय विनियामक फोरम	**20000**	-
कुल (ई)	**125771**	**6800**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ई)	**2381643**	**4194435**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता/–
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

अनुसूची–8

31.03.2014 को बैंक शेष

राशि (₹में)

विवरण	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
नकद खाता – अग्रदाय	**2500**	2500
बैंक ऑफ इंडिया – 2806	**26000**	26458
ऑटोस्वीप / फलेक्सी जमा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा :		
बैंक ऑफ इंडिया के पास (एमएनआरई A/c)	**9666824**	9510673
बैंक ऑफ इंडिया के पास (प्लान A/c)	**9240000**	14407000
कार्पोरेशन बैंक के पास (फोरम A/c)	**26696000**	17070999
एफडीआर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा :		
कार्पोरेशन बैंक के पास(कोरपस फंड)	**37010643**	37010643
कार्पोरेशन बैंक के पास (फोरम)	**-**	3467000
कुल	**82641967**	**81495273**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.के. अवस्थी एडं कंपनी
सनदी लेखाकार
F.RN. : 003405C

हस्ता / –
ए.के.अवस्थी
साझेदार
M. No. 072519

हस्ता / –
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16–06–2014

विनियामक फोरम
(31 मार्च 2014 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि
विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल है। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुषल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उदभूत आंकड़ों का संकलन।
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना।
- अधिनियम के अधीन यथाअपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

एमएनआरई की पृष्ठभूमि
एमएनआरई भारत सरकार ने आरईसी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एफओआर को 24.08.2010 को तीन करोड़ की राशि रिलीज की। 31.03.2014 तक 2.25 करोड़ रूपये तक रकम कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की गई जिसमें 1.53 करोड़ रूपये की प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। प्रयोक्ता प्रमाण पत्र की शेष रकम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट
1. लेखांकन की पद्धति
लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम 56 की धारा 211(3)(घ) के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता
प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यह्रास
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार बटटा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है। आस्तियों का बटटा खाते डाली गई पद्धति वित्तीय वर्ष 2012–13 तक नियत आस्ती अनुसूची में दर्शायी गई।

नियत आस्ती अनुसूची प्रस्तुति चालू वित्तीय वर्ष से परिवर्तित हो गई है जहां चालू वर्ष तक दी गई नियत आस्तियां और कुल मूल्यह्रास की सकल ब्लॉक का उल्लेख किया गया।

4. कराधान
विनियामक फोरम ने 13.12.2011 को आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई आयकर

विवरणी छूट प्रदान करने की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए दाखिल नहीं की गई है। सूचना/दस्तावेज 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीटी नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज जिसे क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1884216 रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2005–6 से 2010–11 के लिए टीडीएस आय एवं व्यय खाते में वसूली की संदिग्धता के रूप में उपलब्ध किया गया।

एफओआर वित्तीय वर्ष 2011–12 से छूट प्रदान करने की आशा से शून्य आय संगणना करते हुए आयकर विवरणी दाखिल करता रहा है।

5. तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य

कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2013 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

7. ऑटो स्वीप/फलेक्सी डिपॉजिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फलेक्सी डिपॉजिट में अल्पकालिक जमा और एफडीआर को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

8. वेतन व्यय

वित्तीय वर्ष 2012–13 तक मार्च माह के लिए वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। चालू वित्तीय वर्ष से 302040 रुपये की राशि मार्च 2014 माह के लिए वेतन के संबंध में देयता उपलब्ध करवाई गई है।

9. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनःव्यवस्था की गई।

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिव

अनुबंध I : 31.03.2014 को एफओरआर के सदस्य

विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
1	श्री गिरीश भा. प्रधान	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक फोरम के सदस्य		
2	डॉ. वी भास्कर	अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
3	श्री दिग्विजय नाथ	अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
4	श्री नाबा कुमार दास	अध्यक्ष, असम विद्युत विनियामक आयोग
5	श्री उमेश नारायण पानजीर	अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग
6	श्री नारायण सिंह	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग
7	श्री पी.डी. सुधाकर	अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
8		अध्यक्ष, गुजरात विद्युत विनियामक आयोग
9	आर. एन. पराशर	अध्यक्ष, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग
10	श्री सुभाष चंदर नेगी	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
11	श्री बशारत अहमद धर	अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग
12		अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग
13	श्री एस. के. चतुर्वेदी	अध्यक्ष, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
14		अध्यक्ष, मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
15	श्री एम. आर. श्रीनिवास मूर्ति	अध्यक्ष, कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग
16	श्री टी.एम. मनोहरन	अध्यक्ष, केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग
17	श्री राकेश साहनी	अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
18	सुश्री चन्द्र अय्यंगर	अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग
19	श्रीमान आनंद कुमार	अध्यक्ष, मेघालय राज्य विद्युत आयोग
20	श्री दोनारे ए. शिशाक	अध्यक्ष, नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग
21	श्री सत्यप्रकाश नंदा	अध्यक्ष, ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग
22	सुश्री रोमिला दूबे	अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग
23	श्री विश्वनाथ हिरेमथ	अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
24		अध्यक्ष, सिक्किम राज्य बिजली विनियामक आयोग
25		अध्यक्ष, तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग
26	श्री निहारेन्दु चक्रवर्ती	अध्यक्ष, त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग
27	श्री देश दीपक वर्मा	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
28		अध्यक्ष, उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग
29		अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

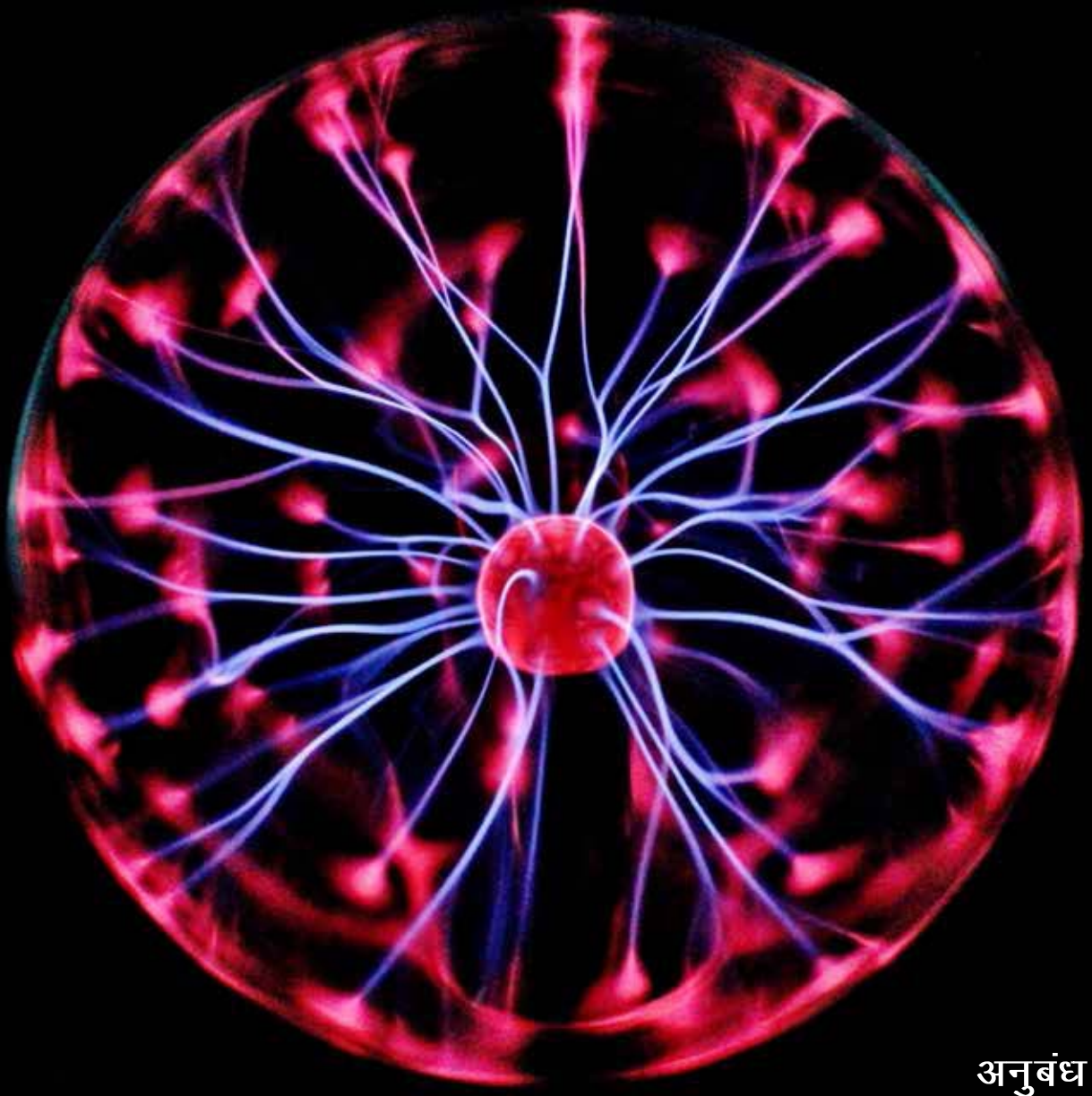

अनुबंध - II

राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति

विषय सूची

1.	ग्रिड कोड	37
2.	तकनीकी उन्नयन	39
3.	निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार	43
4.	पारेषण प्रभार	48
4.	कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां	50
5.	मीटरिंग योजनाएं	55
6.	एचवीडीएस, स्काडा एवं डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन	59
7.	कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड	62
8.	सीजीआर फोरम की स्थापना एवं ओमबडसमैन	65
9.	उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण	68

ग्रिड कोड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध

राज्य विनियामक आयोग जिन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है उन्हें सितंबर 2005 तक अधिसूचित करनी चाहिए।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
1.	आंध्रप्रदेश	.	27.08.2010 को ड्राफ्ट ग्रिड कोड जारी किया गया और अंतिम ग्रिड कोड अभी अधिसूचित किया जाना है।
2.	बिहार	20.07.2010	बीईआरसी ने 20.07.2010 को बिहार विद्युत ग्रिड कोड को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	पहली बार ग्रिड कोड 30.12. 2006 को अधिसूचित किया गया था और इसे 31 / 12 / 2011 को अधिसूचित नए ग्रिड कोड रद्द कर दिया है।	अधिसूचित
4.	दिल्ली	31.03.2008	डीईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2008 31.03.2008 F.17 (14) Engg/ DERC / 2003–04 / 151 के माध्यम से अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी में आईईजीसी ग्रिड कोड 2010 के संबंध में मौजूदा उपबंधों की समीक्षा के लिए ग्रिड समन्वय समिति गठित की और डीजीसी 2008 में संशोधनों की सिफारिश की। आयोग के अनुमोदन के बाद प्रस्तावित संशोधन एनसीडी के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
5.	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	04.08.2010 को ग्रिड कोड अधिसूचित किया	पहले से अधिसूचित
6.	गुजरात	16 / 07 / 2013	जीईआरीस विनियम 2014 16.7.2013 को अधिसूचित किया गया।
7.	जम्मू और कश्मीर	20 नवंबरए 2007	जेएण्डके राज्य विद्युत ग्रिड कोड अधिनियम अधिसूचना संख्याः 8 / JKSERC / 2007 के माध्यम से अधिसूचित मौजूद है।
8.	झारखण्ड	04 / 02 / 2009	जेएसईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2008 अधिसूचित
9.	कर्नाटक	2006 में अधिसूचित कर्नाटक विद्युत ग्रिड एवं वितरण कोड	आईईजीसी 2010 के अनुपालन के लिए संषोधित ग्रिड कोड एवं वितरण कोड अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
10.	केरल	केरल राज्य विद्युत ग्रिड कोड, 2005	कार्यान्वित किया जा रह है।
11.	महाराष्ट्र	15.02.2006	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2006 01 अप्रैल 2006 से लागू हुआ है।
12.	मध्य प्रदेश		एम.पी. विद्युत ग्रिड कोड 6.8.2004 को अधिसूचित हुआ और 24.10.2005 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हुआ। एनपीईआरसी ने 24.10.2005 को एनपी विद्युत ग्रिड कोड के प्रथम पुनरीक्षण को अधिसूचित किया।
13.	मणिपुर और मिज़ोरम	02.07.2010	प्रथम संशोधन 7.7.2014 को अधिसूचित किया।
14.	नागालैण्ड	09 मईए 2012	एनईआरसी ने विनियमों को अधिसूचित व अंतिम रूप दिया लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	अधिसूचना की तारीख	स्थिति
15.	उड़ीसा	14 जूनए 2006	उड़ीसा ग्रिड कोड विनियम पहले से लागू है।
16.	पंजाब	पीएसईआरसी (पंजाब राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2013 अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी / सचिव / विनियम 80 दिनांक 14.2.2013 के माध्यम से अधिसूचित किए गए।	
17.	सिक्किम	27 जून 2013	सिक्किम एसईआरसी यद्यपि 2003 में गठित हुआ लेकिन आयोग प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अप्रैल 2011 से प्रचालनगत हुआ। इस प्रकार सिक्किम एसईआरसी ने इस विनियम की अधिसूचना के लिए समय लिया। जैम
18.	तमिलनाडु	19 अक्टूबरए 2005	तमिलनाुड विद्युत ग्रिड कोड को दिनांक 19.10.2005 की अधिसूचना No.TNERC/GC/13/1 के माध्यम से आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया। दिनांक 12.9.2013 को संशोधन जारी किया गया जिससे सभी नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए प्रेषण व अनुसूचीकरण संभव हुआ।
19.	त्रिपुरा	15 जुलाई, 2011	राजपत्र अधिसूचना के बाद यह त्रिपुरा में अब तक लागू है।
20.	उत्तराखण्ड	09 अप्रैलए 2007	अधिसूचित
21.	उत्तर प्रदेश	18 अप्रैलए 2007	लागू
22.	पष्चिम बंगाल	12.01.2006 ..... 22.05.2009	प्रथम अधिसूचना No.26/WBERC को अधिसूचित किया गया। इसके बाद 22.5.2009 के संषोधन सहित 4.4.2007 की अधिसूचना No.34/WBERC के माध्यम से नए विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तकनीकी उन्नयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध :

विनियामक आयोगों को गैर भेदभावपूर्ण पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवक उपलबध करवाने की आवष्यकता है। इसमें संप्रेशण तथा वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता सहित भार प्रेशण सुविधाएं अपेक्षित हैं। यद्यपि यह प्रादेषिक भार प्रेशण केन्द्रों में मौजूदा मामला है तथापि उपयुक्त राज्य आयोगों को सुनिष्चित करना चाहिए कि तकनीकी उन्नयन सहित सुविधाएं राज्य स्तर पर उपलब्ध करवाई गई हैं जहां आवश्यक हैं जो जून 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
1.	आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश राज्य ने 'एपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस व प्रभारों की वसूली व उगाही) विनियम 2006' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–7 से वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण सहित भार प्रेषण सुविधाएं हैं और यह 27.7.2006 को अधिसूचित किया गया। एसएलडीसी गतिविधि में निवेश वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता एवं प्रेषण प्राप्ति के लिए एसएलडीसी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमति दी जा रही है और यह दूसरी नियंत्रण अवधि 2009–10 से 2013–14 के स्थान पर हैं।
2.	बिहार	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सुगम फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए डीईआरसी ने 20.5.2006 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) बनाया।
3.	छत्तीसगढ़	स्काडा प्रणाली परिचालन में है और आरओयू को वास्तविक समय डाटा की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एसएलडीसी में स्थापित किया गया।
4.	दिल्ली	1. सभी तीन डिस्कॉम द्वारा बिलिंग पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है। 2. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूअर लगभग 95% मामलों में स्थापित है। 3. एचवीडीएस / एलटी (एबी) कंडक्टर स्थापन्न एटीएण्डसी हानि कमी के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है। 4. गैस स्विचगियर की स्थापना दिल्ली ट्रांसको लि. और डिस्कॉक द्वारा की जा रही है ताकि 200 केवी ग्रिड उपकेन्द्र में जीआईएस दबाव को कम किया जाए। रिज वैली, डायम, एम्स (ट्रॉमा सेंटर) और इलेक्ट्रिक लेन उपकेन्द्र को आरंभ किया गया है। 5. हाई उच्च उपभोक्ताओं के लिए आटोमेटिक मीटर रीडिंग। टीपीपीडीएल ने वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 11 किलोवाट और अधिक के कनेक्षन को कवर किया है और एएमआर के अधीन औद्योगिक कनेक्षन के अलावा घरेलू कनेक्षन के लिए 16 किलोवाट और अधिक को कवर किया है। 6. डिस्कॉक वितरण नेटवर्क की रोजमर्रा की मॉनिटरिंग में उपभोक्ताओं की इंडेक्सिंग और मैपिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 7. डीटी मीटरिंग पूरी हो गई है। 8. स्काडा प्रणाली स्थापना पूरी हो गई है। एसएसडीसी पूर्णतः कार्यातमक है और आरएलडीसी से समुचित रूप से इन्टरफेस हैं और डिस्कॉम नियंत्रण प्रणाली केन्द्रों से संबंद्ध हैं। एसएलडीसी अन्तःराज्यिक एबीटी की शुरूआत के लिए पहला राज्य होने के नाते फिर अंतःराज्यिक एबीटी सफलतापूर्वक करते हुए 'प्रणाली प्रचालन' का प्रचालन कर रहे हैं। एसएलडीसी ने मैरिट प्रेशण सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम वार अनुसूचीकरण को सरल बनाया।
5.	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए सरल फ्रेमवर्क 11.2.2010 के विनियम के माध्यम से पहले से लागू है। भार प्रेषण सुविधाओं के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से पहले से प्रगति पर है और प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर किय जा रहा है।
6.	गुजरात	पूर्णतः राज्य भार प्रेषण केन्द्र और तीन उप एसएलडीसी उचित संचार और डाटा अधिग्रहरण प्रणाली सहित राज्य में प्रचालन में है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
7.	जम्मू और कश्मीर	जेएण्डके राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक पारेषण और वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2006 को 6/J&KSERC/2006 के माध्यम से अधिसूचित है और इसे 1 मेगावाट और अधिक के लिए उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच की अनुमति है। एसएलडीसी श्रीनगर में उपभार प्रेषण केन्द्र सहित जम्मू में पहले से स्थापित है। दोनों को वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण क्षमता और प्रेषण से संबद्ध किया गया है। मॉडल एफओआर विनियमों पर आधारित जेकेएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम 2015 को 10.7.2015 को अधिसूचित किया गया जिससे पूर्ववर्ती विनियमों को निरस्त किया गया।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।
9.	कर्नाटक	राज्य पारेशण कंपनी ने समन्वित स्काडा योजना के अधीन स्काडा के उन्नयन का कार्य किया है और तकनीकी उन्नयन के भाग के रूप में 33 केवी उपकेन्द्र स्तर के लिए स्काडा के कार्यान्वयन को पूरा किया है। निर्बाध पहुंच के लिए विनियामक फ्रेमवर्क 1 मेगावाट और अधिक की कॉन्ट्रेक्ट मांग सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए 2006 में आरंभ किया गया।
10.	केरल	सभी बड़े उत्पादन केन्द्रों और बड़े ग्रिड उपकेन्द्रों से डाटा स्काडा के लिए एसएलडीसी में उपलब्ध करवाया गया है। आईपीपी और एसएचपी फिलहाल टेलीमीटर नहीं किए गए हैं। नोटिस एसएलडीसी से 14.5.2014 को जारी किया गया।
11.	महाराष्ट्र	1. 10 जूनए 2004, को आयोग ने राज्य में वितरण प्रणाली में निर्बाध पहुंच की शुरूआत में एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 अधिसूचित किया। 21 जून, 2005 को उक्त विनियम को एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम, 2005 से अधिक्रमित किया गया। 2. आयोग ने पूर्ववर्ती विनियमों का अधिक्रमण करते हुए 25 जून, 2014 को एमईआरसी (पारेशण निर्बाध पहंच) विनियम, 2014 तथा एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 को अधिसूचित किया। 3. एमएसएलडीसी द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। अंतःराज्यिक एबीटी तंत्र के लिए बीएसएम सॉफ्टवेयर (रु. 250.62 लाख) वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण की वृद्धि (Rs. 350 लाख)
12.	मध्य प्रदेश	राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्काडा ने संचार प्रणाली को बढ़ाया। इसकी केपेक्टस अपेक्षा एबीटी एवं ईए प्रणाली आदि की उन्नयन के लिए वित्तीय 2015–16 तक की गई और आरएलडीसी सुविधाओं से मिलान करते हुए एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई। आयोग ने 18 जून, 2014 को वित्तिय 2015–15 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों के लिए उदग्रहण व वसूली के लिए तथा 31.03.2015 को वित्तिय वर्ष 2016–16 को आदेश जारी किया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एसएलडीसी द्वारा फीस व प्रभारों का उदग्रहण और वसूली के संबंध में याचिका हाल ही में दाखिल की गई और वह प्रक्रिया के अधीन है।
13.	मणिपुर और मिज़ोरम	स्काडा के साथ एसएलडीसी को अद्यतन करना जारी है।
14.	नागालैण्ड	सुविधाजनक की गई
15.	उड़ीसा	ओईआरसी (निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 और ओईआरसी (निर्बाध पहुंच प्रभारों का अवधारण) विनियम, 2006 क्रमषः 21.6.2005 और 18.07.2006 को पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं। उत्पादक से 1 मेगावाट से अधिक की विद्युत की निर्बाध पहुंच की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को 01 जनवरी, 2009 से अनुमति दी गई है जबकि किसी अनुज्ञप्तिधारी से 1 मेगावाट की 01 अप्रैल 2008 से अनुमति दी गई है। आयोग ने एसटीयू से एसएलडीसी की प्रथक्करण के लिए कदम उठाए हैं। एसएलडीसी निर्बाध पहुंच लागू करने की प्रक्रिया के लिए पूर्णतः संगठित है। एसएलडीसी में वित्तीय 2009–10 से आंरभ आयोग के साथ टैरिफ आवेदन और एआआर दाखिल करना आरंभ कर दिया है। ओईआरसी में ओईआरसी (एसएलडीसी के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2010 उड़ीसा में एसएलडीसी कार्य के लिए वार्शिक फीस व प्रभार के उदग्रहण के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि एसएलडीसी के उर्जा लेखांकन एवं व्यवस्थापन्न प्रणाली तंत्र को 1.4.2011 से कार्य करना चाहिए और सभी स्टेकहोल्डरों को मासिक उर्जा लेखांकन, साप्ताहिक रिएक्टिव उर्जा लेखा तैयार करना और जारी करना चाहिए। तदनुसार एसएलडीसी मासिक उर्जा लेखा, साप्ताहिक यूआई लेखा इत्यादि तैयार कर रही है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
16.	पंजाब	पीएसटीसीएल (पूर्व पीएसईबी) में पहले ही अगस्त 2002 से आंरभ यूएलडीसी योजना के अधीन पीजीसीआईएल से संबद्ध ईएमएस / स्काडा प्रणाली को स्थापित किया है। पीएसटीसीएल ने पहले ही 49 आरटीयू (31 नं. 220 केवी ओर 18 नं. 132 केवी जो क्रमशः 57 नं. और 78 नं. से हैं) जिसमें सभी 220 केवी और 132 केवी उत्पादन केन्द्र, 220 केवी और 132 केवी महत्वपूर्ण 220 केवी केन्द्रों सहित अन्तरराज्यिक टाइ लाइनों को कवर किया गया है। 42 नं. आरटीयू की प्राप्ति उन्नत अवस्था में है और एलओआई से एक माह के अंदर चुनिंदा 220 केवी उपकेन्द्र में पायलट आटीयू के सफलता से कार्यान्वयन स्थापन्न के बाद जारी किए जाने की संभावना है और मौजूदा स्काडा / ईएमएस प्रणाली से समुचित रूप से समन्वित करने की संभावना है जो एक माह के लिए नियंत्रण केन्द्र में पवन लाइन डाटा की सतत उपलब्धता को दर्शाता है। पायल्ट आरटीयू की स्थापना के लिए एलओआई प्रक्रिष्या के अधीन है और षीघ्र ही जारी करने की संभावना है। 10 नं. आरटीयू के स्थापना वर्ष, 220 केवी उपकेन्द्रों में अतिरिक्त 42 नं. आरटीयू की स्थापना और प्राप्ति में यह पीएसटीसीएल द्वारा प्रगति पर है। नवीनतम तकनीक से प्रत्येक वर्ष कंपनियों को नियमित रूप से निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से बदले जा रहे हैं और एलएस एवं एमएस उपभोक्ताओं को टीओडी मीटरों से स्थापित किया गया है और ग्रिड निर्माणाधीन है तथा उन्नयन एवं किफायती उपाय थर्मल संयंत्रों की थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा के आधार पर नियमित रूप से किए जाते हैं, स्काडा / ईएमएस वितरण प्रणालियों में स्थापन्न के अधीन है। बाउंड्री मीटरिंग उर्जा लेखा परीक्षा के लिए पूरी हो गई है। कृषि क्षेत्र का एमएम मार्ग एसएपी / ईआरपी के आरंभ होने की अंतिम चरण में है और शुरू किया जा रहा है। अस्थायी एवं सरकारी कनेक्षन के लिए पूर्वप्रदत्त स्मार्ट मीटर का प्रस्ताव अंतिम अवस्था में है।
17.	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी में 30.6.2012 को एसएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2012 को अधिसूचित किया। आयोग ने वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण और संप्रेषण के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य में डिम्ड अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए।
18.	तमिलनाडु	चेन्नई में एक एसएलडीसी और चेन्नई, मदुरई और इरोड में तीन उपभार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए। उपकेन्द्रों एवं थर्मल हाइड्रल, गैस से डाटा यूएलडीसी योजना के अधीन इक्टठा किया गया। मौजूदा नियंत्रण केन्द्र 19.07 करोड़ रू. की लागत पर किया जा रहा है। चेन्नई में मुख्य नियंत्रण केन्द्र परिचालन में है जो 1200 आरटीयू को संचालित कर सकता है।
19.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य में कोई भी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए आगे नहीं आया है। इस प्रकार निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को सुविधा उपलबध करवाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्य भार प्रेषण केन्द्र का उन्नयन प्रगति पर है।
20.	उत्तराखण्ड	एसएलडीसी के पृथक्करण के लिए, रिंग फैंसिंग और अलग एआरआर दाखिल करने तथा आवष्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6.4.2010 को पहले ही निर्देश जारी किए गए। प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16) के लिए बहुवर्ष टैरिफ और कारोबार योजना के अनुमोदन के लिए टैरिफ आदेश में यूईआरसी में पीटीसीयूएल को निर्देश दिया कि एसएलडीसी के रिंग फैंसिंग पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए वार्शिक कार्यनिश्पादन समीक्षा दाखिल करते समय एसएलडीसी के लिए अलग याचिका दाखिल करें। यूईआरसी के निर्देश के अनुसार पीटीसीयूएल ने एसएलडीसी के लिए अलग एआरआर दाखिल किया। इसके अलावा एसएलडीसी की उक्त वेबसाइट (ण्नोसकबण्वतह) सितम्बर, 2013 से आरंभ की गई है। स्काडा से संबद्ध कार्य लगभग पूर्ण होने के करीब और आईसीटी का वास्तविक समय डाटा, पारेशण लाइन और उत्पादन केन्द्र इस वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	स्थिति
21.	उत्तर प्रदेश	आयोग ने राज्य में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालन के लिए UPERC/Secy./ Regulations/05-249 dated 7.6.05 के माध्यम से यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2004 (संक्षेप में यूपीईआरसी निर्बाध पहुंच) जारी किया। विनियमों में यह भी व्यवस्था है कि 01 अप्रैल 2008 से 1 मेगावाट से अधिक की मांग वाला कोई उपभोक्ता पारेशण एवं वितरण प्रणालियों का निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आयोग ने निम्नानुसार आवश्यक विनियमक फ्रेमवर्क विनियम बनाया / अंतिम रूप दिया क. यूपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व षर्तें) (प्रथम संषोधन) विनियम 2009 में पारेषण प्रणाली सहित या उसके बिना वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए अन्य विस्तृत क्रियाविधि शामिल है ख. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के व्हिलींग सेवाओं के लिए मॉडल बीपीडब्ल्यूएय ग. राज्य के अंदर या बाहर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आहरित विद्युत के लिए राज्य विद्युत ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की व्यवस्थापन्न प्रणाली और अनुसूचीकरण, प्रेशण, उर्जा लेखांकन, यूआई लेखांकन की क्रियाविधियों। इसके अलावा, आयोग ने उन निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड से आहरित विद्युत के उर्जा लेखांकन के लिए क्रियाविधि विकसित करने के लिए एसएलडीसी को निर्देश दिया जो वितरण प्रणाली में सन्निहित उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत या वितरण प्रणाली से संबद्ध है।
22.	पष्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियम, 2007 यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 35 / डब्ल्यूबीईआरसी दिनांक 12.4.2007 के अधीन प्रकाशित। पारेषण प्रणाली में स्काडा 2005 से कार्यान्वित किया गया और कार्य कर रहा है। विभिन्न 132KV, 220KV और 400KV उपकेन्द्र तथा विद्युत केन्द्रों से प्रचालनगत डाटा माइक्रोवेव लिंक के साथ 48 आरटीओ के माध्यम से एलएलडीसी को प्रेशित किया जा रहा है जो आरटीयू के कुछ अधिक विस्तार सहित ऑप्टीकल फाइबर मोड में परिवर्तित होने के लिए संभावित है।

निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभार

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.3.2 गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारेशण प्रभार के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत की आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धाकारी उत्पादकों उपलबध करवाया जाएगा। उपयुक्त आयोग जून 2005 तक इस प्रकार के पारेशण प्रभारों को स्थापित करेगा।

5.4.5 अधिनियम की धारा 49 में व्यवस्था है कि ऐसे ग्राहक जिन्हें धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार की निबंधन व शर्तों पर विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति से करार कर सकते हैं जिसमें उनके द्वारा सहमत टैरिफ भी शामिल है। वितरण में निर्बाध पहुंच के लिए विनियम करते समय एसईआरसी अधिनियम की धारा 42 के अधीन यथाअपेक्षित क्रास सब्सिडी प्रभार और विलिंग प्रभारों को निर्धारित करेगा।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th rowspan="2">यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th rowspan="2">अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th rowspan="2">परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">आंध्रप्रदेश</td><td colspan="7">(For FY 2013-14)
<table>
<tr><th>उपयोगिता (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th>माप की इकाई</th><th colspan="3">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>LT</th><th>11 KV</th><th>33 KV</th></tr>
<tr><td>एपीएसपीडीसी</td><td>*एलटीओए / एसटीओए</td><td>रु. / केवीए / माह</td><td>363.66</td><td>180.53</td><td>27.38</td></tr>
<tr><td>एपीईपीडीसीएल</td><td>*एलटीओए / एसटीओए</td><td>रु. / केवीए / माह</td><td>656.89</td><td>198.12</td><td>21.85</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बिहार</td><td>एसबीपीडीसीएल / एनबीपीडीसीएल</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td rowspan="2">छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम (विलिंग प्रभारद्ध</td><td>वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुसूचित और अनुमोदित उर्जा पर 22.1 पैसा प्रति यूनिट</td><td></td><td></td><td>33 केवी</td><td>11 केवी</td><td>एलटी</td></tr>
<tr><td>एसटीयू</td><td>1. एसटीओए प्रभार 23.3 पैसा प्रति यूनिट
2. एलटीओए प्रभार निवल एआरआर समानुपातिक रूप से सभी एलटीओए ग्राहक द्वारा षेयर किया जाएगा।</td><td></td><td>400 केवी</td><td>220 केवी</td><td>132 केवी</td><td>66 केवी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="6">आयोग ने तदनुरूपी वर्षों के लिए टैरिफ आदेश में विभिन्न वर्षों के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीपीडीएल के लिए विलिंग प्रभारों को अवधारित किया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="6"><table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>अवधि</th><th>माप की इकाई</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>ईएचटी / एचटी</th><th>एलओ</th></tr>
<tr><td>ईडी–एएन</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ईडी.चंडीगढ़</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>डीएनएचपीडीएल</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>ईडी.दमन और दीव</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td>14</td><td>18</td></tr>
<tr><td>ईडी .गोवा</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ईडी .लक्षद्वीप</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td colspan="2">निर्धारित नहीं किया।</td></tr>
<tr><td>ईडी .पुदुचेरी</td><td>सभी</td><td>पैसे / किलोवाट</td><td>19/04</td><td>36</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">8.</td><td rowspan="4">गुजरात</td><td></td><td rowspan="4">दोनों</td><td rowspan="4">पैसे / किलोवाट</td><td>11 KV</td><td colspan="2">400 KV</td></tr>
<tr><td>पीजीवीसीएल / एमजीवीसीएल / डीजीवीसीएल / यूजीवीसीएल</td><td>12</td><td colspan="2">43</td></tr>
<tr><td>टोरंट पावर लि. अहमदाबाद</td><td>25</td><td colspan="2">80</td></tr>
<tr><td>टोरंट पावर लि. सूरत</td><td>18</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td colspan="8">टिप्पणी: 2011 की अधिसूचना संख्या 3 के रूप में जीईआरसी ने जीईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 को 1.6.2011 को अधिसूचित किया जिसमें 12 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो 25 वर्ष से अधिक न हो के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच, तीन महीने से अधिक अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं और एक समय पर एक माह तक अवधि के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच जो कलैण्डर वर्ष में 6 महीने से अधिक की अवधि न हो, दी गई है। विनियमों में राज्य पारेषण नेटवर्क तथा अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणाली में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच की व्यवस्था है।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>जेएण्डके पीडीडी</td><td colspan="5"><table>
<tr><th rowspan="2">अवधि (एलटी. ओए / एसटीओए)</th><th rowspan="2">माप की इकाई</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>वितरण प्रभार</th><th>विलिंग प्रभार</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>587.00</td><td>1560.00</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="6"><table>
<tr><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (एलटी. ओए / एसटीओए)</th><th>माप की इकाई</th><th>वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>जेएसईबी / जेबीवीएनएल</td><td></td><td>रुपये / किलोवाट</td><td>0.12</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th rowspan="2">यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th rowspan="2">अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th rowspan="2">परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>13.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="6">विलिंग प्रभार (पैसे / यूनिट)
<table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>ईएचटी / 132केवी</th><th>एचटी / 33 / 66 केवी</th><th>एचटी / 11 केवी</th><th>एलटी</th></tr>
<tr><td>बीईएससीओएम</td><td></td><td></td><td>10</td><td>33</td></tr>
<tr><td>एमईएससीओएम</td><td></td><td></td><td>20</td><td>68</td></tr>
<tr><td>सीईएससी</td><td></td><td></td><td>20</td><td>68</td></tr>
<tr><td>एचईएससीओएम</td><td></td><td></td><td>21</td><td>69</td></tr>
<tr><td>जीईएससीओएम</td><td></td><td></td><td>23</td><td>75</td></tr>
</table>
i. नवीकरणीय स्रोतों के लिए जो राज्य के अंदर व्हिल एनर्जी देते हैं, व्हिलिंग प्रभार वस्तु में है और अंतक्षेपित उर्जा के 5 प्रतिशत के बराबर है।
ii. वास्तविक प्रभार अंतःक्षेपण प्वाइंट तथा निकासी प्वाइंट पर आश्रित है।
iii. उक्त प्रभार के अतिरिक्त यथा लागू हानियां वहन की जाएंगी।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>केरल</td><td>केएसईबी लि.</td><td>एलटीओए</td><td>केडब्लयूएल</td><td>ईएचटी
19 पैसे</td><td>एलटी
24 पैसे</td><td colspan="2">5 / 13 से प्रभावी</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>महाराष्ट्र</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>एलटी</td><td>33 केवी</td><td>11 केवी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>एमएसईडीसीएल</td><td></td><td></td><td>रुपये / किलोवाट</td><td>1.03</td><td>0.11</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>टीपीसी–डी</td><td></td><td></td><td>रुपये / किलोवाट</td><td>1.87</td><td colspan="2">0.89</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>आरइंफ्रा–डी</td><td></td><td></td><td>रुपये / किलोवाट</td><td>1.22</td><td colspan="2">0.63</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>बीईएसटी</td><td></td><td></td><td>रुपये / किलोवाट</td><td colspan="3">बेस्ट को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है और एमईआरसी (वितरण निर्बाध पहुंच) विनियम 2005 विशेष रूप से निर्बाध पहुंच विनियमों की परिधि से बेस्ट से छूट दी गई है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="6">
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>एलटीओए (रु. / एमडब्ल्यू / माह)</th><th>एसटीओए (रु. / एमडब्ल्यू / माह)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वि.व. 2013.14</td><td>4273.48</td><td>1068.36</td></tr>
<tr><td colspan="4">विलिंग प्रभार</td></tr>
<tr><td colspan="3">वि.व. 2013.14</td><td>33 केवी पर रु. 0.22</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="6">पारेषण एवं व्हिलिंग प्रभार वार्षिक रूप से दोनों राज्यों में नियत किए गए हैं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="6"><table>
<tr><th>यूटिलिटी (डि. स्कॉम)</th><th>स्थिति (एलटी. ओए / एसटी. ओए)</th><th>माप का परिमापन</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="6"><table>
<tr><th rowspan="2">डिस्कॉम</th><th colspan="2">एचटी उपभोक्ताओं के लिए विलिंग और क्रॉस सब्सिडी प्रभार (11 केवी एवं 33 केवी)</th></tr>
<tr><th>विलिंग प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार 9 (पैसे / किलोवाट)</th></tr>
<tr><td>सीईएसयू</td><td>78.09</td><td>101</td></tr>
<tr><td>एनईएससीओ</td><td>81.29</td><td>55</td></tr>
<tr><td>डब्लयूईएससीओ</td><td>61.30</td><td>76</td></tr>
<tr><td>एसओयूटीएचसीओ</td><td>99.94</td><td>165</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>पंजाब</td><td colspan="6"><table>
<tr><th>दीर्घकालिक (एलटीओए) (पीएसपीसीएल)</th><th>मध्यकालिक (एसटीओए) वॉल्टेज स्तर (पीए. सपीसीएल)</th></tr>
<tr><td>☐383596 / MW /अनुबंधित क्षमता का महीना</td><td>119 पैसे / यूनिट</td></tr>
</table>
इसके अलावा यह भी अनुरोध है कि राज्य के अंदर उपभोग के एनआरएसई पावर की व्हिलिंग के लिए व्हिलिंग प्रभार और पारेशण दूरी का ध्यान किए बिना राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित उर्जा के 2 प्रतिशत तक उदग्रहित होगा। राज्य के बाहर एनआरएसई उर्जा के व्हिलिंग के मामले में पूर्ण पारेशण और व्हिलिंग प्रभार उदग्रहणीय होंगे।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>सिक्किम</td><td colspan="6"><table>
<tr><th>वर्ष</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>स्थिति (एलटी. ओए / एसटी. ओए)</th><th>माप का परिमा. पन</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2013.14</td><td>एनर्जी एवं पावर विभाग सिक्किम</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="6"><table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th rowspan="2">स्थिति (एलटी. ओए / एसटी. ओए)</th><th rowspan="2">माप का परिमापन</th><th colspan="5">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>11kV</th><th>22kV</th><th>33kV</th><th>110kV</th><th>230kV</th></tr>
<tr><td rowspan="2">वित्तीय वर्ष 2013.14</td><td rowspan="2">TANGED-CO</td><td>LTOA/STOA से TANGEDCO</td><td>MU</td><td colspan="5">8619.84</td></tr>
<tr><td>STOA-केप्टिव एवं थर्ड पार्टी</td><td>MU</td><td>1088</td><td>491</td><td>658</td><td>669</td><td>219</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="6">निर्बाध पहुंच प्रणाली vHk त्रिपुरा राज्य में विकसित नहीं की गई है अतएव निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार और वितरण नेटवर्क प्रभारों का प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी (डिस्कॉम)</th><th>अवधि (एलटीओए / एसटीओए)</th><th>परिमापन का यूनिट</th><th colspan="4">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><td>27.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>उत्तराखण्ड उर्जा पावर लि.</td><td colspan="5">वॉल्टेज वार डाटा की अनुपस्थिति में आयोग वॉल्टेज वार विलिंग और पारेषण प्रभार अवधारित नहीं कर सका। तथापि औसत व्हिलिंग प्रभार 70302.22 / MW / Day है। अंतर्निहित निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए उक्त व्हिलिंग प्रभार अदा नहीं करना है और अन्यथा विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार संगणित निवल व्हिलिंग प्रभार अदा करेंगे और वह एचटी उद्योग उपभोक्ता के लिए षून्य है और गैर देसी उपभोक्ताओं के लिए रु. 6315.92 / MW / Day होगा।</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="5"><table><tr><th>यूटिलिटी (डि. स्कॉम)</th><th>स्थिति (एलटी. ओए / एसटीओए)</th><th>माप की ईकाई</th><th colspan="2">वॉल्टेज स्तर</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>132 kV</td><td>132 kV से ऊपर</td></tr><tr><td>सभी डिस्कॉम</td><td></td><td>रु. / किलोवाट</td><td>एलटीओए: 0.135
एसटीओए: 0.034</td><td>एलटीओए: 0.101
एसटीओए: 0.025</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>पष्चिम बंगाल</td><td colspan="5"><table><tr><td>वर्ष 2013.14</td><td>डब्ल्यूबीएसईडी</td><td>सीईएससी लि.</td><td>डीपीएल</td><td>डीपीएससी लि.</td></tr><tr><td>विलिंग प्रभार</td><td>75.13 पैसे / किलोवाट</td><td>135.79 पैसे / किलोवाट</td><td>29.19 पैसे / किलोवाट</td><td>64.75 पैसे / किलोवाट</td></tr><tr><td>परिहार्य लागत</td><td>330.27 पैसे / किलोवाट + विलिंग प्रभार</td><td>346.42 पैसे / किलोवाट+ विलिंग प्रभार</td><td>187.06 पैसे / किलोवाट + विलिंग प्रभार</td><td>266.64 पैसे / किलोवाट + विलिंग प्रभार</td></tr><tr><td>क्रॉस सब्सिडी अधिभार</td><td colspan="4">अनुमत निर्बाध पहुंच और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिहार की गई लागत से उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिए लागू टैरिफ का यह अंतर है।</td></tr></table></td></tr>
</table>

पारेषण प्रभार

LTOA – दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच

STOA – अल्पकालिक निर्बाध पहुंच

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th colspan="2">एलटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th><th>एसटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="3"><table>
<tr><th rowspan="2">स्थिति (एलटीओए/एसटीओए)</th><th rowspan="2">परिमापन का यूनिट</th><th colspan="3">वॉल्टेज स्तर</th></tr>
<tr><th>132KV</th><th>220KV</th><th>400KV</th></tr>
<tr><td>'एलटीओए/एसटीओए</td><td>रु./किलोवाट /दिन</td><td>2006.5</td><td>2006.5</td><td>2006.5</td></tr>
</table>*एलटीओए/एसटीओए दोनों के लिए प्रभार समान है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td colspan="2">64827</td><td>533</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td colspan="2">निवल एआरआर रक्षित क्षमता के अनुपात में अनुपातिक रूप से सभी LTOA/MTOA द्वारा शेयर किया जाएगा।</td><td>वास्तविक अंतःक्षेपण के अनुसार अनुमोदित और अनुसूचित उर्जा पर एसटीओए प्रभार 23.3 पैसे प्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="3">आयोग ने 24.12.2013 के आदेश में अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के मामले में पारेषण सेवा प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति को निर्धारित किया। संबंधित वर्षों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर के आधार पर पारेषण प्रभार प्रत्येक वर्ष के लिए एसएलडीसी द्वारा अवधारित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशासित प्रदेश</td><td colspan="3">अवधि के दौरान चूंकि जेईआरसी के क्षेत्राधिकार के अधीन कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नहीं है अतएव पृथक पारेषण प्रभार अवधारित नहीं किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td colspan="2">2970</td><td>अल्पकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा प्रतिदेय प्रभार पारेशण = दीर्घकालिक/मध्यकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों द्वारा प्रतिदेय प्रभार पारेशण की दर □ 1/4 अर्थात् Rs. 742.5/MW/Day</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कष्मीर</td><td colspan="2">रु. 37,040.00</td><td>रु. 587.00</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="2">0.18</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="2">95422</td><td>784.46</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td colspan="2">19पैसे/kWh</td><td>19 पैसे /kWh</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="2">रु. 320.22/kW/month</td><td>रु. 0.43Rs/kWh</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">रु. 108935.70 /MW/ekg</td><td>रु. 907.80/MWE/दिन</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="3">एलटीओए और एसटीओए अभी अलग से किए जाने हैं।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="2">लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>एलटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th><th>एसटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="2"><table><tr><th>वर्ष</th><th>एलटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th><th>एसटीओए (रु./किलोवाट/माह)</th></tr><tr><td>वित्तिय वर्ष 2013-14</td><td>6000</td><td>1500</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>92451</td><td>27 पैसे/यूनिट</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">इसके अलावा यह अनुरोध है कि राज्य के अंदर उपभोग की एनआरएसई विद्युत के व्हिलिंग के लिए व्हिलिंग प्रभार और पारेषण दूरी का ध्यान किए बिना राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित उर्जा के 2% पर उदग्रहित होगा। राज्य के बाहर एनआरएसई विद्युत की व्हिलिंग के मामले में पूर्ण पारेशण और व्हिलिंग प्रभार उदग्रणीय होगा।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td colspan="2"><table><tr><th>वर्ष</th><th>LTOA (₹/MW/Month)</th><th>STOA (₹/MW/Day)</th></tr><tr><td>वित्तीय वर्ष 2013.14</td><td></td><td></td></tr></table>टिप्पणी:
सिक्किम एसईआरसी ने 30.6.2012 को एसएसईआरसी ने एसएसईआरसी (अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2012 पहे अधिसूचित किया जिसमें विभिन्न प्रभारों (पारेशण व्हिलिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिप्रभार) को अवधारित करने के लिए क्रियाविधि व पद्धतियां रेखांकित की गई। तथापि राज्य में केवल डीम्ड वितरण/पारेशण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् उर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार ने आज तक वितरण या पारेशण के लिए निर्बाध पहुंच का अनुरोध करते हुए किसी उपभोक्ता से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए निर्बाध पहुंच के अधीन पारेषण/वितरण के लिए प्रभार स्थापित करने की आवष्यकता उत्पन्न नहीं हुआ।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td>Rs.1973(MW/day)=Rs.59,190/-(MW/month)</td><td>Rs. 82.21(MW/hr) =
Rs. 1973/- (MW/day)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="2">त्रिपुरा के मामले में नहीं उठाया गया।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>Rs. 90683.10</td><td>Rs.3022.77</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">Rs. 0.135 / kWh</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>145321.00</td><td>1210.26</td></tr>
</table>

कुल तकनीक पर समयबद्ध कार्यक्रम एवं वाणिज्यिक हानियां

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.6 एक समयबद्ध कार्यक्रम उर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों और तकनीक के पृथक्करण के राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। एसईआरसी द्वारा यथानिर्धारित प्रतयेक परिभाषित यूनिट में इसके परिणाम की घोशणा और उर्जा लेखांकन मार्च, 2007 तक अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिशासन में उपयुक्त सुझाव और पर्याप्त निवेषों सहित हानियों की कमी के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता तथा हानि स्तरों को समय–समय से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि वर्ष 2012 तक अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2013–14</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td>एपीएसपीडीसीएल</td><td>12.22</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>एपीईपीडीसीएल</td><td>12.10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बिहार</td><td colspan="2"><table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="2">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>2013.14</th><th>2014.15</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एनबीपीडीसीएल (स्वीकृत वितरण हानि)</td><td>23</td><td>21.4</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एसबीपीडीसीएल (स्वीकृत वितरण हानि)</td><td>23</td><td>21.4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम</td><td><table>
<tr><td>05-06</td><td>06-07</td><td>07-08</td><td>*08-09</td><td>09-10</td><td>10-11</td><td>11-12</td><td>12-13</td><td>13-14</td></tr>
<tr><td>35.81%</td><td>33.81%</td><td>32.54%</td><td>37.15%</td><td>34.32%</td><td>34.00%</td><td>32%</td><td>30%</td><td>28%</td></tr>
</table>
टिप्पणी:
(i) वर्ष 05.06, 06.07 और 07.08 के लिए वितरण हानि ट्रेजेक्टरी, ईएचवी स्तर पर भी बिक्री सहित गणना की गई।
(ii) वर्ष 08.09, 09.10, 10.11,11.12, 12.13 और 13.14 के लिए वितरण हानि ट्रेजेक्टरी, ईएचवी स्तर पर भी बिक्री बिना गणना की गई।
* वर्ष 08–09 के लिए वितरण हानि लक्ष्य की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति में परिवर्तन के कारण वर्ष 07–08 की अपेक्षा अधिक है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2"><table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बीआरपीएल</td><td>17.74% (लक्ष्य14.16%)</td><td>16.93% (लक्ष्य 13.33%)</td><td>अभी ट्रूडअप होगा (लक्ष्य 12.50%)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बीवाईपीएल</td><td>21.14% (लक्ष्य 16.82%)</td><td>22.19% (लक्ष्य 15.66%)</td><td>अभी ट्रूडअप होगा (लक्ष्य 14.50%)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>टीपीपीडीएल</td><td>10.73% (लक्ष्य 12.50%)</td><td>10.56% (लक्ष्य 12.00%)</td><td>अभी ट्रूडअप होगा (लक्ष्य 11.50%)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>एनडीएमसी</td><td>7.65% (लक्ष्य 10.35%)</td><td>11.57% (लक्ष्य 10.10%)</td><td>अभी ट्रूडअप होगा (लक्ष्य 9.85%)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वित्तीय वर्ष 2013–14</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>गोवा एवं संघशाषित प्रदेश</td><td colspan="2">T&D हानि ट्रेजेक्टरी
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>JERC अधिकार क्षेत्र</th><th>2013-14</th></tr>
<tr><td>1</td><td>चंडीगढ़</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गोवा</td><td>12.00%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पुडुचेरी</td><td>12.50%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>दमन एवं दीव</td><td>9.25%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>दादरा एवं नगर हवेली</td><td>4.70%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह</td><td>18.03%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>लक्षद्वीप</td><td>15.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="9">8.</td><td rowspan="9">गुजरात</td><td>डीजीवीसीएल</td><td>11.75</td></tr>
<tr><td>यूजीवीसीएल</td><td>12.50</td></tr>
<tr><td>एमजीवीसीएल</td><td>12.25</td></tr>
<tr><td>पीजीवीसीएल</td><td>25.50</td></tr>
<tr><td>टीपीएल.ए</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>टीपीएल.एस</td><td>5.15</td></tr>
<tr><td>कोंडला पोर्ट ट्रस्ट</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>मुन्द्रा पोट एसईजेड</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td>टोरंट एनर्जी लि. (टीईएल)</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)/T&D हानि ट्रेजेक्टरी</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>यूटिलिटी</td><td>46.76</td><td>45.26</td><td>43.76</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>झारखण्डं</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वितरण हानि लक्ष्य (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>JSEB</td><td>18%</td><td>17%</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>JUSCO</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SAIL – बोकारो</td><td>15%</td><td>13%</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>TSL</td><td>6.5%</td><td>6.0%</td><td>5.75%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th colspan="7">वर्ष (%)
वित्तीय वर्ष 2013–14</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="7">केवल टी एवं डी हानियां
<table><tr><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2014–15 (%)</th></tr><tr><th>लक्ष्य</th><th>प्राप्त किया</th></tr><tr><td>BESCOM</td><td>13.80</td><td>13.95</td></tr><tr><td>GESCOM</td><td>20.00</td><td>21.90</td></tr><tr><td>HESCOM</td><td>19.00</td><td>18.05</td></tr><tr><td>MESCOM</td><td>11.75</td><td>11.93</td></tr><tr><td>CESC</td><td>15.50</td><td>14.73</td></tr><tr><td>Hukeri RCS</td><td>15.00</td><td>14.53</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>केरल</td><td colspan="7"><table><tr><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="6">वर्ष (%)</th></tr><tr><th>2008–09</th><th>2009–10</th><th>2010–11</th><th>2011–12</th><th>2012–13</th><th>2013–14</th></tr><tr><td>केएसईबी</td><td>18.83</td><td>17.71</td><td>16.09</td><td>15.65</td><td>15.30</td><td>15.00 (वास्तविक)</td></tr><tr><td>टीएण्डडी</td><td></td><td>16.92</td><td>16.00</td><td>15.31</td><td>14.81</td><td>14.75 (अनुमोदित)</td></tr><tr><td>एटीएण्डसी</td><td></td><td>17.26</td><td>16.89</td><td>16.15</td><td>15.66</td><td>15.58 (अनुमोदित)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">15.</td><td rowspan="4">महाराष्ट्र</td><td>एमएसईडीसलएल</td><td colspan="6">14.00%</td></tr>
<tr><td>टीपीसी–डी</td><td colspan="6">0.99%</td></tr>
<tr><td>आरइंफ्रा–डी</td><td colspan="6">9.50%</td></tr>
<tr><td>बीईएसटी</td><td colspan="6">7.00%</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>मध्यप्रदेश</td><td>डिस्कॉम</td><td>2012-13</td><td>2013-14</td><td>2014-15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(i) पूर्व डिस्कॉम</td><td>24</td><td>23</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii) पश्चिम डि. स्कॉम</td><td>22</td><td>20</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(iii) केन्द्रीय डिस्कॉम</td><td>26</td><td>20.30</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="7"><table><tr><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td>यूटिलिटी</td><td colspan="3">वर्ष (%)</td></tr><tr><td>डिस्कॉम</td><td>2012-13</td><td>2013-14</td><td>2014-15</td></tr><tr><td>1.</td><td>मणीपुर राज्य उर्जा वितरण कंपनी लि.</td><td>35%</td><td>32%</td><td>29%</td></tr><tr><td>2.</td><td>उर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>31%</td><td>29%</td><td>27%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="7"><table><tr><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr><tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr><tr><td>डीपीएन</td><td>41.37%</td><td>38.89%</td><td>33.67%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>वर्ष (%) / वित्तीय वर्ष 2013–14</th></tr>
<tr><td>20.</td><td>उड़ीसा</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">DISCOM</td><td colspan="2">FY 2013-14</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य</td><td>प्राप्त किया</td></tr>
<tr><td>सीईएसयू</td><td>23.77</td><td>39.50</td></tr>
<tr><td>एनईएससीओ</td><td>19.17</td><td>35.93</td></tr>
<tr><td>डब्ल्यूईएससीओ</td><td>20.40</td><td>40.64</td></tr>
<tr><td>एसओयूटीएचसीओ</td><td>26.25</td><td>46.39</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>पंजाब</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं</th><th rowspan="2">यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th colspan="3">(पारेषण एवं वितरण हानियां संबंधित टैरिफ ओदशों को आयोग का अनुमोदन)</th></tr>
<tr><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पीएसपीसीएल</td><td>18.00%</td><td>17.00%</td><td>16.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>सिक्किम</td><td>उर्जा एवं विद्युत विभाग, राज्य सरकार विभाग सिक्किम में डीम्ड वितरण/पारेशण/उत्पादन के रूप में कार्य कर रहा है। पारेशण वितरण और उत्पादन का पृथक्ककरण अभी नहीं किया गया है अर्थात् विभाग की पुनसंरचना अभी की जानी है इसके कारण उर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। सिक्किम एसईआरसी ने इस विशय पर समय से कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>तमिलनाडु</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष % (टीएण्डडी हानि)</th></tr>
<tr><th></th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>टीएएनजीईडीसीओ</td><td>16.8</td><td>16.4</td><td>16.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>त्रिपुरा</td><td>केवल त्रिपुरा के सरकारी स्वामित्व के अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् टीएसईसीएल को एटीएण्डसी हानियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए पहले ही हिदायत दे दी गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी
डिस्कॉम</th><th>वर्ष (%)
वित्तीय वर्ष 2013–14</th></tr>
<tr><td>27.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td colspan="2">
तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि कमी के लिए प्रयास के रूप आयोग को विभिनन टैरिफ आदेशों के माध्यम से एटीएण्डसी हानियों की कमी के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया गया। इसके अलावा आयोग ने सरकार निधि योजनाओं अर्थात् आरएपीडीआर की भाग क और भाग ख को निवेश अनुमोदन दिया है जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 15 प्रतिशत वितरण हानियों की प्राप्ति के उद्देश्य सहित वितरण प्रणाली के एटीएण्डसी हानियों को कम करने पर केन्द्रित कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने वितरण हानि कमी तथा वसूली कुशलता के लिए क्षेत्र को परिभाषित किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के लिए वितरण हानियों और वसूली कुशलता के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

वितरण हानियों की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>17%</td><td>16%</td><td>15.5%</td></tr>
</table>
वसूली कुशलता की स्थिति
<table>
<tr><th>स्थिति</th><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>अनुमोदित वितरण हानियां</td><td>97%</td><td>97.5%</td><td>98%</td></tr>
</table>
संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए उक्त वितरण हानियां तथा वसूली कुशलता पर विचार करते हुए संगणित एटीएण्डसी हानियां। संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए संग्रह दक्षता इस प्रकार है:
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">स्थिति</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>वि.व. 2012-13</th><th>वि.व. 2013-14</th><th>वि.व. 2014-15</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनुमोदित संग्रह क्षमता</td><td>19.49%</td><td>18.10%</td><td>17.19%</td></tr>
</table>
विश्वसनीयता के मानक और आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में आयोग ने 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित यूईआरसी कार्यनिष्पादन विनियम 2007 के मानक को पहले ही अधिसूचित किया है।
</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td><td>उपलब्ध नहीं है</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th>यूटिलिटी</th><th colspan="3">वर्ष (%)</th></tr>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>2012-13</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डब्ल्यूबीएसईडीसीएल</td><td>17.50</td><td>17.50</td><td>17.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सीईएससी</td><td>14.45</td><td>14.30</td><td>14.30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डीपीएल</td><td>5.30</td><td>5.20</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डीपीएससी</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डीवीसी</td><td>2.30</td><td>2.20</td><td>2.20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5. मीटरिंग प्लान

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.9 इस अधिनियम में दो वर्शों के अंदर सभी उपभोक्ताओं को मीटर किया जाना अपेक्षित हैं। एसईआरसी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से अपनी मीटरिंग योजना प्राप्त कर सकती है, उन्हें अनुमोदित और उसकी निगरानी कर सकती है। एसईआरसी को पूर्व प्रदत्त मीटर इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रथमतः एक एमवीए के न्यूनतम भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटर भी प्रोत्साहित किए जाएंगे। एसईआरसी को स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
1.	आंध्रप्रदेश	70 केवीए से ऊपर लोड वाले अधिकांष एचटी उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही टीओडी टैरिफ और मीटर हैं।
2.	बिहार	शतप्रतिशत मीटरिंग सुनिष्चित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को टैरिफ आदेश सहित आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में बीईआरसी ने निर्देश दिया। अतएव आयोग मीटरिंग की स्थिति की समय समय से समीक्षा करता है।
3.	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम द्वारा मीटर लगाने का कार्य 100% पूरा हो गया। सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं को टीओडी मीटर सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
4.	दिल्ली	दिनांक जुलाई 31, 2013 का टैरिफ आदेश, टीओडी टैरिफ : टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं (घरेलू के अलावा) पर लागू किया गया था, जिनकी स्वीकृत भार / एमडीआई (जो भी अधिक हो) 100 KW/108 KVA और ऊपर है।
5.	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	जेईआरसी नियमित रूप से मीटरिंग की प्रगति मॉनिटरिंग करता है और अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मीटरिंग योजना की समीक्षा करता है। पूर्व प्रदत्त मीटर और टीओडी मीटर का उपयोग टैरिफ श्रेणी के उचित अवधारण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। थर्ड पार्टी मीटरिंग परीक्षण व्यवस्थाओं के संदर्भ में सीजीआरए/ओमबडसमैन गुण अवगुण आधार पर मामाले का निर्णय करता
6.	गुजरात	उपभोक्ता की सभी श्रेणियां कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर 100 प्रतिशत मीटर की गई हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए मीटरों को अलग किया गया और 100 प्रतिशत फीडर स्तर मीटरिंग उपलब्ध करवाई गई। कृषि कनेक्षन 10.10.2000 के बाद मीटरों सहित रिलीज किए गए।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू कष्मीर विद्युत अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य विद्युत विकास विभाग) से अप्रैल 2012 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करना अपेक्षित था। यद्यपि कंपनी आरएपीडीआरपी के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों में 100 प्रतिशत मीटरिंग की पूरा होने पर केन्द्रित रहा है लेकिन कंपनी अधिनियम के अधीन यथास्थापित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योग्य नहीं रही है। कंपनी के अनुरोध पर 100 प्रतिशत मीटर प्राप्त करने की निर्धारित सीमा जून 2013 तक बढ़ा दी गई। कंपनी जून 2013 तक निर्धारित सीमा के अंदर 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा नहीं कर सकी और अनुरोध किया है कि यह वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा कर सकती है। स्वप्रेरणा कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध आयोग द्वारा आंरभ की गई ताकि राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित विस्तृत मीटरिंग योजना के प्रस्तुत करने के संबंध में मामले में पारित आयोग के निर्देशों के लिए कंपनी के अनुपालन की मांग की जा सके। कंपनी ने प्रणाली एवं उपभोक्ता मीटरिंग के लिए दोनों मीटरिंग योजनाओं को प्रस्तुत किया। आयोग ने योजना स्वीकार करते समय प्रस्तावित योजना के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग पूरा करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया। आयोग ने अधिनियम में निर्धारित समय के गंभीर विचलनों को ध्यान में रखते हुए 100 प्रतिशत मीटरिंग की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित समय सीमा के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन की मांग के लिए कंपनी को निर्देश दिया।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
9.	कर्नाटक	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की मीटरिंग योजना अनुमोदित की गई है और मॉनिटर की जा रही है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने 10एचपी और कम के आईपी सेट्स को छोड़कर स्थापना की सभी श्रेणियों के लिए मीटर स्थापित किए हैं।
10.	केरल	केरल में सभी उपभोक्ताओं को मीटर किया गया। एचटी और ईएचटी उपभोक्ता के लिए, टीओडी मीटर आवश्यक है। एलटी इण्डस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए 20 किलोवाट से ऊपर (कुल भार) टीओडी मीटर आवश्यक है।
11.	महाराष्ट्र	1. आयोग ने 28 अप्रैल 2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–1 में महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है। 2. महाराष्ट्र में टैरिफ दो संघटकों अर्थात् नियत लागत (रु./किलोवाट) और परवर्ती लागत (रु./किलोवाट) में है। 3. भार के बेहतर प्रबंधन के लिए टीओडी टैरिफ एमईआरसी द्वारा शुरू किया गया है। पीक टाइम उपयोग अधिक प्रभारित किया जाता है और रात्रि समय का प्रयोग पर रियायत दी जाती है। महाराष्ट्र में टीओडी टैरिफ निम्नलिखित टाइल स्लॉट में प्रत्येक दिन विभक्त किया गया है और संबंधित टाइम स्लॉट के दौरान उपभोग के अनुसार प्रभारित किया जाता है: समय 0600 . 0900 घण्टा 0900 . 1200 घण्टा 1200 . 1800 घण्टा 1800 . 2200 घण्टा 2200 . 0600 घण्टा 4. आयोग ने मैसर्स इडेमी, स्वतंत्र एनएबीएल प्रत्यायित कैलीबरेशन एवं परिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से प्रतयेक श्रेणी से उपभोक्ताओं के नमूना संख्या के लिए परिचालनगत मीटरों की शुद्धता की सत्यापन के लिए आर इंफ्रा डी लाइनसेंस क्षेत्र में थर्ड पार्टी मीटर परीक्षण आरंभ किया। यह मीटर परीक्षण अभियान 14 अक्टूबर, 2009 से एमईआरसी की ओर से रिडेमी द्वारा आरंभ किया गया और यह 4 अप्रैल 2010 को समाप्त हुआ। इस कार्य के दौरान 1337 मीटर देखे गए। 5. 16.08.2012 के एमएसइडीसीएल 2012 के मामला संख्या 19 में आदेश के माध्यम से कहा कि सभी नए कनेक्शन केवल मीटर आधार पर दिए जाने चाहिए। 6. महाराष्ट्र राज्य में सभी उपभोक्ता एमएसईडीसीएल उपभोक्ता लाइसेंस क्षेत्र में एजी उपभोक्ताओं को छोड़कर मीटर किए गए हैं। 2014 के मामला संख्या 121 में कार्यवाही के दौरान एमएमइडीसीएल ने कहा कि कुल 37,32,563 में से लगभग 16,11,963 (अर्थात् 43%) एजी उपभोक्ता कनेक्शन अभी तक मीटर नहीं किए गए हैं। 7. आयोग ने 3 वर्षों की अवधि के अंदर 100 प्रतिशत मीटर पूरा करने के लिए एमएसइडीसीएल को निर्देश दिया।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
12.	मध्य प्रदेश	मीटरिंगकरण योजना नीचे दी गई है: मध्यप्रदेश में वितरण कंपनियों द्वारा सहमत मीटरिकरण योजना i. देसी उपभोक्ता . षहरी . वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त 100 प्रतिशत मीटरिंग – 100% ii. देसी उपभोक्ता . ग्रामीण . केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2016 और पश्चिमी डिस्काउंट के लिए पूर्वी डिस्कॉम जून 2016 के लिए सितम्बर, 2016 तक iii. कृषि डीटी . पश्चिमी डिस्कॉम और पूर्वी के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं। केन्द्रीय डिस्कॉम के लिए मार्च 2017 तक मीटरीकरण पूरा किया जाना है। iv. फीडर (11kV) . पूर्वी डिस्कॉ 100 प्राप्त किया गया। पश्चिमी डिस्कॉम 95.24 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम 100 प्रतिशत मार्च 2016 तक v. फीडर (33kV) . पूर्वी और पश्चिमी डिस्कॉमः 100% प्रतिशत प्राप्त किया गया। केन्द्रीय डिस्कॉम मार्च 2016 तक 100 2000 से एचटी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी पहले से है। थर्ड पार्टी स्वतंत्र मीटर परीक्षण 21.8.2007 से पहले से है।
13.	मणिपुर और मिजोरम	मणीपुर एवं मिजोरम 100% मीटरिंग मणीपुर में प्राप्त की जानी है और मिजोरम में प्राप्त की गई।
14.	नागालैण्ड	-----
15.	उड़ीसा	ओईआरसी प्रत्येक अर्द्धवार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक में डिस्कॉम की मीटरिंग योजना और मीटरिंग की स्थिति की मॉनिटरिंग करता रहा है। आयोग ने पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए डिस्कॉम को अनुमति दी है यदि उपभोक्ता ने इसका चयन किया है। आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि सभी सरकारी उपभोक्तओं को उनके द्वारा भुगतान में चूक से बचने के लिए पूर्व प्रदत्त मीटर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। आयोग ने अपने टैरिफ आदेशों में निर्देश दिया है कि सभी तीन चरण उपभोक्ताओं को टीओडी लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वे अपने कंट्रेक्ट मांग का ध्यान किए बिना अपेक्षित मीटर फिट करवाते हैं। स्वतंत्र थर्ड पार्टी मीटर के प्रयोजन के लिए परीक्षण व्यवस्था प्रयोगशालाओं को सीईए (मीटरों की स्थाना और प्रचालन) विनियम 2006 के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है।
16.	पंजाब	एपी (कृषि) श्रेणी को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को पंजाब राज्य में मीटर किया जाता है तथापि एपी श्रेणी का उपभोग अनन्य एपी फीडरों के पंप उर्जा के आधार निर्धारित किया गया। पीएसपीसीएल को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार 100 प्रतिशत मीटरिंग योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया जिसकी अभी प्रतिक्षा है।
17.	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी ने सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मीटरिंग नए कनेक्शनों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा अनुमोदन के लिए मीटरिंग योजना प्रस्तुत करें। विभाग द्वारा प्रस्तुत ब्योरा के अनुसार कुल उपभोक्ताओं का 77.37 प्रतिशत को नवंबर, 2015 के अनुसार मीटर किया गया।
18.	तमिलनाडु	सभी सेवाओं को कृषि तथा हट सेवाओं को छोड़कर मीटरगत किया गया। 2012 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल याचिका में कृषि और हट सेवाओं में मीटरों की स्थापना के लिए समय की मांग की गई है। अनुज्ञप्तिधारी ने फीडरों और ट्रांसफॉमर में 100 प्रतिशत की मीटरिंग की व्यवस्था का प्रयास किया है। पर्याप्त नमूना अध्ययन के माध्यम से वैयक्तिक फीडरों में हानियों के अध्ययन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किया गया और समय से 3/14 तक बढ़ाया गया। अनुज्ञप्तिधारी में अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	मीटरिंग प्लान
19.	त्रिपुरा	100% उपभोक्ता मीटरिंग कार्यक्रम चल रहा है। तथापि 9 प्रतिशत से अधिक मीटरिंग पहले ही कर ली गई है। पूर्व प्रदत्त मीटरिंग अभी आरंभ की जानी है। टीओडी उपभोक्ता की मांग के अनुसार पहले आरंभ की गई है।
20.	उत्तराखण्ड	देसी श्रेणी के लिए उर्जा प्रभार का 4 प्रतिशत की छूट और अन्य एलटी उपभोक्ताओं के लिए उर्जा प्रभारों की 3 प्रतिशत की छूट पूर्व प्रदत्त मीटरों के प्रचालनीकरण और स्थापन्न की तारीख से पूर्वदत्त मीटर योजना के अधीन उपभोक्ताओं को अनुमति है। इन हाउस आफसाइट और आनसाइट मीटर परीक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम को निर्देश जारी किए गए हैं और इस संबंध में अन्य विकल्प देखे गए हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	मीटरिंग को राज्य में प्रोत्साहित किया गया है और टीओडी मीटरिंग को पहले ही कार्यान्वित किया गया है।
22.	पश्चिम बंगाल	वित्तीय वर्ष: 2013–14 डब्ल्यूबीएसईडीसीएल – क) कृषि को छोड़कर सभी श्रेणी – 100% सीईएससी लि. – 100% डीपीएससीएल – 100% डीपीएल – 100%

6. एचवीडीएस, एससीएडीए और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.4.11 उच्च वॉल्टेज वितरण प्रणाली तकनीकी हानियों, चोरी से बचाव, उन्नत वॉल्टेज प्रोफाइल और बेहतर उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए प्रभावी पद्धति है। इसे तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एलटी/एचटी अनुपात को कम करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए।

5.4.12 स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियां वितरण प्रणालियों के कुशल कार्य के लिए उपयोगी हैं। स्काडा और डाटा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम वितरण अनुज्ञप्तिधारीयों से प्रापत किया जाना चाहिए और तकनीकी आर्थिक विचार को ध्यान में रखते हुए एसईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। चरणबद्ध ढंग से उपकेन्द्र स्वचालन उपकरण स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्र. सं.	एसइआरसी/ जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा/डाटा आधारित प्रबंध
1.	आंध्रप्रदेश	एचवीडीएस कृषि सेवाओं और गांवों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा आंध्रदेश में सभी बड़े शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	बिहार	आरंभ किया जाना है।	
3.	छत्तीसगढ़	राज्य डिस्कॉम में एलटी प्रणाली को एचवीडीएस में परिवर्तित किया है। आरईसी ऋण निधि आधार पर निष्पादन के लिए और अधिक योजनाओं को तैयार किया जा रहा है।	स्वचालित मीटर रीडिंग सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए कार्यान्वित की गई है। एचपी और अधिक के एलटी भार के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था प्रक्रिया के अधीन है। डाटा आधार प्रबंधन एसएपी पैकेज की मदद से की जा रही है। एसएपी सॉफ्टवेयर आठ विभिन्न मॉडयूल के साथ कार्यान्वयन में है। बिलिंग, वित्तीय नियंत्रण, भौतिक प्रबंधन और एचआर मॉडयूल पहले से ही कार्यात्मक है।
4.	दिल्ली	एचवीडीएस दृ पहले से कार्यान्वित है लेकिन अब पक्ष में नहीं है। एलटी एबीसी लागत प्रभावशीलता के कारण बड़े धरातल पर आंरभ की गई है।	स्काडा दृ तीन डिस्कॉम द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
5.	गोवा एवं संघशासित प्रदेश	परिचालन कार्यकुशलता में सुधार के लिए टैरिफ आदेशों के माध्यम से जेईआरसी सभी वितरण अनुज्ञप्तिधरियों को निर्देश देता है और इस संबंध में केपेक्स को अनुमति देता है।	
6.	गुजरात	स्काडा पर कार्यान्वयन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आंरभ किया गया। एचवीडीएस कार्यान्वयन हानियों में प्रभावी कमियों के लिए MGVCL, UGVCL, DGVCL और PGVCL में पहले ही लिया गया है।	
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	कंपनी ने एपीडीआरपी के अधीन श्रीनगर शहर में दो पायलट परियोजनाओं को पहले ही पूरा किया है और एक श्रीनगर में और दूसरी कटरा (जम्मू) दो और क्षेत्रों में भी लिया है। अन्य क्षेत्र आरएपीडीआरपी के भाग ख के अधीन कवर किए जा रहे हैं।	स्काडा और डीबीएम प्रणाली आर–एपीडीआरपी योजना (भाग ख) के अधीन उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें जम्मू और श्रीनगर की दो राजधानी शहरों को शामिल करते हुए 30 शहरों को कवर किया गया है।
8.	झारखण्ड	सूचना अनुज्ञप्तिधारी से प्रतीक्षित है।	

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा / डाटा आधारित प्रबंध
9	कर्नाटक	केईआरसी एचटी / एचटी अनुपात की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा एस्कॉम ने "निरंतर ज्योति योजना' के अधीन आईपी सेअ को आपूर्ति करने वाले 11केवी फीडरों के पृथक्करण किया है। एचवीडीएस योजनाएं एस्कॉम द्वारा की जा रही हैं। मार्गनिर्देश एचवीडीएस योजनाओं के कार्यनिष्पादन के संबंध में आयोग द्वारा जहां भी आवश्यक हो जारी किए गए हैं।	KPTCL ने एकीकृत SCADA स्कीम के तहत SCADA का उन्नयन किया। एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए ESCOM कम्प्यूटरीकरण लिया है।
10.	केरल	स्काडा पहले ही कार्यान्वित किया गया है। उन्नयन कार्य भाग–क में आरएपीडीआरपी योजना के अधीन प्रगति पर है।	
11.	महाराष्ट्र	एचवीडीएस कार्यान्वयन हानियों में प्रभावी कमी के लिए एपीडीआरपी / आरएपीडीआरपी / बुनियादी योजनाओं के माध्यम से एमएसईडीसीएल क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है।	स्काडा / डीएमएस और डाटा आधार प्रबंधन का कार्यान्वयन एमएसईडीसीएल क्षेत्र में आरएपीडीआरपी में किया जा रहा है। स्काडा / डीएमएस प्रणाली बेस्ट, टीपीसीडी और आर इंफ्राडी अनुप्तिधारी क्षेत्र में पहले ही कार्यान्वित की गई है।
12.	मध्य प्रदेश	अनुमोदित केपेक्स योजनाएं जिनमें चुनिंदा पहुंच में एचवीडीएस शामिल है।	डिस्कॉम द्वारा किया जाए।
13.	मणिपुर और मिजोरम	दोनों राज्यों में अभी कार्यान्वित किया जाना है।	
14.	नागालैण्ड	--	--
15.	उड़ीसा	आयोग ने पहले निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य जहां तक सीाव हो केवल एचवीडीएस के माध्यम से किया जाएगा।	उड़ीसा ग्रिडकोड के अनुसार सभी 220 केवी एस / एस में स्काडा संचार सुविधाओं की स्थापना के लिए उपबंध किए गए हैं। सभी ईएचटी उपकेन्द्रों में भार डाटा केप्चर किया जा रहा है और ऑनलाइन विश्लेशित किया गया है। इसमें सतत आधार पर प्रत्येक डिस्कॉम का 15 मिनट का भार डाटा के – बोर्ड के डिस्प्ले की व्यवस्था है। इसमें अधिक भार और व्यवधानों पर सूचना भी उपलबध है। आरएपीडीआरपी योजना के अधीन वितरण क्षेत्र में स्काडा / डीएमएस के कार्यान्वयन के लिए पहल की गई है। उक्त योजना निधि प्राप्त करने के बाद इसे पूर्णतः परिचालनीय किया जाएगा।
16.	पंजाब	आयोग ने सभी एपी कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय रूप से उभर सकने वाली योजनाओं को तैयार करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया है। कंपनी ने 31.3.2015 को समाप्त 2.11 लाख एपीएलवीडीएस कनेक्शनों को एचवीडीएस में परिवर्तित किया गया है।	वितरण स्काडा / डीएमएस के लिए एलओआई को मैसर्स सीमनस पर रखा गया और परियोजना को आरएपीडीआर के कार्य के साथ निष्पादित किया जाएगा।

क्र. सं.	एसइआरसी / जेईआरस	एचवीडीसी	स्काडा / डाटा आधारित प्रबंध
17.	सिक्किम		एचवीडी प्रणाली तथा स्काडा एवं डाटा प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वयन के अधीन और कुछ समय पूर्व वे पूर्णतः परिचालनीय हो सकती है।
18.	तमिलनाडु	आरपीडीआरपी योजना के अधीन लगभग 100 केवीए से नीचे विभिन्न क्षमताओं के लगभग 11350 ट्रांसफार्मर एचवीडीएस के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किए गए।	आरएपीडीआर योजना के अधीन स्काडा–वितरण प्रबंधन प्रणाली 139. 79 के करोड़ रू0 की कुल लागत पर सात राज्यों अर्थात् चेन्नई, मदुरई, त्रिचि, कोयंबतूर, स्लेम, त्रिपुर और त्रिरवेली जैसे सात शहरों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित की जा रही है। परियोजना जून 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।
19.	त्रिपुरा	पहले ही आरंभ की गई और प्रगति के अधीन है।	केवल स्काडा त्रिपुरा के विशेष क्षेत्र में आरंभ किया गया है।
20.	उत्तराखण्ड	यूईआरसी ने निर्देश दिया है कि 75 किलोवाट से अधिक सभी भार एचटी पर रिलीज की जानी चाहिए। सभी पीटीडब्ल्यूभार केवल एचटी पर रिलीज किए जायें। एचवीडीएस तकनीकी हानियों की कमी और उन्नत वॉल्टेज प्रोफाइल के लिए क्षेत्रों में आरएपीडीआरपी भाग ख योजना के लिए निवेश के अधीन कार्यान्वित की जा रही है।	डीसी और डीआरसी स्थापित हो गए हैं और कार्य आरंभ कर दिया है। केन्द्रीकृज वाणिज्यिक डाटाबेस एमआईएस अनुज्ञप्तिधारी पर कार्यान्वित किया गया है और प्रभागीय एमआईएस में समेकन प्रगति पर है। डिस्कॉम ने एएमआर के लिए परियोजना को लिया है और 10 किलोवाट से अधिक उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के लिए डाटा लॉगिन की है। उपभोक्ता सूची तथा जीआईएस मैपिंग आरएपीडीआरपी योजना के अधीन राज्य के 31 शहरों में पूरी हो गई है। रिंग फेंसिंग और फीडर मीटरिंग तथा इन शहरों की डीटी मीटरिंग लगभग पूरी हो गई है। मॉडम की स्थापना से संबद्ध कार्य प्रगति पर है।
21.	उत्तर प्रदेश	एचवीडीएस और स्काडा प्रणालियों का कार्यानवयन प्रगति पर है।	
22.	पश्चिम बंगाल	इस प्रकार की कोई प्रणाली राज्य में नहीं है।	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल : आर–एपीडीआरपी (भाग–ख) योजना के माध्यम से कार्यान्वयन फेज। सीईएससी लि.: ईएचटी केन्द्रः 23 केन्द्रों में आरटीयू सहित बेकअप कंट्रोल केन्द्र और मास्टर कंट्रोल केन्द्र। वितरण केन्द्रः डीएस में 33 केवी जीआईएस, 33 केवी उपभोक्ताः 58 आरटीयू सहित आफ लाइन बेकअप के प्रावधान सहित मास्टर नियंत्रण केन्द्र। आरएमयूः 14

7. कार्यनिष्पादन के मानक के लिए मानदण्ड

राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंधः

5.13.1 उपयुक्त आयोग को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर पूर्व निर्धारित के आधार पर कंपनियों को विनियमित करना चाहिए। पैरामीटरों में अन्यों के साथ व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी, वॉल्टेज पैरामीटर ट्रांसफार्मर असफलता दरें आपूर्ति की बहाली के लिए प्रतीक्षा समय नए कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची और दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता को शामिल किया जाना चाहिए। उपयुक्त आयोग को कार्यनिष्पादन के प्रतयाशित मानदण्डों को निर्दिष्ट करना होगा।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
1.	आंध्रप्रदेश	08-08-2013	राज्य सरकार द्वारा 2004 के मूल विनियम संख्या 7 के दूसरे संशोधन को अधिसूचित किया गया।
2.	बिहार	18.01.2007	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2006 को 18.1.2007 को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	जुलाई 14, 2006	उपभोक्ता सेवाओं में विलंब के लिए दण्ड के लिए उपबंध सहित एसओपी अधिसूचित किया गया।
4.	दिल्ली	18 अप्रैल 2007	दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और कार्यनिष्पादन मानक विनियम 2007, के माध्यम से अप्रैल 2007 में पहले से अधिसूचित जो अभी संशोधन के अधीन है।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	पहले जेइआसी ने 18.12.2009 को एसओपी विनियम अधिसूचित किया। इसके बाद एफओआर द्वारा अंगीकृत मॉडल विनियमों पर आधारित एसओपी विनियमों का नया सेट 24.7.2015 को अधिसूचित किया गया।	
6.	गुजरात	31.3.2005 के अधिसूचना सं. 10 के माध्यम से 2005	आयोग उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के लिए विभिनन वितरण कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। आयोग वितरण कंपनियों के लिए एसओपी विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित ब्यौरो सहित वार्षिक रिपोर्टों तथा तिमाही रिपोर्टें प्राप्त करता है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	19.06.2006	विद्युत वितरण और खुदरा आपूर्ति की कुशल विश्वसनीय समन्वित और मितव्ययी प्रणाली के लिए कुछेक विवेचनीय वितरण प्रणाली पैरामीटरों के रखरखाव के लिए मार्गनिर्देश रखने वाले जेएण्डकेएसईआरसी (वितरण कार्यनिष्पादन मानदण्ड) विनियम 2006 मौजूद है।
8.	झारखण्ड	09.09.2015	9.9.2015 को अधिसूचित जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2015
9.	कर्नाटक	जून 10, 2004	कार्यनिष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट किए गए और 10.6.2014 को अधिसूचित किए गए और उनका अनुपालन मॉनिटर किया जा रहा है।
10.	केरल	09.05.2006	केएसईआरसी (कार्यनिष्पादन का अनुज्ञप्तिधारी के मानक) विनियम, 2006 जारी किए गए हैं।
11.	महाराष्ट्र	20 जनवरी, 2005	एमईआरसी (आपूर्ति के लिए एवं क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम, 2005 20 जनवरी 2005 को अधिसूचित किया गया।
12.	मध्य प्रदेश	नवीनतम अधि सूचना–23 / 11 / 2012	विनियमों में आपूर्ति गुणवत्ता, प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यनिष्पादन की गारंटीकृत मानक इत्यादि की गुणवत्ता शामिल है। प्रथम 16.7.2004 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण 1 26.09.2005 को अधिसूचित हुआ। पुनरीक्षण–II 23.11.2012 को अधिसूचित हुआ।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
13.	मणिपुर और मिजोरम	25.06.2012	विनियम निरस्त हुआ और नया विनियम 9.6.2014 की अधिसूचिना के माध्यम से अधिसूचित हुआ।
14.	नागालैण्ड	--	--
15.	उड़ीसा	मई 28, 2004	ओईआरसी ने ओईआरसी (कार्यनिष्पादन के अनुज्ञप्तिधारी मानदण्ड) विनियम, 2004 जारी किया। आयोग ने उक्त विनियम में अनुज्ञप्तिधारियों के व्यवधान की फ्रिक्वेंसी और अवधि जैसे कार्यनिष्पादन के प्रत्याशित मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया। कुछ मानकों के गैरअनुपालन के लिए उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति विनियम की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी की गई।
16.	पंजाब	29.06.2007	पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड एवं संबंद्ध मामले) विनियम 2007 में कार्यनिष्पादन के मानकों निर्दिष्ट किया गया है जो 29.06.2007 की अधिसूचना संख्या पीएसईआरसी / सचिव / विनियम 31 के माध्यम से अधिसूचित और 01.01.2008 से प्रभावी हुआ और 27.7.2007 के राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित किया गया। कंपनी द्वारा कार्यनिष्पादन के मानकों की पूर्ति की असफलता के मामले में प्रतिपूर्ति 1.1.2012 से कार्यान्वित की गई।
17.	सिक्किम	23 मार्च, 2012	आयोग ने सिक्किम राज्य (अनुज्ञप्ति के पारेषण और वितरण के लिए कार्यनिष्पादन के मानदण्ड) विनियम 2012 के लिए सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग तैयार किया और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के लिए 14.12.2012 के माध्यम से सं. 03/SSERC/SP/2012 जारी किया। विनियम 23.03.2012 के सिक्किम के सरकार के 132 राजपत्र में अधिसूचित किया। विनियम में वितरण और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कार्यनिष्पादन के विभिन्न मानदण्डों को विनिर्दिष्ट और कवर किया गया है।
18.	तमिलनाडु	1.9.2004	राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित पैरामीटरों के लिए मानदण्ड कार्यनिष्पादन विनियम 2004 के तमिलनाडु विद्युत वितरण मानकों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए और मॉनिटर किया गया।
19.	त्रिपुरा	11.01.2005	केवल अनुज्ञधिारी अर्थात् टीएसईसीएल द्वारा त्रिपुरा राज्य में एसओपी विनियम पहले ही आंरभ किया गया है।
20.	उत्तराखण्ड	अप्रैल 17, 2007	एसओपी विनियम पहले ही अधिसूचित है। उपभोक्ताओं सेवाओं में कमी के लिए क्षतिपूर्ति और दण्ड का भुगतान विनियम में अधिसूचित है। तिमाही रिपोर्ट एसओपी पर वितरण अनुज्ञधिारी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना नियमित आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यूईआरसी एसओपी के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा कर रही है। पारंपरिक शिकायत के अलावा टोल फ्री नंबर सेवा शिकायत के लिए आरंभ कर दी गई है जो एसओपी विनियमों के अनुपालन की तत्काल मॉनिटरिंग के लिए लाभदायक है। उक्त के अलावा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सेवा चार्टर कार्यनिष्पादन के मानकों के संबंध में विद्युत उपभोक्ताओं की सामान्य जानकारी के लिए 4.2.2015 को जारी किया गया।
21.	उत्तर प्रदेश		आयोग ने 1 अप्रैल, 2015 से लागू एमवाईटी विनियम 2014 में एसओपी पर अधिसूचित किया।

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	एसओपी – अधिसूचना की तारीख	सार
22.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयेाग (उपभोक्ता सेवा से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम क) प्रथम 16 / डब्ल्यूबीईआरसी दिनांक 5.2.2004 के माध्यम से 5.2.2004 को अधिसूचित किया गया। ख) इसके अलावा 18.10. 2005 को 24 / डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया। ग) दोबारा 31.5.2010 को 46 / डब्लयूबीईआरसी द्वार निरस्त व प्रतिस्थापित किया गया। घ) 26.82013 57 / डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा संशोधि त किया गया। ङ) दूसरा संशोधन 7.1.2014 के 61 / डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा संशोधित किया गया।	समय–सयम से यथासंशोधित कार्यनिष्पादन के मानक ने आपूर्ति की बहाली के लिए समय, असफलता दरें, वॉल्टेज पैरामीटर, व्यवधान की अवधि और फ्रिक्वेंसी से संबंधित बेंचमार्क विनिर्दिष्ट है।

8. सीजीआर फोरम की स्थापना और ओमबडसमैन

5.13.3 राष्ट्रीय विद्युत नीति में उपबंध

5.13.3 यह हिदायत है कि सभी राज्य आयोगों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत निवारण फोरम के संबंध में मार्गनिर्देशन तैयार करने चाहिए तथा ओमबडसमैन के संबंध में विनियम और 6 महीने के अंदर ओमबडसमैन को नियुक्त और/पदनामित करना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
1.	आंध्रप्रदेश	03.07.2007	ओमबडसमैन और उसके स्टाफ की सेवा की निबंधन व शर्तों तथा नियुक्ति के संबंध में राज्य आयोग ने एपीईआरसी (विद्युत ओमबडसमैन की नियुक्ति और सेवा की निबंधन व शर्तें) विनियम 2007 (2007 का विनियम संख्या 2) को भी अधिसूचित किया। इसके बाद 19.6.2010 को आयोग ने 2007 के मूल विनियम संख्या 2 में प्रथम संशोधन जारी किया।
2.	बिहार	20.05.2006 को अधिसूचित किया।	बीईआरसी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत ओमबडसमैन) विनियम 2006 20.5.2006 को अधिसूचित किया।
3.	छत्तीसगढ़	फरवरी 15, 2005 और 22.12. 07 को संशोधित किया।	सीजीआर तीन प्रादेशिक मुख्यालयों में स्थापित किए गए। ओमबडसमैन नियुक्त किया गया और दोनों कार्यरत हैं।
4.	दिल्ली	11.03.2004 को अधिसूचित किया।	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना एवं ओमबडसमैन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2003 (11.03. 2004 को अधिसूचित किया)
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	इस संबंध में जेईआरसी विनियम 31.7.2009 को अधिसूचित किया। सीजीआएफ और ओमबडसमैन व्यवस्था जारी है और ठीक से कार्यरत है।	
6.	गुजरात	जीईआरसी (उपभोक्ता के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम 2004, 2004 की अधिसूचना संख्या 4 दिनांक 25.8.2004 (निरस्त) जीईआरसी ने सीजीआरएफ दिनांक 07.4. 2011 को अधिसूचित किया और ओमबडसमैन (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और ओमबडसमैन) विनियम 2011 को 2011 की अधिसूचना संख्या 2	गुजरात राज्य में 8 सीजीआरएफ कार्य कर रहे हैं। आयोग तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.6.2010 से स्वतंत्र ओमबडसमैन को नियुक्त कर रहा है। आयोग तिमाही रिपोर्टों और आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से अपने कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	अधिसूचित और यथास्थान	जेएण्डकेएसईआरसी (उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए फोरम की स्थापना हेतु जेएण्डकेएसईआरसी मार्गनिर्देश और विद्युत ओमडसमैन विनियम, 2010) विनियम 2010 को अधिसूचना क्रमशः संख्या 03/JKSERC/2010 दिनांक 06.10.2010 ओर संख्याः 04/JKSERC/2010 दिनांक 06.10.2010 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा आयोग ने No.: JKSERC/20 दिनांकय 27.08.2012 के माध्यम से (उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम ओमबडसमैन और उपभोक्ता एडवोकेसी) विनियम 2012 अधिसूचित किया है। ओमडसमैन अभी नियुक्त किया जाना है चूंकि सीजीआरएफ कंपनी/सरकार द्वारा अभी स्थापित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
8.	झारखण्ड	09 / 11 / 2011	पहले ही अधिसूचित किया गया है।
9.	कर्नाटक	जून 10, 2004	केईआरसी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम तैयार किया है और 10.6. 2014 को अधिसूचित किया। आयोग ने ओमडसमैन नियुक्त किया और राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सीजीआर फोरम स्थापित किया।
10.	केरल	14.10.2005	केएसईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और विद्युत ओमबडसमैन) विनियम, 2005 विद्युत ओमडसमैन और अनुज्ञप्तिधारियों का सीजीआरएफ राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।
11.	महाराष्ट्र	20.04.2006	क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) और 42(6) के अनुसरण में एमईआरसी ने 'महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2006 तैयार किया है जिसमें महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा ओमडसमैन) विनियम 2003 के रूप में अभिज्ञात 2003 में तैयार विनियमों को अधिक्रमित किया। ख) विनियमों में त्रिटायर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है जिसमें अनुाप्तिधारी द्वारा उनको प्रदत्त सेवा में कमी के कारण व्यथित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता उसके क्षेत्र के आईजीआर कक्ष से संपर्क कर सकता है और संतुष्ट न होने की स्थिति में अंचल के सीसीजीआर से शिकायत दाखिल कर सकता है और सीसीजीआर के निर्णय से संतुष्ट न होने पर ओमडसमैन से संपर्क कर सकता है। ग) तदनुसार प्रत्येक डिस्कॉम ने सीजीआरएफ गठित किया है। तीन डिस्कॉम अर्थात् बेस्ट, आरइंफ्रा और टीपीसी प्रत्येक का एक सीजीआरएफ है। जबकि प्रचालन का व्यापक क्षेत्र होने के कारण एसएसईडीसीएल के पास 16 सीजीआरएफ है। इस प्रकार मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में कुल 19 सीजीआरएफ हैं। घ) विद्युत ओमडसमैन का कार्यालय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के अधीन 27.9.2004 को स्थापित किया गया और मुंबई में 24.1.2005 से कार्य आरंभ किया। एमईआरसी ने 2011 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधार के लिए नागपुर में एक ओर विद्युत ओमडसमैन गठित किया। ङ) विद्युत ओमडसमैन और सभी सीजीआरएफ राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
12.	मध्य प्रदेश	30.4.2004 को अधिसूचित 28.08.2009 को संशोधितध 10.5.2013 को अंतिम रूप से संशोधित	विनियमों में उपभोक्ता शिकायतों का ईसीजीआरएफ निवारण और ओमडसमैन की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश शामिल हैं।
13.	मणिपुर और मिजोरम	18.06.2010	सीजीआरएफ को दोनों राज्यों में गठित किया गया। ओमडसमैन को दोनों राज्यों के लिए नामित किया गया।
14.	नागालैण्ड	31/01/2012	NERC/REFN/2012(B) दिनांक 31/01/2012 ने विनियमों को अधिसूचित किया और अंतिम रूप दिया।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीजीआर विनियम	सार
15.	उड़ीसा	ओईआरसी ने ओईआरसी (शिकायत निवारण ओमडसमैन) जारी किया।	12 जीआरएफ और दो ओमडसमैन अधिकारी राज्य में प्रचालन में है। एक ओमडसमैन कार्यालय NESCO, WESCO & SOUTHCO कवर करता है और दूसरा ओमडसमैन कार्यालय केवल सीएसयू को कवर करता है। ओमडसमैन सीधे आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि जीआरएफ के अध्यक्ष और वित्त सदस्य संबंधित डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत नाम के पैनल से आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग सहसदस्य को नामित करता है।
16.	पंजाब	पीएसईआरसी (फोरम एवं ओमडसमैन) विनियम 2005	पटियाला में मुख्ययालय सहित सीजीआर, सीजीआरएफ 1.8.2006 से कार्य कर रहा है। पीएसईआरसी द्वारा नियुक्त ओमडसमैन विद्युत पंजाब, चंडीगढ़ 11.9. 2006 से कार्य कर रहा है।
17.	सिक्किम	30 अप्रैल 2012	तैयार किए गए मार्गनिर्देश और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित सीजीआरएफ। ओमडसमैन के संबंध में विनियम अधिसूचित किया गया और सीजीआरएफ अधिसूचित एवं ओमडसमैन नामित किया।
18.	तमिलनाडु	18 फरवरीए 2004	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं ओमडसमेन के संबंध में आयोग के विनियमों में फोरम की स्थापना के लिए या विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम स्थापित करने के लिए अनुज्ञन्धिारी के लिए व्यवस्था है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने 42 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए हैं। प्रत्येक वितरण परिमण्डल में एक और फोरम ठीक से कार्य कर रहे हैं। विद्युत ओमडसमैन आयोग द्वारा नियुक्त किया जा रहा है जो विनियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्य करता है। विद्युत ओमडसमैन फोरमों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण हैं।
19.	त्रिपुरा	पहले से तैयार किए गए हैं।	सीजीआरएफ को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही आंरभ किया गया है। मौजूदा ओमडसमैन 30/6/2015 को सेवानिवृत्त हो गया है। नया ओमडसमैन भी नियुक्त किया जाना है।
20.	उत्तराखण्ड	17.01.2007 को अधिसूचित किया।	दो सीजीआरएफ और एक ओमबडसमैन कार्य कर रहा है।
21.	उत्तर प्रदेश	आयोग ने 'यूपी विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं विद्युत ओमडसमैन) विनियम 2007' को 4.10.2007 को अधि ासूचित किया गया।	सभी डिस्कॉमों ने अपने संबंधित अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्रों में सीजीआरएफ स्थापित किया है और मौजूदा रूप से कार्य कर रहा है।
22.	पश्चिम बंगाल	क) विनियम 8.10.2003 के पूर्ववर्ती विनियम के प्रतिस्थापन्न में 17.01.2006 को किया गया। ख) इसके बाद, 26.08.2013 के 6/WBERC प्रतिस्थापित किया गया।	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल – 19+1+1 (1 हेड क्वार्टर में पीजीआरओ) सीईएससी लि. – 10 डीपीएससीएल – 9 डीपीएल – निर्मित किया गया और प्रचालन में है। डीवीसी– सीजीआर निर्मित फिलहाल 3 ओमडसमैन कार्य कर रहे हैं।

9. उपभोक्ता समूह के लिए क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय नीति में उपबंधः

5.13.4 केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और विद्युत विनियामक आयोगों को विनियामक आयोगों के समक्ष उपभोक्ता समूहों और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व का क्षमता निर्माण करना चाहिए। इससे विनियामक प्रक्रिया में वृद्धि होगी।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
1.	आंध्रप्रदेश	आयोग इलैक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया तथा उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से टैरिफ अवधारण, विनियमों को अधिसूचित करने के दौरान स्टेकहोल्डरों / उपभोक्ताओं / आम जनता से सुझाव / विचार आमंत्रित करता रहा है और उनका उत्तर उत्साहवर्धक है।
2.	बिहार	.
3.	छत्तीसगढ़	उपभोक्ता एडवोकेसी कक्ष आयोग द्वारा पहले ही स्थापित किया गया है।
4.	दिल्ली	आयोग ने उपभोक्ता एडवोकेसी के लिए सार्वजनिक शिकायत कक्ष ळवछब्ज्क को अधिदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक बुलेटिन भी जारी किया है।
5.	गोवा एवं संघषाषित प्रदेश	जेईआरसी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई नियमित रूप से करता रहा है। कुछ मामलों के लिए जेईआरसी अपने विनियमों के बारे में सूचित करने के लिए 'उपभोक्ता समूह के साथ विचार–विमर्ष भी करता है।'
6.	गुजरात	आयोग टैरिफ अवधारण में सहभागिता के लिए उपभोक्ता समूहों को आमंत्रित करता है और उपभोक्ता को सेवाओं में सुधार के लिए अपने मूल्यवान सुझाव की मांग भी करता है। इस परियोजना को सीयूटीएस अंतरराष्ट्रीय की मदद से कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य मांग पक्ष प्रबंधन और नवीकरणीय उर्जा पहल के लिए मांग में उपभोक्ता समूहों की दीर्घकालिक क्षमता जानकारी में वृद्धि करना रहा है।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	आयोग राज्य के जिला मुख्यालयों में सामान्य उपभोक्ता जानकारी तथा विद्युत आपूर्ति कोड, वितरा कार्यनिष्पादन मानक में, जेएण्डके विद्युत अधिनियम 2010 के उपबंधों पर नियमित रूप से कार्यशाला आयोजित करता रहा है और समय–समय से इस प्रकार के सेमीनार / कार्यशाला के आयोग के लिए उपभोक्ता संगठन एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करता है।
8.	झारखण्ड	उपभोक्ता समूहों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए बहुविध सार्वजनिक सुनवाईयां किसी टैरिफ आदेश / विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोजित की जाती हैं। जेएसईबी टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देने के लिए बहुविधि सार्वजनिक सुनवाइयां अप्रैल 2012 से मई 2012 तक आयोजित की गई। इसी के साथ–साथ आयोग सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों में कंपनियों को निर्देश देता है जिससे विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए मदद मिलती है और इससे क्षमता निर्माण में भी मदद मिलती है।
9.	कर्नाटक	उपभोक्ता समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला प्रशिक्षण सेमिनार तथा तिमाही पत्रिकाओं से उपभोक्ता एडवोकेसी कार्यालय के माध्यम से आरंभिक रूप से किया जाता है। इसे ओमडसमैन के कायालय के माध्यम से जारी रखा गया है। अपने टैरिफ आदेश में आयोग वितरण अनुप्तिधारियों द्वारा किए गए उपभोक्ता क्षमता निर्माण के लिए व्यय के लिए निधियां उपलब्ध करवाता रहा है।
10.	केरल	उपभोक्ता समूहों की पहचान की गई है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
11.	महाराष्ट्र	1. विद्युत उपभोक्ता के हितों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन की प्राप्ति के लिए धारा 86(4) और 94(3) के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा और अपेक्षाओं की तुलना के रूप में उनके अनुभव / विशेषज्ञता द्वारा दर्शाए गई रूचि के आधार पर 19.12.2003 के आदेश के द्वारा एमईआरसी में पांच प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि संगठनों को प्राधिकृत किया है अर्थात्: (क) मुम्बई ग्राहक पंचायत, विल्ले पार्ले (पष्चिम), मुम्बई (ख) प्रयास एनर्जी ग्रुप, पुणे (ग) थाने बेलापुर इंडस्ट्रिज ऐसोसिएषन, नवीकरणीय मुम्बई (घ) विदर्भ इंडस्ट्रिज ऐसोसिएषन, नागपुर (ङ) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग एवं कृषि 2. 8 जून, 2012 को एमईआरसी ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व के उपयुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं के चयन एवं प्राधिकार के लिए एमईआरसी (प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि) विनियम, 2012 को अधिसूचित किया। 3. हाल ही में, आयोग ने मामला दर मामला आधार पर उपभोक्ता हित को प्रस्तुत करने के लिए सीआर के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में 15 व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया। 4. उपभोक्ता समूह उत्पादन कंपनी पारेशण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और व्यापर अनुज्ञप्तिधारी इत्यादि के लिए एआरआर / टैरिफ के अवधारण पर सुनवाई में उपभोक्ताओं की ओर से सुझाव और अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और सहभागिता करता है। 5. उक्त उपभोक्ता प्रतिनिधियों को षामिल करते हुए उपभोक्ता / स्टेकहोल्डरों और आम जनता के सुझावों / टिप्पणियों को टैरिफ निर्धारण और विनियमों को अंतिम रूप देने से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
12.	मध्य प्रदेश	उपभोक्ताओं को सहायता करने वाले रजिस्टर्ड 127 एनजीओ के लिए
13.	मणिपुर और मिजोरम	मणिपुर मिजोरम अधिसूचित सिटीजन चार्टर, उपभोकता जागरूकता बैठक / कार्यशाला आयोग द्वारा तथा नामजद संगठनों के माध्यम से समय–समय से आयोजित की जाती है। उपभोक्ताओं को दोनों राज्यों में राज्य सलाहकार समिति में ठीक से प्रतिनिधित्व किया जाता है। उपभोक्ता समूह महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता की जाती है।
14.	नागालैण्ड	लागू नहीं

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
15.	उड़ीसा	• विभिन्न विनियामक निर्णय प्रक्रिया में आयोग उपभोक्ताओं के राय लेता है और उन्हें सुनवाई में सहभागिता के लिए अनुमति देता है। • विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(3) के अनुसार अपने टैरिफ सुनवाई में ओईआरसी विश्लेशण के लिए 'उपभोक्ता काउंसिल' को लगाता रहा है और अनुज्ञप्तिधारियों / उत्पादन कंपनी के एआरआर एवं टैरिफ आवेदन पर अपनी स्वतंत्र विचार रखता रहा है। • आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यनिष्पादन पर आवष्यक फीडबैक तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर उपभोक्ता की संतुश्टि पर आवष्यक फीडबैक के लिए उपभोक्ता काउंसिल के लिए एनजीओ और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है। • जीआरएफ एवं ओमडसमैन के साथ वार्शिक विचार–विमर्ष • जीआरएफ के निरीक्षण और उपभोक्ता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किए जा रहे हैं। • टैरिफ एवं अन्य महत्वपूर्ण आदेशों का संग्रह वार्शिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। • 'आपको क्या करना चाहिए?' षीर्शक की पुस्तिका (एफएक्यू) प्रकाशित की गई और विद्युत उपभोक्ताओं को वितरित की गई। • कार्यनिष्पादन मानक वार्शिक रूप से प्रकाशित किए गए। • सभी बड़े उड़िया और अंग्रेजी दैनिक ने बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित सार्वजनिक जागरूकता अभियान • वर्ष 1998 में आयोग ने वेबसाइट स्थापित की जो देश के विद्युत क्षेत्र में विशेष रही। ओईआरसी वेबसाइट को पोर्टल में उन्नत किया गया जो अब उपभोक्ता से मित्रवत बनी हुई है और अपनी प्रकृति में विचार विमर्ष रखती है।
16.	पंजाब	उपभोक्ता समूह टैरिफ के अवधारण के लिए सार्वजनिक सुनवाई में सहभागिता करता है। इन उपभोक्ता समूह के कुछ प्रतिनिधियों को पीएसईआरसी, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। उपभोक्ताओं समूहों की टिप्पणियां आयोग द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने से पूर्व सावर्जनिक नोटिस के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
17.	सिक्किम	आयोग विनियामक प्रक्रिया तथा पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के लिए विनियामक प्रक्रिया को बनाने के सभी प्रयास करता रहा है। आयोग के कार्यकलाप, विनियम, सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन से संबंधित सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में रखी गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता / संवेदनात्मक कार्यक्रमों के लिए निर्देश देता रहा है ताकि सूचना का विस्तार किया जा सके और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा सके।
18.	तमिलनाडु	सभी वितरण मण्डलों में निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की गतिविधियां आयोग द्वारा मॉनिटर की जाती है। आयोग ने उपभोक्ता संबंधित मामलों पर पुस्तिका प्रकाशित की है और उपभोक्ता / उपभोक्ता समूह में प्रचालित की है।
19.	त्रिपुरा	पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम की व्यवस्था की स्थिति में नहीं है।

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सार
20.	उत्तराखण्ड	यूईआरसी ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के हित को प्रदर्षित करने के लिए सदस्यों सहित राज्य परामर्षदाता समिति स्थापित की। टैरिफ आदेशों सहित महत्वपूर्ण आदेशों और विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व यूईआरसी इस प्रकार के परामर्ष / बैठक के प्रस्ताव सहित कार्यसूची के उचित प्रचालन के बाद समिति के साथ संरचित परामषर्म करता है। यूईआरसी निर्देशों पर आधारित और पूर्ण राज्य में सार्वजनिक सुनवाई करता है, वितरण कंपनी संबंधित अंचल के महाप्रबंधक / मुख्य अभियंता के नियंत्रण एवं अधिक्षण के अधीन उपभोक्ता षिकायतों के निपटान और प्राप्ति के लिए सुनवाई के स्थान के बाहर कैम्प लगाता है। सुचना प्रसार तथा उपभोक्ताओं में जानकारी पैदा करने के लिए भाग के रूप में यूईआरसी समय से समय से समाचारपत्र में प्रकाशित करता है और विनियम के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा प्रदान की जाने की अपेक्षित उपभोक्ताओं को सेवाएं तथा आपूर्ति की गुणवत्ता के संबंध में पेम्फ्लेट वितरित करता है।
21.	उत्तर प्रदेश	आयोग विभिन्न उपभोक्ताओं के स्तर से प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए उपभोकता समूह के गठन का उन्नयन करता रहा है। सभी समूह आयोग के निर्णय में गुणवत्ता योगदान करते रहे हैं। आयोग टैरिफ अवधारण तथा अन्य महत्वपूर्ण मुददों के लिए उपभोक्ता सहभागिता के लिए राज्य के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई करते रहे हैं।
22.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीईआरसी ने विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत के निवारण के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (ओमडसमैन द्वारा इस प्रकार की शिकायत से लेनदेन के समय व ढंग तथा उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए मार्गनिर्देश) विनियम 2013 नाम से विनियम अधिसूचित किए। कार्यनिष्पादन विनियम के मानक की मुख्य विशेषताएं, शिकायत निवारण तंत्र के पत्रकों को उपभोक्ताओं में विद्युत बिल सहित प्रचालित करने के लिए आयोग द्वारा निर्देश दिए गए। उपभोक्ता समूह के प्रतिनिधि को मुददे की प्राथमिकता के लिए आयोग की सलाहकार समिति में शामिल किया गया।

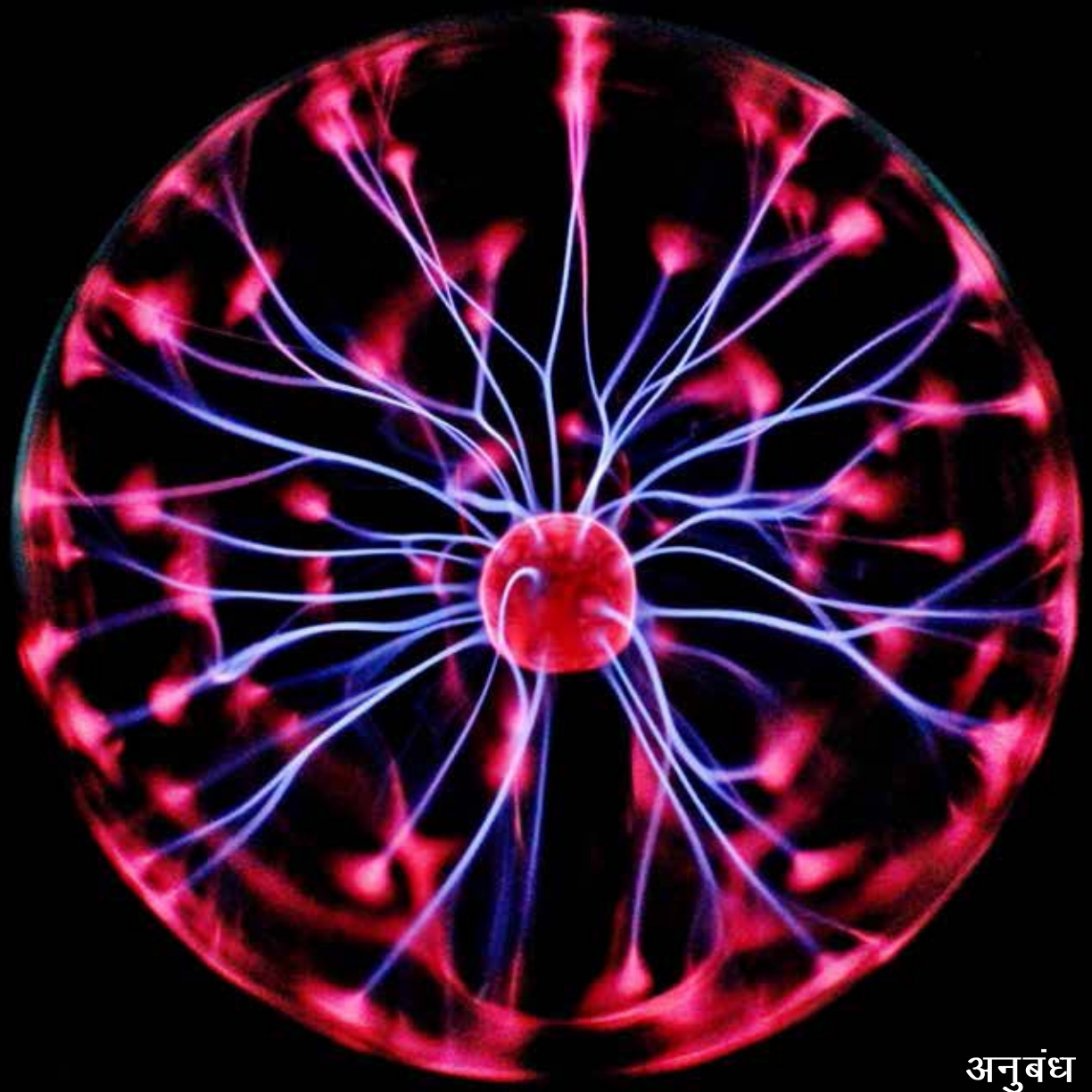

अनुबंध - III

टैरिफ नीति से संबंधित विषयों पर स्थिति

विषय सूची

1.	इक्विटी पर रिटर्न	76
2.	मूल्यह्रास दरें	79
3.	अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन	82
4.	टीओडी टैरिफ	85
5.	उर्जा का नवीकरणीय स्रोत	90
6.	निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति	97
7.	अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन	101

1. इक्विटी पर रिटर्न

टैरिफ नीति में उपबंध :

5.3 (क) निवेश पर रिटर्न केन्द्रीय आयोग समय–समय से पूंजी की प्रचलित लागत तथा समूचे जोखिम के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं और उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर अधिसूचित करेगा जिसका एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा अनुपालन किया जाएगा। पारेषण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित रिटर्न की दर अन्तर्ग्रसत उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लिए एसईआरसी द्वारा अंगीकार की जाएगी। इस मामले में एकसमान दृष्टिकोण के लिए विनियामक फोरम के माध्यम से मतैक्य पर पहुंचना वांछनीय होगा।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/ जेईआरसी</th><th>आरओई (%)</th><th colspan="2">सार</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">आंध्रप्रदेश</td><td>क्र.सं.</td><td>आरओई (%)</td><td>सार</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>15.5</td><td>एपीजीईएनसीओ स्टेशन</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>आरओई (%)</td><td>सार</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>14</td><td>एपट्रांसको</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>14%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>15.5%

16.0%</td><td colspan="2">15.5 प्रतिशत की बेस दर पर कर पूर्व आधार पर संगणित वित्तीय वर्ष 2015–14 से 2013–14 की नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इक्विटी पर रिटर्न।
16.0 प्रतिशत की बेस दर पर कर पूर्व आधार पर संगणित वित्तीय वर्ष 2015–14 से 2013–14 की नियंत्रण अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इक्विटी पर रिटर्न।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td>14% और 16%</td><td colspan="2">इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2012–13, वित्तीय वर्ष 2013–14 और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विनियम 2011 में जीईआरसी द्वारा यथाअनुमोदित वितरण कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 16 प्रतिशत कर पश्चात और पारेषण एवं उत्पादन कारोबार के लिए इक्विटी रिटर्न 14 प्रतिशत पोस्ट कर है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="3">चूंकि जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी सरकारी विभाग तथा समन्वित कंपनियों के रूप में प्रचालन कर रहे हैं अतएव जेईआरसी ने अवधि के दौरान प्रचालनकारी निवल नियत आस्तियों पर 3% रिटर्न की अनुमति दी।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>14%</td><td colspan="2">आरओई उत्पादन पारेषण और वितरण गतिविधि के लिए प्रदान की गई है जो जीईआरसी (एमवाईटी) विनियमों पर आधारित राज्य में विनियमित गतिविधियां हैं।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>i) 14%
ii) 15.5%</td><td colspan="2">जेकेएसईआरसी (हाइड्रो उत्पादन टैरिफ के अवधार के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 25 के अनुसार
जेकेएसईआरसी (बहवर्ष वितरण टैरिफ) विनियम 2012 के विनियम 28 के अनुसार और जेकेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 4.10 के अनुसार।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td>15.50% (पोस्ट.टैक्स)</td><td colspan="2">0.50 प्रतिशत का प्रोत्साहन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td>15.50%</td><td colspan="2">आयोग ने राज्य में सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 15.5 प्रतिशत इक्विटी पर रिटर्न विनिर्दिष्ट किए हैं।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/ जेईआरसी</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="2">एमईआरसी ने अपने विनियम अर्थात महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम 2011 के माध्यम से द्वितीय नियंत्रण अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया है।
उत्पादन के लिए इक्विटी पर रिर्टन 15.5 प्रतिशत – % (* अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी यदि परियोजना समयसीमा के अंदर पूरी होती है अन्यथा नहीं।)
पारेषण के लिए इक्विटी पर रिटर्न – 15.5%
वितरण वायर कारोबार के लिए इक्विटी पर रिटर्न 15.5 प्रतिशत हैं।
आपूर्ति कारोबार – 17.5%</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ में इक्विटी पर रिटर्न की एमपीईआरसी (उत्पादन एवं पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम के अनुसार अनुमति है जिसे केविविआ के विनियमों में अपनाई गई पद्धति एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्रतिशतता में इक्विटी पर रिटर्न</th><th>अतिरिक्त इक्विटी पर रिटर्न, यदि लागू है।</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2013.14</td><td>15.5% (16%)</td><td>0.5%</td><td>खुदरा आपूर्ति और वितरण कारोबार के लिए, आरओई को पूर्व–कर आधार पर संगणित किया जाएगा।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>16%</td><td>उत्पादन, पारेषण और वितरण</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>16%</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों के लिए 15.5% और डिस्कॉम के लिए 16 प्रतिशत</td><td>आयोग ने 1.4.1996 के बाद किए गए इक्विटी निवेश के लिए लागू कर दर सहित 15.5% की आधार दर पर कर पूर्व आधार पर ओएचपीसी (राज्य हाइड्रो उत्पादक) को इक्विटी पर रिर्टन की अनुमति दी है। इसी प्रकार ओपीटीसीएल, एसटीयू के लिए आयोग ने 1.4.1996 के बाद आरंभ परियोजनाओं के लिए इक्विटी के फोर्म में निवेश पूंजी के लिए केविविआ मानदण्ड के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न RoE@ 15.5% की अनुमति दी है। तथापि आयोग ने एलटीटीएस आदेश के अनुसार कारोबार में इक्विटी की राशि पर डिस्कॉम को 16 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर रिटर्न की अनुमति दी है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>15.5%</td><td>आस्तियों के सृजन में वास्तविक रूप से नियोजित इक्विटी की राशि पर 15.5% की दर पर इक्विटी पर रिटर्न टैरिफ विनियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td>14%</td><td>उर्जा एवं विद्युत विभाग सिक्किम सरकार, केवल डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार का विभाग है, यहां व्ययों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के लिए उपगत किया जाता है। इस प्रकार कोई अलग इक्विटी की आयोग द्वारा इक्विटी पर रिटर्न के लिए अनुमति नहीं दी गई है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="2">14% पोस्ट टैक्स (अवधारण टैरिफ विनियमों 2005 के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 21 के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td>14.89 %</td><td>कुल 31.03 करोड़ रु. टीईआरसी द्वारा अनुमोदित किए गए।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/
जेईआरसी</th><th>आरओई (%)</th><th>सार</th></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>i. उत्पादन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और एसएलडीसी –15.5 प्रतिशत

ii. वितरण अनुज्ञप्तिधारी 16%</td><td>आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013.14 से वित्तीय वर्ष 2015.16 की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाई टी विनियम जारी किए।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>16%</td><td>अनुज्ञप्तिधारी यूपीईआरसी वितरण टैरिफ विनियम 2006 के खण्ड संख्या 4.10 के अनुसार इक्विटी पर रिटर्न अर्जित करने के लिए हकदार हैं,

"इक्विटी पर रिटर्न विनियम 4.7 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर 16 प्रतिशत की दर पर अनुमति होगी। तथापि आयोग अपने द्वार स्थापित कार्यनिष्पादन बेंचमार्क की तुलना में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन के अध्याधीन रिटर्न की दर को कम/वृद्धि कर सकता है।"</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td></td><td><table>
<tr><td>उत्पादन</td><td>केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसर वही।</td></tr>
<tr><td>पारेषण</td><td>केविविआ के टैरिफ विनियम के अनुसर वही।</td></tr>
<tr><td>वितरण</td><td>उत्पादन के लिए अनुमत्त इक्विटी पर रिटर्न की अपेक्षा 1% अधिक 1%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2. मूल्यह्रास दरें

टैरिफ नीति में उपबंध :

5.3 (गC) मूल्यह्रास केन्द्रीय आयोग उत्पादन और पारेषण आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दरों को अधिसूचित कर सकता है। अधिसूचित मूल्यह्रास दरें उपयुक्त संशोधन सहित वितरण के लागू होंगे जिसे विनियामक फोरम द्वारा विकसित किया जा सकता है।

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
1.	आंध्रप्रदेश	नहीं	विद्युत मंत्रालय दरें – एपीईआरसी द्वारा अधिसूचित 2008 की विनियम संख्या 1 के अनुसार अपनाई गईं। विद्युत मंत्रालय दरें अपनाई जाएं चूंकि उनका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्थात् वार्षिक लेखों में एपट्रांसकों द्वारा अनुपालन किया जाता है।
2.	बिहार	हाँ	
3.	छत्तीसगढ़	अपनाए गए	
4.	दिल्ली	आस्तिवार मूल्यह्रास अनुसूची वित्तीय वर्ष 2012–13, वित्तीय वर्ष 2013–14 और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उत्पान, वितरण और पारेषण कारोबार के लिए एमवाईटी विनियम 2011 के लिए दी गई हैं।	
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	जेईआरसी ने मूल्यह्रास के लिए केविविआ दरों को अपनाय है और तदनुसार जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अधीन सभी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए इसकी अनुमति दी गई है।	
6.	गुजरात	मूल्यह्रास की केविविआ दरों के अनुसार विभिन्न आस्तियों पर अनुमति दी गई है। कुल मूल्यह्रास दरों की गुजरात की कंपनियों को (अर्थात उत्पादन, पारेषण और वितरण) को अनुमति दी गई है।	शून्य
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर		जेकेएसईआरसी टैरिफ विनियम विभिन्न उपयोगी जीवन वाले विभिन्न आसितयों के लिए अलग दरें विनिर्दिष्ट करते हैं।
8.	झारखण्ड		
9.	कर्नाटक	अपनाए गए	आयोग ने केविविआ द्वारा यथा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को अपनाया है।
10.	केरल		

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एसईआरसी/जेईआरसी</th><th>अपनाई गई केविविआ दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td></td><td>महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) विनियम 2011 के अनुसार मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्तियों की पूंजी लागत होगा।

उत्पादक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित ढंग से संगणित उनके संबंधित कारोबार में प्रयुक्त नियत आस्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास की वसूली के लिए अनुमति होगी।
(1) परियोजना/नियत आस्तियों की अनुमोदित मूल लागत मूल्यह्रास की संगणना के लिए मूल्य आधार होगी।
(2) मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा।
(3) आस्ति का सालवेज मूल्य स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के 10 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के स्वीकृति योग्य पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी।

मूल्यह्रास की भूमि पर अनुमति नहीं होगी और भूमि का मूल्य मूल्यह्रास की संगणना के प्रयोजन के लिए स्वीकृति योग्य पूंजी लागत को बाहर होगा।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td colspan="2">उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए एमपीईआरसी विनियमों में मूल्यह्रास दरें वहीं निर्धारित की गई हैं जैसा कि केविविआ टैरिफ विनियमों में दी गई है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>अपनाई गई सीईआ. रसी दरें</th><th>अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव</th></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2012–13</td><td rowspan="3">हाँ</td><td rowspan="3">वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के लिए खुदरा आपूर्ति एवं वितरण कारोबार के लिए लागू मूल्यह्रास दरें लागू हैं।</td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2013–14</td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2014–15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td colspan="2">हाँ</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी	अपनाई गई केविविआ दरें	अलग मूल्यह्रास दरों के लिए सुझाव
15.	उड़ीसा	अपनाई नहीं गई।	ओईआरसी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मूल्यह्रास को अपनाया है और भारत सरकार यथा अधिसूचित पूर्व 92 दरों पर 29.1.2003 के डीओआर अधिसूचना सं.1068/इ के अनुसार अपनाया गया है। राज्य हाइड्रो उत्पादन परियोजनाओं के लिए मूल्यह्रास की 2.57 प्रतिशत की दर पर अनुमति दी गई है। तथापि हाइड्रो परियोजनाओं के लिए जहां मूल ऋण पुर्नभुगतान 2.57 प्रतिशत पर आए से अधिक है उन मामलों में मूल्यह्रास की ऋण के मूल पुनर्भुगतान की सीमा तक अनुमति दी गई है। पारेषण कंपनी के लिए विशेष विनियोजन के आकार में अतिरिक्त मूल्यह्रास की पूर्व 92 दर पर संगणित कुल मूल्यह्रास पर केविआ की अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी गई है। वितरण कारोबार के लिए मूल्यह्रास की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूर्व 92 दर पर अनुमति दी गई है।
16.	पंजाब	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के परिशिष्ट के अनुसार	केविविआ विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास की दर पंजाब पावर, यूटिलिटी के मामले में भी लागू हैं।
17.	सिक्किम	एसईआरसी द्वारा अपनाई गई केविविआ दरें	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 2 के अनुसार दरों को उत्पादन एवं पारेषण आस्तियों के लिए क्रमशः अपनाया गया है।
18.	तमिलनाडु	आयोग ने टैरिफ विनियम (टैरिफ विनियम 2005 के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों के विनियम 24) के अनुसार मूल्यह्रास की दर की अनुमति दी है जो केविविआ टैरिफ विनियम के अनुसार है।	
19.	त्रिपुरा		24.31 करोड़ की एकमुश्त राशि टीईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई।
20.	उत्तराखण्ड	अपनाई गई	केविविआ दरें यूईआरसी द्वारा अपनाई गई हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	नहीं	आयोग मूल्यह्रास के समय में मूलयह्रास की संगणना के लिए यूपीईआरसी टैरिफ विनियम (2006 और एमवाईटी) का अनुपालन करता है।
22.	पश्चिम बंगाल		i) आयोग में मौजूदा उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) यथासंशोधित विनियम 2011 के अनुबंध क में निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर वार्षिक रूप से संगणित किया जाएगा जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ii) आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य 10 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास की आस्ति के मूल लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमति होगी। iii) फ्रीहोल्ड भूमि मूल्यह्रास योग्य आस्ति नहीं है और इसकी लागत पूंजी लागत से बाहर होगी। मूल्यह्रास पर आयोग की ओर से फिलहाल इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है।

3. अंतःराज्यिक एबीटी का कार्यान्वयन

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ अप्रैल, 2006 तक राज्य स्तर पर आरंभ किया जा रहा है। यह फ्रेमवर्क उत्पादन केन्द्रों के लिए (एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा यथानिर्धारित क्षमताओं के ग्रिड संबद्ध केप्टिव संयंत्र सहित) को विस्तारित किया जाएगा।

क्र.सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
1.	आंध्रप्रदेश	नहीं	आंध्रप्रदेश अंतःराज्यिक एबीटी के स्थान पर अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन्न कोड का अनुपालन किया जा रहा है।
2.	बिहार		
3.	छत्तीसगढ़	अधिसूचित नहीं	इस मसौदे को तैयार किया जा रहा है।
4.	दिल्ली	हाँ	अंतरराज्यिक एबीटी 31.3.2007 के आदेश के माध्यम से आरंभ किया गया।
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	चूंकि अवधि के दौरान सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने समन्वित कंपनियों के रूप में कार्य किया अतएव अंतरराज्यिक एबीटी आरंभ नहीं किया गया था।	
6.	गुजरात	'अंतरराजियक उपलब्धता आधारित टैरिफ की परिधि के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, गुजरात राज्य के उत्पादन केन्द्र को लाने के लिए' 11.8.2006 के आदेश संख्या 3 के माध्यम से जीईआरसी ने गुजराज राज्य में एबीटी कार्यान्वित किया। अंतरराज्यिक एबीटी फ्रेमवर्क आयोग के 2010 के आदेश संख्या 3 के अनुसार 5.4.2010 से राज्य में वाणिज्यिक आधार पर प्रवृत्त हुआ।	राज्य में वितरण अनुज्ञपिधारी और निर्बाध पहुंच उपभोक्ता, ग्रिउ संबद्ध सीपीपी, उत्पादन केन्द्रों के लिए अंतरराज्यिक एबीटी आरंभ किया गया।
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर		अंतःराज्यिक एबीटी अभी आरंभ नहीं किया गया।
8.	झारखण्ड	फिलहाल एबीटी राज्य में लागू नहीं है। चूंकि विद्युत क्षेत्र सुधारों की प्रक्रिया विद्युत बोर्ड की अनबडलिंग से हुई है। अतएव आयोग निकट भविष्य एबीटी आरंभ करने पर विचार करेगा।	
9.	कर्नाटक	कार्यान्वित	एबीटी के कार्यान्वयन के लिए आदेश 26.12.2006 को जारी किया गया। तथापि मौक कार्य पिछले 2 वर्षों के लिए किया गया ओर अंतःराज्यिक एबीटी 1.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
10.	केरल		

क्र.सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
11.	महाराष्ट्र	17 मई 2007 को जारी किया गया 2006 का मामला संख्या 42 में एमईआरसी आदेश।	**महाराष्ट्र में डब्ल्यूएएसएमपी आधारित एबीटी तंत्र की शुरूआत** 1. विचलन का व्यवस्थापन बाजार भागीदारों को उचित आर्थिक सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए आदेश में महाराष्ट्र में भारित औसत प्रणाली मार्जिनल कीमत पर किया गया। 2. महाराष्ट्र के विद्युत बाजार के अंदर प्रचालनकारी पारेषण निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता और वितरण अनुज्ञपितधारी (मानदण्ड के अध्याधीन) राज्य पूल सहभागी होंगे। 3. उत्पादकों को असंतुलित पूल व्यवस्थापन्न के लिए विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार का संव्यवहार आरई उत्पादकों को दिया गया। सीपीपी का प्रयोग करने वाले पारंपरिक विद्युत स्रोतों के संबंध में संव्यवहारों पर विचलन को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मामले के समान उपभोक्ता पर किया जाएगा।
12.	मध्य प्रदेश	हाँ	01 नवंबर, 2009 से
13.	मणिपुर और मिजोरम	नहीं	केवल एक कंपनी प्रत्येक राज्य में मौजूद है।
14.	नागालैण्ड	आयोग ने अभी तक उपलब्धता आधारित टैरिफ नियत नहीं किया है।	
15.	उड़ीसा	विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया गया।	अंतःराज्यिक एबीटी विनियम 14.2.2008 को अधिसूचित किया। कंपनियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आईआरसी ने दो चरणों में अंतःराज्यिक एबीटी के कार्यान्वयन के लिए विभक्त किया। डिस्कॉम तथा ग्रिडको के बीच फेज–1 तथा उत्पादकों को विस्तारित करने के लिए किया। घण्टे तथा 15 मिनट के मोड में माप कार्य के बाद वाणिज्यिक प्रभावों के साथ वास्तविक समय में अंतःराजियक एबीटी (फेज–1) को 1.4.2012 से कार्यान्वित किया गया। उत्पादकों और सीजीपी को कवर करने वाले फेज–2 को अभी वाणिजियक आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।
16.	पंजाब	आरंभ नहीं किया गया	पंजाब राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. अभी पंजाब राज्य में उत्पादन और वितरण कार्य कर रही है तथा कंपनी द्वारा अभी तक वितरण कारोबार और उत्पादन कारोबार के लिए लागतें अभी तक अलग नहीं की गई है। इस प्रकार एबीटी की शुरूआत इस स्थिति में व्यवहार्य नहीं है।
17.	सिक्किम	आरंभ नहीं की गई	अत्यंत छोटे 'राज्य के अंदर' विद्युत मांग अपेक्षा सहित विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते तथा ग्रिड संबद्ध कैप्टिव उत्पादन संयंत्र न होने के नाते एबीटी आंरभ करने की महत्ता अभी तक महसूस नहीं की गई। आयोग आवश्यकता पड़ने पर एबीटी आरंभ करने की योजना बनाएगा।
18.	तमिलनाडु	अंतःराज्यिक एबीटी कार्यान्वित की जानी है। ड्राफ्ट विनियम 13.1.2016 को आयोग की वेबसाइट पर स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव मांगते हुए होस्ट किए गए हैं।	
19.	त्रिपुरा		राज्य में एकमात्र अनबलडन यूटिलिटी होने के नाते टीएसईसीएल ने अंतःराज्यिक एबीटी आरंभ नहीं किया है।
20.	उत्तराखण्ड		एसएलडीसी 27.11.2012 से प्रचालनीय है और स्काडा 18.4.2013 से प्रचालनीय है। (एसएलडीसी की रिंग फेंसिंग और स्काडा का कार्यान्वयन प्रगति पर है। अंतःराज्यिक एबीटी जुलाई 2016 के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।)

क्र.सं.		अंतःराज्यिक एबीटी	सार
21.	उत्तर प्रदेश	कार्यान्वित	आयोग वितरण टैरिफ विनियम 2006 के विनियम 4.2 (11) का अनुपालन करता है। जिसे नीचे दिया गया है।: "4.2 विद्युत क्रय लागतः 11. एबीटी के क्षेत्र में यूआई के माध्यम से विद्युत क्रय की लागत निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से पारित किए जाने की अनुमति होगी।: क) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत के लिए औसत दर आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए अधिकतम दर से अधिक नहीं होना चाहिए। ख) यूआई के माध्यम से क्रय किए गए विद्युत यूनिटों की कुल लागत आयोग द्वारा अनुमोदित कुल विद्युत क्रय लागत का 10 प्रतिशत तक नियंत्रित होगी। बशर्ते कि यूआई के अधीन क्रय की गई विद्युत के लिए औसत दर जहां अनुज्ञप्ति के गुण और अवगुण के अधीन विद्युत क्रय की विनिर्दिष्ट अधिकतम दर से अधिक हो जाती है वहां इस प्रकार की विद्युत खरीद की लागत आयोग द्वारा यथाअनुमोदित अनुज्ञप्ति के गुण अवगुण के अधीन विद्युत क्रय के लिए अधिकतम दर पर परवर्ती वर्ष के टैरिफ के माध्यम से अनुमति होगी भले ही उक्त 11 ख में बताई गई 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुंची है या नहीं।
22.	पश्चिम बंगाल	i) एबीटी 1.1.2008 से अंतःराज्यिक मोड के लिए आरंभ की गई। ii)पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2011 के विनियम 6.11 के अनुसार एबीटी के अधीन विद्युत केन्द्र I. पश्चिम बंगाल विद्युत कार्पोरेशन लि. के सभी उत्पादन केन्द्रण्ए 1. कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशनए 2. बकरेसवर थर्मल पावर स्टेशनए 3. बंडेल थर्मल पावर स्टेशनए 4. संतलडिह थर्मल पावर स्टेशन 5. सागरडिगही थर्मल पावर स्टेशन II. तदंतर राज्य ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किसी उत्पादन कंपनी के उक्त 50 मेगावाट सभी अन्य आगामी उत्पादन केन्द्र	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल स्थितिः केवल एबीटी के लिए मीटर पारेषण के लिए उत्पादनः 40 एबीटी और टीओडी के लिए मीटर पारेषण के लिए उत्पादन : 77 वितरण के लिए पारेषण : 378 यूटिलिटी के बीच टाइलाइन : 42 आईपीपी में केवल टीओडी के लिए मीटर : 9

4. टीओडी टैरिफ

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.2 टैरिफ अवसंरचना और संबद्ध विषय उपयुक्त आयोग भार के बेहतर प्रबंधन के लिए पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरों को आरीा कर सकता है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ (Rs./kVAh)</th><th>ऑफ पीक टैरिफ (Rs./ kVAh)</th></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग (132 केवी)</td><td>5.90</td><td>4.90</td></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग (33 केवी)</td><td>6.30</td><td>5.30</td></tr>
<tr><td>HT-IA उद्योग (11 केवी)</td><td>6.73</td><td>5.73</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी उद्योग (132 केवी)</td><td>7.03</td><td>6.03</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (33 केवी)</td><td>7.28</td><td>6.28</td></tr>
<tr><td>HT-IA मौसमी इण्डस्ट्रीज ऑफ–सीजन (11 केवी)</td><td>7.90</td><td>6.90</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (132 केवी)</td><td>7.03</td><td>6.03</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (33 केवी)</td><td>7.28</td><td>6.28</td></tr>
<tr><td>HT-II अन्य (11 केवी)</td><td>7.90</td><td>6.90</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (132 केवी)</td><td>6.72</td><td>5.72</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (33 केवी)</td><td>7.01</td><td>6.01</td></tr>
<tr><td>HT-III एयरपोर्ट अन्य (11 केवी)</td><td>7.58</td><td>6.58</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>हाँ</td><td>उच्च टेंशन</td><td>सामान्य से 20% अधिक</td><td>सामान्य से 15% प्रतिशत कम</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>हाँ</td><td>एचवी एवं ईएचवी, औद्योगिक उपभोक्ता</td><td>उर्जा प्रभार की सामान्य दर का 130%</td><td>उर्जा प्रभार की सामान्य दर का 85%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="4">टीओडी टैरिफ सभी उपभोक्ताओं पर अब लागू हो (देशी से भिन्न) जिनका स्वीकृत लोड/एमडीआई (जो अधिक है) 100किलोवाट/108 किलोवाट और अधिक है। जिसे नीचे दर्शाया गया है।
<table>
<tr><th>माह</th><th>पीक घण्टे</th><th>उर्जा प्रभारों पर अधिभार</th><th>ऑफ पीक घण्टे</th><th>उर्जा प्रभारों पर छूट</th></tr>
<tr><td>अप्रैल.सितंबर</td><td>1500—2400 घण्टा</td><td>15%</td><td>0000-0600 घण्टा</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर.मार्च</td><td>1700-2300 घण्टा</td><td>10%</td><td>2300-0600 घण्टा</td><td>15%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="4">टीओडी टैरिफ
<table><tr><th>उपयोगिताएं</th><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>ईडी–ए–एएण्डएन</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ईडी–चंडीगढ़</td><td>हाँ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>डीएनएचपीडीसीएल</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ईडी–दमन एवं दीव</td><td>हाँ</td><td>सीडी 900 केवीए और ऊपर</td><td>120%</td><td>90%</td></tr><tr><td>ईडी–गोवा</td><td>हाँ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ईडी–लक्षद्वीप</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ईडी–पुदुचेरी</td><td>नहीं</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>इसे गुजरात राज्य में आरंभ किया गया।</td><td colspan="3">टैरिफ नीति में टीओडी के कार्यान्वयन की व्यवस्था है।

उपयोग टैरिफ का समय गुजरात में पहले से ही है। एलटी उपभोक्ताओं के लिए कोई अलग लागू टैरिफ नहीं है जिनकी कांट्रेक्ट मांग 40 केवी से अधिक है और 100केवीए और अधिक की नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए कांट्रेक्स एचटी उपभोक्ताओं के लिए है जो अगले दिन 10 बजे अपराह्न से 6.00 बजे पूर्वाहन के दौरान अनन्य रूप से विद्युत के प्रयोग के लिए है।

इसके अलावा, उपभोग टैरिफ का समय एलटी टैरिफ की वाटर वर्क श्रेणी के लिए लागू है। एचटी श्रेणी में एचटी कृषि और रेलवे ट्रेक्शन टैरिफ श्रेणी को छोड़कर सभी अन्य एचटी श्रेणी को टैरिफ के उपयोग के समय का लाभ मिलता है।

दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के टैरिफ आदेश के संबंध में यूजीवीसीएलए डीजीवीसीएलए एमजीवीसीएल और पीजीवीसीएल को लागू टीओडी टैरिफ दरें।
<table><tr><th>पीक घंटे का समय</th><th>0700 घण्टे से 1100 घण्टे और 1800 घण्टे से 2200 घण्टे</th></tr><tr><td>ऑफ पीक घंटे का समय</td><td>1100 घण्टे से 1800 घण्टे</td></tr><tr><td>रात्रि घण्टे</td><td>2200 घण्टे से 0700 घण्टा अगला दिन</td></tr></table>
दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के टैरिफ आदेश के संबंध में टोरंट पावर लि. – अहमदाबाद को लागू टीओडी टैरिफ दरें।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>अभी तक आरंभ नहीं किए गए।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="4">केईआरसी ने निम्नानुसार नियत विभेदक दर और वैकल्पिक आधार पर टीओडी आरंभ किया।
<table>
<tr><td>उपभोक्ता श्रेणी</td><td>पीक घंटे (18.00 से 22.00 घण्टा)</td><td>ऑफ पीक टैरिफ (22.00 से 06.00 घण्टा)</td></tr>
<tr><td>एलटी इंडस्ट्रीज</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>एचटी जल आपूर्ति</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>एचटी इंडस्ट्रीज जिनमें वाणिज्यिक 500केवी से कम शामिल है।</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>टीओडी की शुरूआत</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">अनिवार्य</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिजए 500 केवी और उससे ऊपर कांट्रेक्ट मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
<tr><td>एचटी वाणिज्यिक कांट्रेक्ट के साथ 500केवी से ऊपर की मांग</td><td>सामान्य टैरिफ प्लस 100 पैसे</td><td>सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td colspan="4">आयोग ने 1999 के मामला संख्या 1 में 28.04.2000 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2000–01 में राज्य में टीओडी टैरिफ आरंभ किया है।
<table>
<tr><th colspan="2">टीओडी टैरिफ</th></tr>
<tr><th>समय</th><th>रु./किलोवाट</th></tr>
<tr><td>0600 से 0900 घण्टा</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>0900 से 1200 घण्टा</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>1200 से 1800 घण्टा</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1800 से 2200 घण्टा</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>2200 से 0600 घण्टा</td><td>-1.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>2000 से</td><td>रेलवे ट्रेक्शन और बलक आवासीय प्रयोक्ताओं को छोड़कर सभी एचटी श्रेणियां</td><td>अधिभार के रूप में उर्जा प्रभार के सामान्य दर का 15%</td><td>छूट के रूप में उर्जा प्रभार की सामान्य पर का 7.5%</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>नहीं।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="4">लागू नहीं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>हाँ</td><td>स्टेटिक मीटर वाले सभी तीन फेस उपभोक्ता</td><td>सामान्य टैरिफ</td><td>आयोग ने 1.4.2005 से टीओडी टैरिफ के सिद्धांतों को स्वीक. ार किया है जिसमें आफ पीक घण्टों के दौरान उपभोग पर 10पी/यू की दर पर छूट दी है। इसके अलावा किसी दण्ड को लगाए बिना कांट्रेक्ट मांग के 120 प्रतिशत तक आफ पीक घण्टों के दौरान उद्योग द्वारा निकासी की अनुमति दी गई है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>आरंभ किया गया टीओडी</td><td>बड़े आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता और मध्य आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ता</td><td colspan="2">पीएसईआरसी ने बड़े आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए ऑफ पीक घण्टों के दौरान जो कि 22.00 से 06.00 घण्टे (अगला दिन) के दौरान वित्तीय वर्ष 2013–14 के 6 माह (अक्टूबर से मार्च) के लिए टीओडी आरंभ किया और इस श्रेणी के सामान्य टैरिफ पर □1/unit की छूट को अनुमोदित किया।

टीओडी आरंभ किया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17.</td><td rowspan="2">सिक्किम</td><td>**आरंभ नहीं किया गया।</td><td>....</td><td>.....</td><td>.....**</td></tr>
<tr><td colspan="4">**टिप्पणी:

विद्युत अधिशेष राज्य होने के नाते सिक्किम को पीक और आफ पीक भार की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है। विद्युत की राज्य मांग काफी कम है। चूंकि सिक्किम एसईआरसी ने पीक और आफ पीक घण्टों के लिए नियत प्रभारों की विभेदक दरें अभी आरंभ नहीं की है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="4"><table><tr><th>आरंभ किया टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>16.3.2003</td><td>एचटी इण्डस्ट्रिज</td><td>उर्जा प्रभारों पर 20% अधिक</td><td>उर्जा प्रभारों पर 5% की कमी</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="4"><table><tr><th>टीओडी का आरंभ</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुसार कुछ मामले में आरंभ किया गया।</td><td>औद्योगिक काफी, रबर, गार्डन, बल्क आपूर्ति इत्यादि</td><td>सामान्य दर का 140%</td><td>सामान्य दर का 60%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>आरंभ की गई टीओडी</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td></td><td>25 केडब्ल्यू से अधिक एलटी उद्योग और सभी एचटी उद्योग</td><td>पीक आवर पर उर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा:
एलटी इण्डस्ट्री : Rs. 5.10/kVAh
एचटी इण्डस्ट्री:<table><tr><th>लोड फैक्टर</th><th>उर्जा प्रभार</th></tr><tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr><tr><td>33% से ऊपर और 50% तक</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr><tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 5.40/ kVAh</td></tr></table></td><td>पीक आवर पर उर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा:
एलटी इण्डस्ट्री : Rs. 3.06/ kVAh
एचटी इण्डस्ट्री:<table><tr><th>लोड फैक्टर</th><th>उर्जा प्रभार</th></tr><tr><td>33% से कम</td><td>Rs. 2.75/ kVAh</td></tr><tr><td>33% से ऊपर और 50% तक</td><td>Rs. 2.97/ kVAh</td></tr><tr><td>50% से ऊपर</td><td>Rs. 3.24/ kVAh</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td colspan="4"><table><tr><th>टीओडी का आरंभ</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>पीक टैरिफ</th><th>ऑफ पीक टैरिफ</th></tr><tr><td>हाँ</td><td>LMV-6: लघु एवं मध्यम उर्जा
HV-2: बड़ी एवं भारी उर्जा</td><td>LMV-6: लागू उर्जा शुल्क का 115% मांग प्रभार
HV-2: लागू उर्जा शुल्क का 115% मांग प्रभार</td><td>LMV-6: लागू उर्जा शुल्क का 92.5% मांग प्रभार
HV-2: लागू उर्जा शुल्क का 92.5% मांग प्रभार</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="4">नियत प्रभार के लिए कोई विभेदक दर इस आयोग द्वारा स्थापित नहीं की गई। यद्यपि टीओडी टैरिफ बेहतर भार प्रबंधन के लिए पहले ही आंरभ किया गया है।</td></tr>
</table>

5. ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.4 सह–उत्पादन सहित उर्जा उत्पादन के गैर–पारंपरिक स्रोतः (1) अधिनियम की धारा 86 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों की उपलबधता तथा खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के स्रोतों से उर्जा के क्रय के लिए न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करेगा। उर्जा के क्रय के लिए इस प्रकार की प्रतिशतता 01 अप्रैल, 2006 तक एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ के लिए लागू की जानी चाहिए।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th colspan="2">टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="3"><table><tr><th>डिस्कॉम</th><th>नवीकरणीय उर्जा क्रय टैरिफ (सभी स्रोतों का औसत टैरिफ)</th><th>नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr><tr><td>APEPDCL</td><td>Rs.3.86</td><td>1.39%</td></tr><tr><td>APSPDCL</td><td>Rs.4.92</td><td>2.40%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td colspan="2">हाइड्रो Rs. 2.49/kWh, शुगर मिल्स Rs. 4.55/kWh</td><td>कुल खरीद का 1.17%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td colspan="2">1. वित्तीय वर्ष 2013–14(in Rs./Kwh) हाइड्रो टैरिफ के लिए 2 MW – 5.66 से कम प्लांट के लिए
2 एवं 5 MW – 5.16 के बीच प्लांट
5 एवं 25 MW – 4.40 के बीच प्लांट
2. वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए बायोमास प्लांट के लिए टैरिफय
क. उर्जा प्रभार Rs.3.57/Kwh
ख. वित्तीय वर्ष 2013–14 में सीओडी प्राप्त संयंत्र का Rs.2.16/Kwh का नियत प्रभार</td><td>1. सौर – न्यूनतम 0.50%
2. बायोमास – न्यूनतम 3.75%
3. अन्य RE – न्यूनतम 2.00% (पनबिजली, पवन आदि)
4. कुल – न्यूनतम 6.25%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>टैरिफ (Rs./Unit)</th><th>नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>2.99</td><td>2.07#</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>2.54</td><td>0.98</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>2.62</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td colspan="4">बीआरपीएल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>5.97</td><td>0.005</td></tr>
<tr><td colspan="4">TPPDL</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2012-13</td><td>9.175</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2013-14</td><td>6.42</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2014-15</td><td>6.64</td><td>0.03</td></tr>
</table>
वित्तीय वर्ष 2013 समानुपातिक बिक्री के लिए और बिक्री की प्रतिशतता पर अक्टूबर 2012 से विचार किया गया है। (आरपीओ विनियम)
#%</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशाशित प्रदेश</td><td colspan="2">आरपीओ बाध्यता
वित्तीय वर्ष 2013.14: सौर –0.4%, अन्य.2.6%, कुल–3.0%</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>गुजरात</td><td>
सौर पीवी :
वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथः
मेगावाट–स्केल के लिए
25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ के लिए : 8.63 रु./यूनिट
• प्रथम 12 वर्षों के लिए: 9.13 रु./यूनिट
• आगामी 13 वर्षों के लिए: 7.00 रु./यूनिट
किलोवाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफ : 10.36 रु./यूनिट
वृद्धिशील मूल्यह्रास के बिना
मेगावाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 9.64 रु./यूनिट
• प्रथम 12 वर्षों के लिए: 10.30 रु./यूनिट
• आगामी 13 वर्षों के लिए: 7.50 रु./यूनिट
किलोवाट–स्केल के लिए
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 11.57 रु./यूनिट
सौर थर्मलः
वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथ :
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 11.55 रु./यूनिट
वृद्धिशील मूल्यह्रास के बिना :
25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 12.91 रु./यूनिट
पवन :
• 25 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.15 रु./यूनिट
• मूल्यह्रास लाभः 0.37 रु./यूनिट
बायोमासः
1.3.2014 से 31.07.2013 की अवधि के लिए
</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="4">नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से क्रय की न्यूनतम मात्रा (प्रतिशत में) (किलोवाट घण्टे में उर्जा के अनुसार)</th></tr>
<tr><th>(1)</th><th>कुल (2)</th><th>वायु (3)</th><th>सौर (4)</th><th>बायोमास, बगासे और अन्य</th></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>5%</td><td>4.5%</td><td>0.25%</td><td>0.25%</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>6%</td><td>5.0%</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>7%</td><td>5.5%</td><td>1.0%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>7%</td><td>5.5%</td><td>1.0%</td><td>0/5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्र.सं.		टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
		वाटर कूल्ड : वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथ • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.40 रु./यूनिट • और 11 से 20 वर्षों के लिए: 4.75 रु./यूनिट वृद्धिशील मूल्यह्रास के बिना : • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.45 रु./यूनिट • और 11 से 20 वर्षों के लिए: 4.80 रु./यूनिट **एयर कूल्ड –** वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथ • संपूर्ण जीवन के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.70 रु./यूनिट वृद्धिशील मूल्यह्रास के बिनाः • संपूर्ण जीवन के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.76 रु./यूनिट बगासे आधारित सह–उत्पादनः वृद्धिशील मूल्यह्रास के साथ • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.55 रु./यूनिट • और 11 से 20 वर्षों के लिए: 4.90 रु./यूनिट वृद्धिशील मूल्यह्रास के बिनाः • 1 से 10 वर्षों के लिए स्तरीकृत टैरिफः 4.61 रु./यूनिट • और 11 से 20 वर्षों के लिए: 4.96 रु./यूनिट 1.08.2013 से 31.03.2014 अवधि के लिए **बायोमास** **वाटर कूल्डः** • स्तरीकृत नियत प्रभार : 1.77 रु./यूनिट • परवर्ती टैरिफः 3.39 रु./यूनिट • AD लाभः 0.29 रु./यूनिट • स्तरीकृत नियत प्रभार AD के साथ : 1.49 रु./यूनिट. **एयर कूल्डः** • स्तरीकृत नियत प्रभारः 1.89 रु./यूनिट • परवर्ती टैरिफः 3.52 रु./यूनिट • AD लाभः 0.31 रु./यूनिट • स्तरीकृत नियत प्रभार AD के साथः 1.58 रु./यूनिट बगासे आधारित सह–उत्पादनः • स्तरीकृत नियत प्रभाररू 1.86 रु./यूनिट • परिवर्ती टैरिफरू 3.15 रु./यूनिट • AD लाभः 0.32 रु./यूनिट • स्तरीकृत नियत प्रभार AD के साथः 1.54 रु./यूनिट	
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	राज्य के भीतर हाइडल स्रोतों (25 मेगावाट तक) के लिए Rs. 0.96/यूनिट (औसत)	4.75% (गैर–सौर) के लक्ष्य के लिए 2.31%; 0.25% (सौर) लक्ष्यों के लिए शून्य
8.	झारखण्ड	आयोग केविविआ द्वारा जारी जेनरिक टैरिफ और आरइसी के बाजार मूल्य पर आधरित उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अनुमोदित करता है।	1.00% (सौर), 3.00% (गैर सौर)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="2">नवीकरणीय क्रय बाध्यता राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं और अंतिम 3 वर्षों के लिए उसके बयौरे निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th rowspan="2">वित्तीय वर्ष 2013.14</th><th colspan="2">गैर.सौर (%)</th><th colspan="2">सौर (%)</th></tr>
<tr><th>आरपीओ लक्ष्य</th><th>आरपीओ एमईटी</th><th>आरपीओ लक्ष्य</th><th>आरपीओ एमईटी</th></tr>
<tr><td>बीईएससीओएम</td><td>10</td><td>10.94</td><td>0.25</td><td>0.036</td></tr>
<tr><td>एमईएससीओएम</td><td>10</td><td>14.40</td><td>0.25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>सीईएससी</td><td>10</td><td>9.98</td><td>0.25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>एचईएससीीओएम</td><td>7</td><td>7.40</td><td>0.25</td><td>0.032</td></tr>
<tr><td>जीईएससीओएम</td><td>7</td><td>7.44</td><td>0.25</td><td>0.037</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>वित्तीय वर्ष 2012.13
के दौरान आरंभ विभिन्न आरई परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ
1. पवन उर्जाः
क. पवन क्षेत्र – 1: Rs.5.81/kWh
ख. पवन क्षेत्र – 2: Rs.5.05/kWh
ग. पवन क्षेत्र – 3: Rs.4.31/kWh
ख. पवन क्षेत्र – 4: Rs.3..88/kWh
2. लघु हाइड्रो उर्जाः
क. ‹-500kW: Rs.5.91/kWh
ख. ›500kWh, ‹=1 MW: Rs.5.41/kWh
ग. 1 मेगावाट तक व ऊपर और 5 मेगावाट सहितः Rs.5.06/kWh
घ. 1 मेगावाट तक व ऊपर और 5 मेगावाट सहितः Rs.4.21/kWh
3. सौर उर्जाः
क. सौर पीवीः Rs.8.98/kWh
ख. सौर थर्मलः Rs.9.48/kWh
ग. सौर रुफटॉप पीवी और अन्य लघु सौर पावरः Rs. 12.31/kWh
4. बायोमास उर्जा:Rs.5.87/kWh
5. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पknu:Rs.5.81/kWh
6. गैर–अर्हक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्प. ादन परियोजना:2.28/kWh</td><td>एमईआरसी ने अपने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय बाध्यता, आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन और अनुपालन) विनियम, 2010 दिनांक 07 जून, 2010 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (ऊर्जा के समकक्ष किलोवाट में) से खरीद (% में) की न्यूनतम मात्रा निर्धारित की गई।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आरपीओरू 9% (सौर RPO – 0.50%. गैर–सौर आरपीओ – 8.50%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>पवन – Rs. 5.92 / यूनिट
बायोमास – Rs. 6.36 / यूनिट (लगभग)
सौर PV – Rs.10.44 / यूनिट
सौर थर्मल – Rs. 12.65 / यूनिट
बगासे आधारित सह–उत्पादन Rs.6.28 / यूनिट
लघु हाइड्रो– Rs.5.25 / यूनिट (लगभग)
म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट– Rs.6.39 / यूनिट
बायोगैस–Rs. 4.20 / यूनिट</td><td>सौरः 0.30%
गैर–सौरः1.30%
कुलः1.60%</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>निश्चित जेनरिक टैरिफ</td><td>मणिपुरः शून्य
मिजोरमः
2012-13 : 19.93%
2013-14 : 11.99%
2014-15 : 9.03%</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td>*नियत नहीं की गई
*एनईआरसी ने 5% पर आरपीओ नियत किया है जिसे 8X3 डॅ लिखिमरो हाइड्रोइलेक्ट्रीक परियोजना द्वारा पूरा किया गया। नवीकरणी उर्जा पर टैरिफ निर्धारण अभी तक नहीं किया गया चूंकि डीएनएण्डआरई नागालैण्ड द्वारा इस प्रकार की कोई परियोजना नहीं है।</td><td>लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>पवन उर्जा–6.24
SHP<5MW-4.89
SHP between 5 to 25 MW-4.26
सौर PV–11.44
सौर थर्मल –9.52
बायोगैस –5.33
गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादन–5.11</td><td><table><tr><th></th><th>RPO लक्ष्य</th><th>वास्तविक</th></tr><tr><td>सौर</td><td>0.20%</td><td>0.18%</td></tr><tr><td>गैर.सौर</td><td>1.60%</td><td>1.60%</td></tr><tr><td>सह–उत्पादन</td><td>4.20%</td><td>1.56%</td></tr></table>अन्य बाध्य कंपनी द्वारा विनियम ओरेडा द्वारा मॉनीटर की जा रही है। ओए उपभोक्ता तथा सीजेपी वाले उद्योग हैं।</td></tr>
</table>

क्र.सं.		टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
16.	पंजाब	नीचे दी गई सारणी के अनुसार	3.50% [3.37(गैर–सौर); 0.13 (सौर)]

Generic Tariff for technologies for FY 2013-14				
Levellised Fixed Cost (₹/kWh)	**Variable Cost (FY 2013-14) (₹/kWh)**	**Applicable Tariff Rate (₹/kWh)**	**Benefit f Accelerated Depreciation, if availed (₹/kWh)**	**Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (3-4) (₹/kWh)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Biomass based Power Projects				
2.27	3.97	6.24	0.14	6.10
Non-Fossil Fuel based Co-Generation Projects				
2.04	3.66	5.70	0.13	5.57
Biomass Gasifier Power Projects				
2.42	4.10	6.52	0.12	6.40
Biogas based Power Projects				
3.30	3.61	6.91	0.24	6.67

Particulars	Applicable Tariff Rate (₹/kWh)	Benefit of Accelerated Depreciation, if availed (₹/kWh)	Net Applicable Tariff Rate upon adjusting for Accelerated Depreciation benefit (2-3) (₹/kWh)
1	**2**	**3**	**4**
Small Hydro Power Project			
Below 5 MW	5.16	0.42	4.74
5to 25MW	4.40	0.38	4.02
Wind Energy Power Projects			
Wind Zone-1	6.29	0.49	5.80
Solar Power Projects			
Solar PV	8.75	0.88	7.87
Solar Thermal	11.90	1.21	10.69

क्र.सं.		टैरिफ	नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)
17.	सिक्किम	सिक्किम एसईआरसी ने एसएसईआरसी (नवीकरणीय उर्जा क्रय बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम 2012 को 27.09.2013 को अधिसूचित किया जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किए जाने वाले नवीकरणीय उर्जा की न्यूनतम प्रतिशतता का विनिर्दिष्ध किया गया। तथापि इस तथ्य को विचार करते हुए कि राज्य की समूची विद्युत मांग नवीरकणीय/हाइड्रसे विद्युत संयंत्रों से पूर्ति की जा रही है। अतएव आरपीओ कार्यान्वयन अस्थगित रखा गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ याचिका/वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर/वार्षिक समीक्षा याचिका सहित वित्तीय वर्ष 2013.14, 2014.15 और वित्तीय वर्ष 2015.16 के लिए आरपीओ अनुपालन दाखिल करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश जारी किए हैं।	
18.	तमिलनाडु	पवन – RS.3.96 प्रति यूनिट बगासे आधारित सह–उत्पादन प्लांटः RS.4.92/– प्लांटः RS.4.85/–	कुल आरपीओ – 9% में से 0.05% सौर के लिए।
19.	त्रिपुरा	इस प्रकार की उर्जा अभी उत्पादित नहीं की गई इसलिए टैरिफ का प्रश्न नहीं उठता।	नहीं उठता

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th></th><th>टैरिफ</th><th>नवीकरणीय से प्राप्त विद्युत (%)</th></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>1.4.2013 को या उसके बाद आंरभ परियोजनाएं

(i) एसएचपी परियोजना (25MW तक):
UPTO 5MW RS. 4.22/UNIT (3.92)
5 TO 15 MW RS. 4.02/UNIT (3.72)
15 TO 25 MW RS. 3.74/UNIT (3.44)

(ii) बगासे आधारित:
सह–उत्पादन परियोजनाएं 2.85 /यूनिट (2.70) का प्रभार नियत किया इसके अलावा मानकीय ईंधन कीमत स्वीकार्य है जो 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि सहित वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 2.45 रुपये/यूनिट है।

(ii) बायोमास आधारित परियोजनाएं:
2.10 रु/यूनिट का नियत प्रभार (2.00) इसके अलावा मानकीय ईंधन

(iv) बायोमास गैसीफायर परियोजना:
RS. 2.25/UNIT(2.10) का नियत प्रभार। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 5% P.A वृद्धि के साथ मानक तेल कीमतें स्वीकार्य है।

(v) बायोगैस परियोजना:
RS. 3.75/UNIT (3.50) का नियत प्रभार। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 5% P.A वृद्धि के साथ मानक तेल कीमतें स्वीकार्य है।

(vi) पवन परियोजना:
जोन 1: RS. 5.45/UNIT (5.00)
जोन 2: RS. 4.85/UNIT (4.45)
जोन 3: RS. 4.15/UNIT (3.80)
जोन 4: RS. 3.35/UNIT (3.05)
जोन 5: RS. 3.10/UNIT (2.80)

(vii) सौर पीवी:
RS. 11.10/UNIT (10.15)
(viii) सौर थर्मल :
RS. 13.30/UNIT (12.15)
(ix) ग्रिड इंटरएक्टिव रुफटॉप और लघु सौर पीवी :
RS. 9.20/UNIT (8.15)</td><td>वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरपीओ अनुपालन का विवरण

<table><tr><th></th><th>% आरपीओ लक्ष्य</th><th>% आरपीओ टारगेट प्राप्त किया %</th></tr><tr><td>गैर–सौर</td><td>6.00</td><td>71</td></tr><tr><td>सौर</td><td>0.05</td><td>114</td></tr></table>
इसके अतिरिक्त, सह–उतपादन परियोजना सहित नवीकरणीय स्रोतों से कुल 100 प्रतिशत विद्युत गुण, अवगुण के आधार पर क्रय किया गया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>RS. 4.62 PER KWH</td><td>की गई वास्तविक विद्युत खरीद का 4.0%</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>सौर पीवी: RS. 8.90 (कैप्ड) बायोमास: RS. 5.41 (कैप्ड) MSW: RS. 5.12 (कैप्ड) पवन: RS. 5.71 (कैप्ड)

सह–उत्पादन (बॉटम): RS. 3.34

(कैप्ड)

लघु हाइड्रो: RS. 4.42 (कैप्ड) (सभी टैरिफ RS./KWH में हैं।)</td><td><table><tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">सहउत्पादन और नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से कुल उपभोग का क्रय की न्यूनतम मात्रा (प्रतिशत में)</th></tr><tr><th>सौर</th><th>गैर.सौर</th></tr><tr><td>2014-15</td><td>0.15</td><td>4.5</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>0.20</td><td>5.0</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>0.25</td><td>5.5</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>0.30</td><td>6.0</td></tr></table></td></tr>
</table>

निर्बाध पहुंच अधिभार के अवधारण की स्थिति

टैरिफ नीति में उपबंधः

8.5 निर्बाध पहुंच के लिए अतिरिक्त अधिभार और क्रास सब्सिडी अधिभार

8.5.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित किया गया है कि क्रास सब्सिडी अधिभार की मात्रा और उपभोकताओं से उगाही किए जाने वाले अतिरिक्त अधिभार जिनकी निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है। वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए जो निर्बाध पहुंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की आपूत्रि और उत्पादन को तेज करना जरूरी है।

वे उपभोक्ता जिसे निर्बाध पहुंच की अनुमति दी गई है उसे उत्पादन को भुगतान करना होगा और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका पारेषण प्रणाली प्रयुक्त की गई है वहां विलिंग प्रभार के लिए वितरण कंपनी और इसके अलावा क्रास सब्सिडी अधिभार है। क्रास सब्सिडी अधिभार की संगणना इस ढंग से की जाए कि इससे वितरण अनुज्ञपितधारी क्षतिपूर्ति कर सके और इससे निर्बाध पहुचं के माध्यम से प्रतिस्प्रधा की शुरूआत कोई दबाव न हो। उपभोक्ता केवल निब्रध पहुंच का उपयोग करेगा यदि सभी प्रभारें के भुगतान से उसे लाभ होता है। यद्यपि वितरण अनुज्ञपितधारी का हित सुरक्षित करने की आवश्यकता है इसलिए अनिवार्य हेागा कि अधिनियम के इस उपअबंध से जिसमें समयबद्ध ढंग से शुरूआत करने के लिए निर्बाध पहुंच अपेक्षित है उसे उपभोक्ता के बड़े हित में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयुक्त किया जाए।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्रप्रदेश</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>उपभोक्ता श्रेणी</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>APEPDCL</td><td>सभी श्रेणी</td><td>शून्य</td><td rowspan="2">सन्निहित लागत पद्धति</td></tr>
<tr><td>APSPDCL</td><td>सभी श्रेणी</td><td>शून्य</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बिहार</td><td>SBPDCL/NBPDCL</td><td>132 केवी उपभोक्ताओं के लिएः 22 पैसे / किलोवाट
33 केवी उपभोक्ताओं के लिए (एचटीएसएस के अलावा): 53 PAISE/KWH
11 केवी उपभोक्ताओं के लिए (एचटीएसएस के अलावा): 44 पैसे / किलोवाट
एचटीएसएस उपभोक्ताओं के लिए (33 KV और 11 KV): शून्य</td><td>As per the formula (S=T-[C(1+l/100)+D]) recommended in the tariff Policy, Cross Subsidy-Surcharge is calculated. In view of the prevailing power shortages in the state, to encourage the HT consumers to seek power purchase options from the sources outside the state and to make the cost of delivered power comparable with the retail tariff approved, the cross subsidy surcharge was approved at 50% of the charge computed.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>राज्य डिस्कॉम</td><td>1. एचटी उपभोक्ता RS.1.026 PER KWH
2. ईएचटी उपभोक्ता के लिए RS.1.530 PER KWH</td><td>टैरिफ नीति में परिभाषित पद्धति के अनुसारं औसत लागत पद्धति</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिल्ली</td><td>BYPL, BRPL और TPDDL</td><td>आयोग ने निब्रध पहुंच के अधीन अन्य लागू प्रभारों और क्रास सब्सिडी अधिभार, पारेषण और विलिंग प्रभारों के अवधारण पर 24.12.2013 के आदेश के माध्यम से BYPL, BRPL और TPDDL के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को अवधारित किया।</td><td>आयोग ने निब्रध पहुंच के अधीन अन्य लागू प्रभारों और क्रास सब्सिडी अधिभार, पारेषण और विलिंग प्रभारों के अवधारण पर 24.12.2013 के आदेश के माध्यम से BYPL, BRPL और TPDDL के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार को अवधारित किया।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गोवा एवं संघशासित प्रदेश</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>यूटिलिटी</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>ED-A&N</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-चंडीगढ़</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>DNHPDCL</td><td>0</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ED-दमन एवं दीव</td><td>59</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>ED-गोवा</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-लक्षद्वीप</td><td colspan="2">अवधारित नहीं की गई</td></tr>
<tr><td>ED-पुडुचेरी</td><td>HT1-123, HT2-133, HT3-104</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td rowspan="3">गुजरात</td><td>PGVCL/MGVCL /DGVCL/UGVCL</td><td>45</td><td rowspan="3">क्रास सब्सिडी अधिभार के लिए अपनाई गई पद्धति राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>TPL-अहमदाबाद</td><td>32</td></tr>
<tr><td>TPL-सूरत</td><td>39</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>J&KPDD</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया जा रहा है।</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td></td><td>फिलहाल लागू नहीं</td><td>सीएसएस के संगणना पद्धति राज्य के टैरिफ विनियम जो केविविआ द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>एसईआरसी</th><th>यूटिलिटी</th><th>श्रेणी</th><th>2013–14</th></tr>
<tr><td rowspan="5">KERC</td><td>BESCOM</td><td rowspan="5">HT2(a)
(इडस्ट्रीयल Industrial)
66KV and above
HT level – 11 KV / 33 KV
HT2(b)
(वाणिज्यिक Commercial)
66KV and above
HT स्तर – 11 KV / 33 KV</td><td rowspan="5">64 पैसे प्रति Kwhs
31 पैसे प्रति Kwhs
208 पैसे प्रति Kwhs
174 पैसे प्रति Kwhs</td></tr>
<tr><td>GESCOM</td></tr>
<tr><td>HESCOM</td></tr>
<tr><td>MESCOM</td></tr>
<tr><td>CESC</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>MSEDCL, TPC-D और R Infra D</td><td>टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति फार्मूला के अनुसार</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्यप्रदेश</td><td>पूर्व डिस्कॉमए केन्द्रीय डिस्कॉम और पश्चिमी डिस्कॉम</td><td>रीटेल सप्लाई टैरिफ आदेश के अनुसार</td><td>टैरिफ नीति के अनुसार</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>1. मणीपुर राज्य उर्जा वितरण कंपनी लि.
2. उर्जा और विद्युत विभाग मिजोरम सरकार</td><td>कोई अधिभार नहीं लगाया गया।</td><td>जैसा निर्बाध पहुंच विनियम में विनिर्दिष्ट है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="3">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td colspan="3">वित्तीय वर्ष 2013.14 के लिए 1 मेगावाट और अधिक निर्बाध पहुंच उपभोकता के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>ईएचटी के लिए सीएसएस (पैसे / किलोवाट)</th><th>ईएचटी के लिए सीएसएस (पैसे / किलोवाट)</th></tr>
<tr><td>CESU</td><td>197</td><td>101</td></tr>
<tr><td>NESCO</td><td>157</td><td>55</td></tr>
<tr><td>WESCO</td><td>158</td><td>76</td></tr>
<tr><td>SOUTHCO</td><td>276</td><td>165</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td colspan="3">पीएसईआरसी (निर्बाध पहुंच) विनियम 2011 के अनुसार 2013–14 के लिए पीएसपीसीएल के उपभोकताओं के विभिन्न श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार (पैसा / यूनिट) निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>वित्तीय वर्ष 2013–14 (पैसे / यूनिट)</th></tr>
<tr><td>बड़ी आपूर्ति</td><td>107</td></tr>
<tr><td>घरेलू आपूर्ति</td><td>100</td></tr>
<tr><td>गैर–आवासीय आपूर्ति</td><td>114</td></tr>
<tr><td>बल्क आपूर्ति</td><td>85</td></tr>
<tr><td>रेलवे ट्रेक्शन</td><td>114</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>सिक्किम</td><td>उर्जा एवं विद्युत विभ. ाग, सिक्किम सरकार</td><td>नियत नहीं की गई</td><td>अभी तक किसी उपभोकता से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसमें निर्बाध पहुंच का अनुरोध किया गया हो। इस प्रकार आज तक सिक्किम में कोई निर्बाध पहुंच उपभोक्ता नहीं है। क्रास सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार तब तैयार किया जाएगा जब इसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>TANGEDCO</td><td>Rs.3.40 to Rs.4.81</td><td>राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार फॉर्मूला</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>यूटिलिटी डिस्कॉम</th><th>क्रॉस–सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="3"><table><tr><th>यूटिलिटी / डिस्कॉम</th><th>क्रॉस सब्सिडी प्रभार (पैसे / किलोवाट)</th><th>अपनाई गई पद्धति</th></tr><tr><td>निर्बाध पहुंच उपभोक्ता त्रिपुरा में उपलब्ध नहीं है।</td><td>प्रश्न नहीं उठता</td><td>प्रश्न नहीं उठता</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि.</td><td>40 पैसे / किलोवाट</td><td>वित्तीय वर्ष 2013–14, के लिए 17% पूल औसत प्रणाली वितरण हानि निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21.</td><td rowspan="2">उत्तर प्रदेश</td><td colspan="2">क्रॉस सब्सिडी प्रभार
(पैसे / किलोवाट)</td><td>अपनाई गई पद्धति</td></tr>
<tr><td colspan="2">संगत श्रेणियों के लिए आयोग द्वारा संगणित क्रॉस सब्सिडी अधिभार शून्य होगी।</td><td>आयोग ने निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करते हुए संगत उपभोक्ता श्रेणियों के लिए क्रास सब्सिडी अधिभार संगणित किया है:
S = T – [C (1+ L / 100) + D]
जहां
S क्रास सब्सिडी अधिभार है
T उपभोक्ताओं की संगत श्रेणी द्वारा प्रतिदेय टैरिफ है;
C तरल ईंधन आधारित उत्पादन और नवीकरणीय उर्जा को छोड़कर मार्जन पर 5 प्रतिशत की उर्जा खरीद की भारित औसत लागत है। यूपी के मामले में यह बजाज हिंदुस्तान, हरदुआगंज और रोजा पावर प्रोजेक्ट 1 के मार्जनल विद्युत क्रय स्रोतों की लागत पर विचार करते हुए 6.59 रुपये / किलोवाट घण्टा है।
D विलिंग प्रभार है।
L प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त लागू वॉल्टेज स्तर के लिए प्रणाली हानियां हैं जिसे 28 प्रतिशत के रूप में संगणित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">WBSEDCL: 75.13+330.27 (परिहार्य लागत)
CESC Ltd: 135.79+346.42 (परिहार्य लागत)
DPL: 29.19+187.06 (परिहार्य लागत)
DPSCL: 64.75+466.64 (परिहार्य लागत)</td><td>क्रॉस सब्सिडी प्रभार
निर्बाध पहुंच तथा अनुज्ञधिारी द्वारा परिहारित लागत की अनुमति प्रदान की जा रही उपभोक्ता की श्रेणियों के लिए लागू टैरिफ के बीच अंतर है।</td></tr>
</table>

अधिशेष कैप्टिव उत्पादन का दोहन

टैरिफ नीति में उपबंधः

6.3 कैप्टिव उत्पादन का दोहन : कैप्टिव उत्पादन उपलबध प्रतियोगी विद्युत के लिए एक महतवपूर्ण साधनप है। उपयुक्त आयोग को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे ग्रिड से संबद्ध कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जा सके।

इस प्रकार के कैपिटव संयंत्र उतपादन कंपनियों के लिए लागू उसी विनियम के अध्याधीन ग्रिड में अधिशेष विद्युत को अंतक्षेपित कर सके।

.....

विलिंग प्रभार और अन्य निबंधन व शर्तें यह सुनिश्चित करते हुए एससीइआरसी और जेईआरसी द्वारा अग्रिम से निधारित की जानी चाहिए कि प्रभार उचित व संगत है।

विनियामक फोरम की सिफारिशों की समीक्षा

1. सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंटेंट की गई मांग की कमी के लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए।
2. सामानान्तर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार के उदग्रहण के लिए लघु औचित्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रभारों को निम्नतम स्तर पर रखा जाए।
3. कोई न्यूनतम गारंटी प्रभार नहीं होना चाहिए।
4. स्टार्टअप/स्टैण्ड बाई विद्युत के लिए प्रभार उचित होना चाहिए और अस्थायी कनेक्शन के लिए नियत प्रभारों से अधिक नहीं होना चाहिए।

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
1.	आंध्रप्रदेश					मद के अधीन यथाउल्लिखित (3) राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधि विषयों पर स्थिति रिपोर्ट के वितरण नेटवर्क प्रभार और निर्बाध पहुंच पारेषण प्रभार
2.	बिहार					

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	रु.21.00 प्रति केवीए (सीपीपी के केप्टिव और गैर–कैप्टिव के लिए)	शून्य	1. मांग प्रभार के रूप में 185 रु / केवी / माह स्टार्टअप पावर तथा कांट्रेक्ट मांग वाले उपभोकताओं के लिए उर्जा प्रभारों के रूप में रु.5.40 रु / केवी। 2. उन उपभोक्ताओं के लिए रु.11.53 प्रति यूनिट स्टार्टअप पावर जिनकी कोई कंटेक्ट मांग नहीं है। 3. निर्बाध पहुंच सीमा तक उर्जा के लिए रु.7.76 / किलोवाट घण्टा स्टेण्डबाई प्रभार और ओपन निर्बाध सीमा के आगे उर्जा के लिए रु.10.35 / किलोवाट घण्टा यूनिट	1. विलिंग प्रभार – 22.1 पैसा / किलोवाट 2. एलटीओए और एमटीओए ग्राहक उनकी आवंटित क्षमता के अनुपात में निवल एआरआर का वहन करेगा।
4.	दिल्ली	केप्टिव उत्पादन दिल्ली राज्य में नहीं है।				
5.	गोवा एवं संघशाशित प्रदेश	अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया चूंकि जेईआसी क्षेत्राधिकारी के अधीन इस प्रकार के कोई मामले नहीं है।				
6.	गुजरात	कोई दण्ड नहीं है।	26.50 रु. / किलोवाटघण्टा	..	केविविआ (अंतःराज्यिक निर्बाधपहुंच की निबंधन वशर्तें) विनियम 2010 की धारा 26 के अनुसार स्टेण्डबाई प्रभार संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ आदेशों के अनुसार लागू हैं।	डिस्कॉम (पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल एवं यूजीवीसीएल) के लिए विलिंग प्रभार निम्नानुसार है; 11केवी में : 11 पीएस / किलोवाटघण्टा 400 वी (एलटी) में : 41 पीएस / किलोवाट घण्टा 11केवी में टीपीएल विलिंग प्रभार के लिए, अहमदाबाद और सूरत में – 22 और 18 पीएस / किलोवाट क्रमशः। 400 वी (एलटी) में – अहमदाबाद और सूरत में 72 और 48 पीएस / किलोवाट क्रमशः।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी / जेईआरसी</th><th>सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड</th><th>समानांतर प्रचालन प्रभार / ग्रिड सहायक प्रभार</th><th>न्यूनतम गारंटी प्रभार</th><th>स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण / स्टेण्डबाई प्रभार</th><th>विलिंग प्रभार</th></tr>
<tr><td>7.</td><td>जम्मू एण्ड कश्मीर</td><td>कोई अधिशेष केप्टिव विद्युत उत्पादन राज्य में उपलब्ध नहीं है।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>झारखण्ड</td><td colspan="3">अनुज्ञप्तिधारी से सूचना की प्रतीक्षा है।</td><td>1008 घण्टे तक एचटी औद्योगिक उपभोक्ता उर्जा प्रभार का 1.5 भार
1008 घंटों के आगे अस्थायी आपूर्ति टैरिफ लागू है।</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कर्नाटक</td><td colspan="5">केईआरसी ने यूआई दरों से संबद्ध दरों को विनिर्दिष्ट करते हुए राजय में सीपीपी से अधिशेष केप्टिव विद्युत के दोहन के लिए आदेश जारी किया। केईआरसी ने सीडी, सामानांतर प्रचालन प्रभार, न्यूनतम गारंटी प्रभार इत्यादि की कमी के लिए कोई दण्ड निर्धारित नहीं किया है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>केरल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>नहीं</td><td></td><td>नहीं</td><td>*रु.20 / केवीए / माह</td><td>
<table>
<tr><th>डिस्कॉम</th><th>वोल्टेज स्तर</th><th>रु. / किला. `वाटघण टा</th></tr>
<tr><td rowspan="3">एमएसई डीसीएल</td><td>33केवी</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>/ 11केवी</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>एलटी स्तर</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td rowspan="2">टीपीसीडी</td><td>एचटी स्तर</td><td>1.89</td></tr>
<tr><td>एलटी स्तर</td><td>1.87</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आरइंफ्रा. डी</td><td>एचटी स्तर</td><td>0.63</td></tr>
<tr><td>एलटी स्तर</td><td>1.22</td></tr>
<tr><td>बीईएसटी</td><td>.</td><td>.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>शून्य</td><td>रु.20 / केवीए</td><td>शून्य</td><td>प्रतिबद्धता प्रभार 132 केवी.रु.25 / केवीए / माह 33केवी. रु.31 / केवीए / माह
उक्त के अतिरिक्त विद्युत के लिए उर्जा प्रभार और नियत प्रभार अस्थायी दर पर उपभोग किया गया।</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एसईआरसी/ जेईआरसी</th><th>सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड</th><th>समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार</th><th>न्यूनतम गारंटी प्रभार</th><th>स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार</th><th>विलिंग प्रभार</th></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर और मिजोरम</td><td>सीपीपीनहीं</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नागालैण्ड</td><td colspan="5">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>उड़ीसा</td><td>कोई दण्ड नहीं। इसे ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्तें) को 2004 के विनियम 66, 71 द्वारा अधिशासित किया जाएगा।</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>WESCO - 78.09
NESCO - 81.29
SOUTHCO - 61.30
CESU - 99.94</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पंजाब</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>633 पैसे प्रति किलोवाट</td><td>Rs. 383596 प्रति माह</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17.</td><td rowspan="2">सिक्किम</td><td>*तैयार नहीं किया गया।</td><td>तैयार नहीं किया गया।</td><td>तैयार नहीं किया गया।</td><td>तैयार नहीं किया गया।</td><td>*तैयार नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="5">*नोटः सिक्किम में कोई केप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं है। इसलिए ग्रिड संबद्ध केप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए विनियम तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। तथापि आयोग जब भी आवश्यकता होती है इस प्रकार के विनियम तैयार/ अधिसूचित करेगा।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>तमिलनाडु</td><td colspan="5"><table><tr><th>सीपीपी उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित मांग की कमी के लिए दण्ड</th><th>समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार</th><th>न्यूनतम गारंटी प्रभार</th><th>स्टार्टअप/स्टैण्डबाई प्रभार</th><th>व्हिलींग प्रभार</th></tr><tr><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>वास्तविक रूप से रिकॉर्ड की गई मांग या स्वीकृत मांग का नब्बे प्रतिशत जो भी अधिक हों।</td><td>स्टार्ट अन्तरराज्यिक पारेषण पावर–अस्थायी आपूर्ति टैरिफ स्टेण्डबाई पावर उर्जा प्रभार–टैरिफ आदेशाों के अनुसार मांग प्रभार श्रेणी के लागू टैरिफ</td><td>17.35 पैसे</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>त्रिपुरा</td><td colspan="5">केप्टिव उत्पादन संयंत्र त्रिपुरा राज्य में उपलबध नहीं है अतएव भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>उत्तराखण्ड</td><td>शून्य</td><td>शून्य तथापि सिंक्रॉनाइजेशन का उत्तरदायित्व और अपेक्षित मानकों के अनुरूप उपकरण व सिंक्रोनाइजिंग उपलब्ध करवाना तथा आयात,/ निर्यात मीटर केप्टिव उत्पादकों के पास होंगे।</td><td>शून्य</td><td>अस्थायी आपूर्ति के लिए अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार अर्थात् न्यूनतम प्रभार सहित. 25: उचित अनुसूचित दर में प्रभार की दर और आपूर्ति के दिनों की संख्या के लिए मांग प्रभार लिया गया है।</td><td>मामला दर मामला आधार पर। इस प्रकार का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>पारंपरिक उर्जा के लिए लागू</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी	सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए दण्ड	समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार	न्यूनतम गारंटी प्रभार	स्टार्ट–अन्तरराज्यिक पारेषण/स्टेण्डबाई प्रभार	विलिंग प्रभार
22.	पश्चिम बंगाल	यूआई प्रभारों से भिन्न सीपीपी वाले उपभोक्ता द्वारा कंट्रेक्ट मांग की कमी के लिए इस प्रकार का कोई दण्ड नहीं होगा। समानांतर प्रचालन प्रभार/ग्रिड सहायक प्रभार की पद्धतियां, प्रभारें और विलिंग प्रभारों के द्वारा स्टार्टअप/स्टेण्डबाइ को यथासंशोधित पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) विनियम 207 में किया गया आयोग निर्बाध पहुंच/केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारों विलिंग प्रभारें और क्रॉस सब्सिडी अधिभारें के लिए नियमित रूप से आदेश पारित करता है। अन्य प्रभार उपभोक्ता विनिर्दिष्ट हैं और उपभोक्ता को निर्बाध पहुंच के अनुमोदन के समय आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।				

विनियामक फोरम (एफओरआर)

सचिवालय : मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001

टेलिफोन : 91–11–23753920 फैक्स : 91–11–23752958

Designed and Produced by

creativEdge

ce@aravalifoundation.in

www.creativedge.in